रजिस्ट्री स  डी एल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 2002 (वैशाख 7, 1924)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 2002 (VAISAKHA 7, 1924)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

**विषय-सूची**


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं | 337 |
| भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं | 339 |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 5 |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 603 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | |
| भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 751 |
| भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस | 845 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | * |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 1619 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस | 93 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक | * |


* आकड़े प्राप्त नहीं हुए।

# CONTENTS


PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 337

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 339

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 5

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 603

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Aurthorities (other than the Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 751

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . 845

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 1619

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 93

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .. *


*Pages not received.

# भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सांविधिक नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2002

**शुद्धिपत्र**

सं० 30-प्रेस/2002—भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में 2 मार्च, 2002 को प्रकाशित सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के संबंध में इस सचिवालय की 26 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं० 2-प्रेस/2002 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :—

पृष्ठ सं० 33, में सातवां नाम "श्री अकरम मोहम्मद" की जगह "श्री मोहम्मद अकरम पढ़ा जाए ।

वरुण मित्रा, निदेशक

---

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 10 अप्रैल 2002

सं० 4/1/3/सीओडी/2002—राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप डा० महेश चन्द्र शर्मा दिनांक 09–4–2002 से विभागों से सम्बद्ध रक्षा संबंधी स्थाई समिति (2002) के सदस्य नहीं रहे ।

कृष्ण लाल, निदेशक

---

(वित्त संबंधी स्थाई समिति)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 13 अप्रैल 2002

सं० 4/1/1/2002/एफ सी—माननीय सभापति, राज्य सभा ने राज्य सभा के निम्नलिखित ससद सदस्यों को उनके नामो के आगे दी गई तारीख से वित्त संबंधी स्थाई समिति (2002)का सदस्य मनोनीत किया है :—

| नाम | मनोनयन की तारीख |
|---|---|
| 1. श्री पृथ्वीराज डा० चव्हाण | 08–04–2002 |
| 2. श्री प्रफुल्ल पटेल | 08–04–2002 |
| 3. श्री मुरली देवरा | 10–04–2002 |

आर० के० जैन, उप सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 17 अप्रैल 2002

इस विभाग की दिनांक 6 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० एम–13011/1/96-प्रशा० IV के क्रम में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद के कार्यकाल को अन्य 6(छः) माह अर्थात 30 सितम्बर, 2002 तक बढ़ाया जाता है ।

परिषद के दोनों सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य वही रहेंगे और न ही परिषद के विचारार्थ विषयों में कोई परिवर्तन होगा ।

ए० के० शर्मा, निदेशक

---

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2002

**संकल्प**

सं० एक्स 19014/1/95–डी/डीएमएस/पीएफए—दिनांक 12–3–1991 के संकल्प सं० एक्स 19020/1/89–डी०एम० एस० एण्ड पी०एफ०ए० द्वारा गठित की गई भारतीय भेषज संहिता समिति के कार्यकाल, जिसे 11–3–2002 तक बढ़ाया गया था को और आगे 6 महीने की अवधि के लिए अर्थात 11–9–2002 तक बढ़ाया जाता है ।

समिति के अन्य निबन्धन और शर्तें वही रहेंगी ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली और भारतीय भेषज संहिता समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए । (सूची संलग्न)

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र मे प्रकाशन के लिए प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को भेजी जाए ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अनुभागों को प्रति ।

स्वीकृति रजिस्टर हेतु प्रति ।

ए० एस० चौधरी, उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2002

संकल्प

मगध ज्ञान और भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नियमावली के नियम 3 और 6 के अंतर्गत भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों को परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

1. प्रो० योगेश अटल,
डी–224, सीमा सदन, डिजाइनर विला,
सुशान्त लोक, फेस–1,
गुड़गांव (हरियाणा)।

2. श्री ए० डी० पंत,
पूर्व प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
1314/पॉकेट नं० 1, सेक्टर–बी
वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110014।

3. श्री डा० एन० चतुर्वेदी,
संसद सदस्य (राज्यसभा)
19, गुरूद्वारा रकाब गंज रोड
नई दिल्ली।

4. डा० पी० एन० टंडन,
अध्यक्ष, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर,
एस०सी०ओ० 5, 6 एवं 7, सेक्टर–15, पार्ट–2
गुड़गांव (हरियाणा)।

5. डा० उमराव सिंह चौधरी,
103, विष्णुपुरी एनेक्सी,
इंदौर–452017।

6. डा० जितेन्द्र बजाज,
सेंटर फॉर पालसी स्टडीज, 27, राजशेखर रोड
मइलापुर, चेन्नई–600004।

7. डा० शंकर नागेश नवलगुंदकर,
रेणुका एस० नं० 568, प्लाट नं० 9,
कंचनगंगा हाउसिंग सोसाइटी
बिबवेवड़ी, पुणे–411037।

8. डा० बी० एल० गुप्ता,
हाऊस नं० 1118, सेक्टर-14, सोनीपत–131001
हरियाणा।

9. डा० सरदिन्दु मुखर्जी,
212, टैगोर पार्क,
दिल्ली–110009।

10. डा० सूर्यानि यू० कामत,
अध्यक्ष, मिथिक सोसायटी
कीर्ति, 798, छठा क्रास, 11वां मेन,
हनुमन्तनगर, बंगलौर–560019।

11. प्रो० गिरीश्वर मिश्रा,
प्रोफेसर मनोविज्ञान,
मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007।

12. प्रो० आभा अवस्थी,
समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007।

13. श्री जयन्त कुमार रे,
पूर्व प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय
309, जोधपुर पार्क, कोलकाता–700068।

14. डा० सुभाष कश्यप
पूर्व महासचिव, लोकसभा
प्रोफेसर, सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च,
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली–110021।

15. डा० रविन्द्र नाथ पाल,
पी–7, विश्वविद्यालय परिसर
पंजाब विश्वविद्यालय
पटियाला–147002

16. डा० आर० सी० त्रिपाठी
जी० बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस
इलाहाबाद।

17. डा० दिवाकर कुंद,
शिक्षा विभाग, विश्वभारती
शांतिनिकेतन–731235।

18. प्रो० मोहन लाल छिप्पा,
अध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग, एम० डी० एस० विश्वविद्यालय
अजमेर–305001

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० के० गुप्ता, उप सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi the 17th April 2002

### CORRIGENDUM

No. 30-Pres/2002.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No 2-Pres, 2002 dated 26th January, 2002 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 2nd March, 2002 relating to Police Medal for Meritorious Service :—

On Page 25, the second name appearing as "Shri Akram Mohammed" may be read as "Shri Mohammed Akram"

BARUN MITRA
Director

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 10th April 2002

No. 4/1/3/COD/2002.—Consequent upon his retirement from Rajya Sabha w.e.f. 9-4-2002 Dr. Mahesh Chandra Sharma has ceased to be a Member of the Departmentally related Standing Committee on Defence (2002).

KRISHAN LAL
Director

## (STANDING COMMITTEE ON FINANCE BRANCH)

New Delhi-110001, the 13th April 2002

No. 4/1/1/2002/FC.—The Chairman, Rajya Sabha has nominated the following Members of Parliament, Rajya Sabha to the Standing Committee on Finance (2002) w.e.f. the dates shown against their names :—

Name, Date of Nomination

1. Shri Prithviraj Dajisaheb Chavan—08-4-2002
2. Shri Praful Patel—08-4-2002
3. Shri Murli Deora—10-4-2002

R. K. JAIN
Dy. Secy.

## MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 17th April 2002

In continuation of this Department's Notification No. M-13011/1/96-Admn. IV dated 6th November, 2001 the tenure of the Governing Council, National Sample Survey Organisation is extended by another 6 (Six) months, i.e. upto 30th September, 2002.

2. The members of the Council, both official and non-official will be the same and there will be no change in the terms of reference of the Council.

V. K. SHARMA
Director



## MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd April 2002

### RESOLUTION

No. X. 19014/1/95-D/DMS&PFA.—The term of the Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide Resolution No. X.19020/1/89-DMS&PFA dated 12-3-1991, which was extended upto 11-3-2002, is further extended for a period of six months i.e. 11-9-2002

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee (List enclosed).

Ordered that a copy of the Resolution be sent to the Manager, Government of India Press, Faridabad for publication in the Gazette of India for general information.

Copy to all Sections, in the Ministry of Health and Family Welfare.

Copy for sanction register.

J. S. CHOUDHARY
Dy. Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

### (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th April 2002

### RESOLUTION

Under Rules 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the Government of India has nominated the following Social Scientists as members of the Council with immediate effect, for a period of three years :—

1. Prof. Yogesh Atal
   D-224, Seema Sadan, Designer Villa,
   Sushanta Lok, Phase-1,
   Gurgaon (Haryana).

2. Shri A. D. Pant
   Former Professor, Allahabad University
   1314/Pocket No. 1, Sector-D
   Vasant Kunj, New Delhi-110014.

3. Shri T. N. Chaturvedi
   Member of Parliament (Rajya Sabha)
   19, Gurudwara Rakab Ganj Road,
   New Delhi.

4. Dr. P. N. Tondon
   President, National Brain Research Centre
   SCO 5, 6 & 7, Sector-15, Part-II
   Gurgaon (Haryana)

5. Dr. Umrao Singh Chaudhari
103, Vishnupuri Annexe
Indore-452017.

6. Dr. Jitendra Bajaj
Centre for Policy Studies
27, Rajasekhara Road
Mudali, Chennai-640004.

7. Dr. Shankar Nagesh Navalgundkar
'Renuka' S. No. 568, Plot No. 9
Kanchanganga Housing Society
Bibwewade, Pune-411037.

8. Dr. B. L. Gupta
House No. 1118, Sector-14
Sonipat-131001
Haryana.

9. Dr. Saradindu Mukherji
212, Tagore Park
Delhi-110009.

10. Dr. Suryanath U. Kamat
Chairman, Mythic Society
KIRTHI, 798, 6th Cross, 11th Main
Hanumanthanagar, Bangalore-560019.

11. Prof. Girishawar Mishra
Professor of Psychology
Deptt. of Psychology, Delhi University
Delhi-110007.

12. Prof. Abha Avasthi
Deptt. of Sociology, University of Lucknow
Lucknow-226007.

13. Shri Jayant Kumar Ray
Former Professor, Calcutta University
309, Jodhpur Park,
Kolkata-700068.

14. Dr. Subhash Kashyap
Former Secretary General of Lok Sabha
Professor, Centre for Policy Research
Dharma Marg, Chankyapuri
New Delhi-110021.

15. Dr. Ravindra Nath Pal
P-7, University Campus
Punjab University
Patiala-147002.

16. Dr. R. C. Tripathi
G. B. Pant Institute of Social Sciences
Allahabad.

17. Dr. Divkar Kundu
Deptt. of Education, Vishva Bharati
Shantiniketan-731235.

18. Prof. Mohan Lal Chippa
Head
Deptt. of Economics, M. D. S. University
Ajmer-305001.

ORDER

Order that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. GUPTA
Dy. Secy.

## राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च ,2002

सं0 31 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं -

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री के. मुरलीधर राव,
पुलिस उपाधीक्षक, करीमनगर

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

20.7.2000 को श्री के.एम. राव, पुलिस उपाधीक्षक, करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश) को वेमुलावाड़ा मंडल के नुकालामाड़ी गांव में, गोल्ला देवईया के घर में अधुनातम आग्नेयास्त्रों के साथ सी पी आई(एम एल) जनशक्ति उग्रवादी दल की उपस्थिति के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई। चूंकि उग्रवादियों के उस स्थान से चले जाने की सम्भावना थी और जिला मुख्यालय से बल को मंगाने में काफी समय लग सकता था, श्री राव अपने गनमेन और एक पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और गोल्ला देवईया के घर को घेर लिया। पुलिस को आते देख उग्रवादियों ने जो घर के अंदर थे, स्वचालित हथियारों से पुलिस पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री राव की अगुवाई में पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की और श्री राव ने जो कि दल का नेतृत्व कर रहे थे, अपनी जान को खतरे में डालकर अपने दो आदमियों के साथ उक्त घर के प्रवेश द्वार पर पहुँचने का प्रयास किया। अचानक उग्रवादियों ने उन पर और उनके दोनों आदमियों पर कई राउंड्स गोलियां चलायीं जिसके कारण श्री राव का बायां हाथ और पेट, कई गोलियां लगने से जख्मी हो गया। पेट में लगी गोली ने उन्हें गंभीर रुप से जख्मी कर दिया तथा काफी मात्रा में खून बह रहा था, लेकिन अपने जख्मों की परवाह न करते हुए, वे अपने दल का नेतृत्व करते रहे। दो पुलिस कांस्टेबल अर्थात श्री पी. स्वामी और श्री लक्ष्मा रेड्डी जो श्री राव के साथ थे, भी गोलियों से जख्मी हो गए। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में सात उग्रवादी मारे गए और दो 9 एम एम पिस्तौलें, तीन 8 एम एम राइफलें और एक 9 एम एम कारबाइन बरामद की गई। मारे गए नक्सलवादियों की पहचान गसिकांती पारसरामुल्लू पुत्र नरसहाय, डोनथुला राजू उर्फ रमेश पुत्र नरसहाय समुद्रला येल्लाह पुत्र राजाय्या, इसमपल्ली अशोक पुत्र मल्लाह, नक्काला मंजुला उर्फ ज्योथाक्का पुत्री नरसहाय पत्नी रणधीर, धाल्लापल्ली मालेशम पुत्र माल्हा और ईदुगु चैतन्या पुत्री शंकर, सी पी आई (एम एल) जनशक्ति दल के सदस्यों के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री के. मुरलीधर राव, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जुलाई, 2000 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 32-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नलिन प्रभात, भारतीय पुलिस सेवा,
पुलिस अधीक्षक, करीमनगर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

1/2 दिसम्बर, 1999 को 2200 बजे, श्री नलिन प्रभात पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि मिलीटरी कैंप की समाप्ति के पश्चात, पी डब्ल्यू जी के प्रमुख कैडर विभिन्न दिशाओं में पीछे हट रहे थे। ऐसे ही एक ग्रुप के महादेवपुर जगल से कोच्चूर जंगल की तरफ जाने की सूचना थी। 1/2 दिसम्बर, 1999 को 2200 बजे श्री प्रभात ने पुलिस टुकड़ी को साथ लिया और कोय्यूर जंगल की तरफ बढ़े। 2 दिसम्बर, 1999 को 0630 बजें, जब टुकड़ी घने जंगल की खोजबीन कर रही थी, तभी उन पर गनों से भारी गोलीबारी की गई। श्री प्रभात ने अपनी टुकड़ी को घात से बचाव के उपाय करने के अनुदेश दिए और उग्रवादियों को अपनी पहचाम बतायी और उन्हें समर्पण करने की सलाह दी। उग्रवादी पुलिस टुकडी पर लगातार गोलीबारी करते रहें। श्री प्रभात ने स्थिति का आकलन किया और चार पुलिस कार्मिकों के साथ, जिन्हें तत्काल ब्रीफ किया गया था, उग्रवादी शिविर पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यह प्रहार किया, उन पर भारी गोलीबारी की गई। उन्होंने ए के असाल्ट राइफल से गोलीबारी शुरु कर दी और संतरी पोस्ट में छुपे हुए एक अतिवादी को मार गिराया जोकि ए के-47 से गोलीबारी कर रहा था। श्री प्रभात ने एक दूसरी संतरी पोस्ट की पहचान की जहाँ से भारी गोलीबारी की जा रही थी। वे उस संतरी पोस्ट की तरफ रेंगते हुए दस मीटर के अंदर गए और उग्रवादी को गोली मार दी। 35 मिनट की गोलीबारी के पश्चात उग्रवादी पूर्व की तरफ पीछे हटें। पुलिस टुकड़ी ने उग्रवादियों का पीछा किया लेकिन वे बच कर घने जंगलों में भाग गए। बाद में मारे गए उग्रवादियों की पहचान (1) नल्ला अदि रेड्डी, पी डब्ल्यू जी संगठन के सेन्ट्रल कमेटी के सदस्य और सेकंड इन कमाड, (2) इर्रामरेड्डी संतोष रेड्डी, ए पी प्रोविंशिअल कमेटी का सेन्ट्रल कमेटी सदस्य और सेकंड इन कमाड, (3) शीलम नरेश, सेंट्रल कमेटी सदस्य एवं नार्थ तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सेक्रेटरी और (4) सिगम लच्छी राजम, पी डब्ल्यू जी का यू जी काडर के रुप में की गई। दो मैगजीनों के साथ ए के 47 राइफल, एक .45 कोल्ट पिस्तौल (यूस निर्मित), दो .45 रिवाल्वर (यू एस निर्मित), एक 12 बोर डी बी बी एल गन, दो देशी रिवाल्वर, दो सक्रीय एच ई 36 हथगोले, तीन क्लेमोर माइन्स, दो सोप बिम्ब्स और दो केनवूक वाकी-टाकी सेट्स (जापान निर्मित) और विभिन्न अन्य वस्तुए बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में, श्री नलिन प्रभात, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 2 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
निदेशक

स0 33 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारी का नाम और रैंक
डा0 आर0एस0 प्रवीण कुमार, भा0पु0से0
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दि0 27.4.2000 को प्रात 8.30 बजे डा0 आर0एस0 प्रवीण कुमार को एक सर्किल इस्पेक्टर से जानकारी प्राप्त हुई कि पी0डब्ल्यू0जी0 के लगभग 25 अतिवादी अपने जिला समिति सचिव श्री रामकृष्ण तथा उनकी पत्नी वारंगल जिले के साथ कौकुन्हा गाव के समीप चन्द्रगिरि पहाड़ियों में बैठक आयोजित कर रहे है । श्री कुमार ने वारंगल सिटी में स्थित थ्रे-हाउन्ड्स हमला यूनिट तथा पाच जिला गार्ड यूनिटों को बुला लिया और आधे घंटे के भीतर अभियान की योजना तैयार कर ली तथा पार्टियो को लॉरियों में इस प्रकार से भेजा कि सभी पुलिस कमांडो यूनिटों द्वारा समस्त पहाड़ी क्षेत्र को घेर लिया गया तथा शत्रु के लिए बच निकलने का कोई मार्ग शेष नही बचा । अभियान का प्रबोधन करने के दौरान श्री प्रवीण कुमार को एक सदेश प्राप्त हुआ कि पी.डब्ल्यू.जी. अतिवादियों व पुलिस के बीच गोलीबारी चल रही है तथा इस गोलीबारी में एक कास्टेबल घायल हो गया है । श्री कुमार तुरत घटनास्थल की ओर दौड़े । ज्यों ही श्री कुमार वहा पहुचे उन पर पहाडी के ऊपर से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की गई । श्री कुमार, सभी जवानों को सुरक्षित स्थान पर ले आए तथा उनको विभिन्न पार्टियों में बाटा तथा सम्पूर्ण पहाड़ी का पुन घेर लिया तथा घायल पुलिस कास्टेबल को तत्काल अस्पताल भिजवाया । ज्यो ही श्री कुमार ने पहाड़ी पर चढना प्रारभ किया, शिलाखडों के पीछे छिपे अतिवादिया ने पुलिस पर अधाधुध गोलिया बरसाना शुरू कर दिया । पुलिस ने भी पहाड़ी के नीचे से उपलब्ध आड लेकर जबाबी गोलीबारी प्रारभ कर दी । गोलीबारी के पहले दौर सात कुख्यात अतिवादी मार गिराए गए । श्री कुमार के सीधे नेतृत्व मे शुरू हुए दूसरे दौर में 2 उप निरीक्षकों, 4 आर एस आई के एक ग्रुप ने बगैर बुलेट प्रूफ जैकटों के पहाड़ी पर चढना प्रारभ किया । नक्सलियो को उनके छिपने के स्थान से बाहर निकालने के लिए पहाड़ी पर गुफाओं में हथगोले फेंके गए जिनसे कुछ अतिवादी घायल हो गए । पहाड़ पर उगी सारी घास-पत्तिया सूखी पड़ी थी जो हथगोलों के फटने से जल उठी और उससे भयकर गर्मी उत्पन्न हो गई । इसके कारण कुछ अतिवादियों के शव उनके किट बैग समेत जल उठे । मारे गए अतिवादियो के किट बैगो में सोप बमों के दुर्घटनावश फटने तथा उनसे उठे धुए के कारण पुलिस को कार्रवाई मे बाधा पड़ी । चूकि शाम का धुधलका घिर रहा था अत अधेरा होने वाला था । श्री कुमार तथा उनके अधिकारी भारी जोखिम लेते हुए खतरनाक चिमनियो मे घुस गए जहा अतिवादियो से उनकी आमने-सामने भिडन्त हुई । इस मुठभेड़ में 5 अतिवादी मारे गए इनमे से एक एटम इलाइयाह, जिला समिति का सदस्य था जिसके सिर पर 2,00,000/- रू0 का इनाम था, ज्योति ऊर्फ स्वप्ना जो स्टेशन घानपुर, कारनेल, के स्थानीय गुरिल्ला स्क्वैड का कमाडर एस.ए.सी. सदस्य तथा जिला समिति सचिव का सुरक्षा गार्ड था । ये अतिवादी वारगल सिटी तथा उसके आस-पास बारूदी सुरंगों के विस्फोटों और घात लगाकर किए गए हमलों मे अनेक पुलिस कार्मिकों (20 से अधिक) की हत्या में सलिप्त थे । मुठभेड़ के स्थान से निम्नलिखित मदें प्राप्त हुई:-

I. एक मैगजीन सहित एक एस.एल.आर.
II. दो .303 राइफलें
III. एक मैगजीन सहित एक 9 एम.एम कारबाइन
IV. एक 410 मस्केट
V. पाच 12 बोर डी बी बी एल राइफल
VI. एक 12 बोर एस बी बी एल राइफल
VII. एक 8 एम एम राइफल
VIII. एक सोप बम तथा 4 बाठी बम
IX. एक खाली क्ले मोर माइन
X एक ए.के.47 मैगजीन

इस मुठभेड़ मे, डा0 आर0एस0 प्रवीण कुमार, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 27 अप्रैल, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदशक

सं0 34 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पी0 भूपाल रेड्डी
एसिस्टेन्ट एसाल्टर कमान्डर/आर.एस.आई., ग्रे हौन्डस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.7.99 को सूचना प्राप्त हुई कि पी.डब्ल्यू.जी. उग्रवादियो के एक ग्रुप ने वारगल जिले के नरसापुर गाव से लगे घने जगल में पड़ाव डाल रखा है और पुलिस कार्मिकों की हत्या करने और हथियारो को लूटने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला करने की योजना बना रहे है । और अधिक विवरण पता करने के बाद, श्री बी.पी. रेड्डी, एसिसटेन्ट सलाल्ट कमान्डर, पुलिस कार्मिको के एक ग्रुप के साथ एक आपरेशन चलाने के लिए चले । घटनास्थल को जाते हुए, पी.डब्ल्यु.जी. उग्रवादियों के एक सन्तरी ने पुलिस पार्टी को देख लिया और तत्काल गोलिया चला दी, जिससे उग्रवादी सचेत हो गए और उन्होने मोर्चा सम्भाल लिया तथा पुलिस पर गोलिया चलानी शुरू कर दी । श्री रेड्डी ने पार्टी को दो भागों मे विभाजित किया और भारी व्यक्तिगत खतरे के बावजूद दो दिशाओ से उग्रवादियो के नजदीक बढ़े । श्री रेड्डी और उनके कार्मिको ने उग्रवादियो पर साहसिक हमला किया और यह मुठभेड लगभग 15 मिनट तक चली और इसमें, 4 उग्रवादी मारे गए । उनमें से एक की पहचान बदे नागेश्वर राव, जिला समिति सदस्य और वारगल और खम्भाम जिलो में वन प्रभारी के रूप मे की गयी । बाद में शेष उग्रवादियों की पहचान कौत्तम राजू उर्फ राजू, डिप्टी दलाम कमान्डर, कोटटम बल्लैया उर्फ जगन, दलाम सदस्य और इपोटला रवि उर्फ नवीन उर्फ राजन्ना, पी.डब्ल्यु.जी. के दलाम सदस्य, के रूप मे की गयी । घटनास्थल से एक ए.के.47, एक 9 एम.एम. कारबाईन, दो 303 राईफल, एक 7.62 पिस्तौल, एक 8 एम.एम. राईफल और 4 किट बेगो के साथ गोलाबारूद/राउद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ मे, श्री पी. भूपाल रेड्डी, एसिस्टेन्ट असाल्ट कमान्डर/आर.एस.आई. ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 12जुलाई, 1999 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 35 - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री हरि सिंह,
राइफल मैन, 12 असम राइफल्स

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

शमोसग आर एम 5903 गांव के पश्चिम मे नव स्थापित कैम्प में विद्रोहियों की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर 10 दिसम्बर 2000 को एक अभियान चलाया गया । श्री सिंह धावा करने वाले दल के अग्रणी स्काउट के रूप में धान के कीचड़दार खेतो और घनी जंगली पहाड़ियं मे से टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए विद्रोहियों के छिपने के ठिकाने पर पहुंच गए । श्री सिंह ने धावे के दौरान आक्रामकता, उग्रता तथा निहत्थे लड़ने के कौशल का परिचय दिया। उन्होंने मांगबे कुकी और मिमिंग कुकी को दबोच लिया और उनके निम्नलिखित हथियार छीन लिए:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) | 12 बोर की राइफलें (स्वदेशी निर्मित) | - | 5 |
| ii) | 12 बोर कारतूस | - | 15 |
| iii) | .303 गोलाबारूद | - | 43 |
| iv) | 7.62 एम एम बी डी आर गोलाबारूद | - | 09 |
| v) | लड़ाई की वर्दियां और व्यक्तिगत सामान | | |

इस मुठभेड़ में, श्री हरि सिंह, राइफल मैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 दिसम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 36-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री राजबीर सिंह मलिक
उप निरीक्षक (अब निरीक्षक हैं)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उप निरीक्षक राजबीर सिंह मलिक को पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा संग्रहित आसूचना के आधार पर, कि ब्रिज मोहन त्यागी अपने साथी के साथ डुसु चुनावों के दौरान दिल्ली में निश्चित तौर पर आएगा, मारे जाने वाले छापे के संबंध में तैयारी करने के लिए विशेष रुप से चुना गया था। ब्रिज मोहन त्यागी और उसके साथी अनिल मल्होत्रा दर्जनों जघन्य और सनसनीखेज हत्याओं, डकैतियों, लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरणों में संलिप्त/संबंधित रहे थे। 15.9.94 को सूचना की पुष्टि होने के पश्चात, पुलिस बल को चार ग्रुपों में विभाजित किया गया और वे चार वाहनों में दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ बढ़े। अपराधी के वाहनों को रिंग रोड से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आते देखा गया। जब वाहन दोपहर बाद 2.15 बजे राजा गार्डन के लाल बत्ती चौराहे पर पहुँचा, तो उप निरीक्षक, राजेन्द्र सिंह का दल अपना वाहन उस वाहन के आगे निकाल ले गया और उस वाहन को रुकने का इशारा किया। श्री एल एन राव अपने स्टाफ के साथ अपनी कार से उतर गए और अन्य तीन दलों के कार्मिक समीप आ गए। खतरनाक अपराधियों ने अपनी कार से गोलीबारी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप श्री राव पेट में गोली लगने से हैड कांस्टेबल, सुनील कुमार कंधे में गोली लगने से तथा कांस्टेबल बिजेन्द्र पाँव में गोली लगने से घायल हो गए। अपराधियों की गोलीबारी के जवाब में, तीन अन्य दलों के सदस्यों और जख्मी कार्मिकों ने संदिग्ध कार पर गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें दो अपराधी जख्मी हो गए। सभी जख्मी पुलिस अधिकारी और आम नागरिकों को अस्पताल ले जाया गया। कार के दोनों जख्मी व्यक्तियों को भी अस्पताल ले जाया गया जहाँ मृत लाया गया घोषित किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री राजबीर सिंह मलिक, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर, 1994 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 37 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री कुलदीप सिंह सियाग
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29.5 2000 को एक मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति आए तथा उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दि' ' उससे 9 लाख रू0 छीन लिए । सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक, श्री कुलदीप सिंह सियाग ने तत्काल पानीपत सिटी को सील करने तथा वाहनों की तलाशी लेने और अपराधियों को पकड़ने हेतु कार्रवाई की । त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप एक व्यक्ति लूटी गई राशि तथा 9 एम एम पिसतौल सहित पकडा गया। आगे की गई जाच मे दो अपराधी और पकडे गए । वे सभी उत्तर प्रदेश/हरियाणा/दिल्ली मे सक्रिय कुख्यात गिरोह के सदस्य थे ।

1.9.2000 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक लाल मारूती कार में पानीपत स्थित बिनजोल सिंचाई विश्राम गृह आए तथा उन्होने 16 लाख रू0 की नकदी लूट ली । उस दिन उक्त विश्राम गृह में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को वेतन बाटा जा रहा था । अपराधियों के पास घातक हथियार थे । उन्होंने खजाची से नकदी छीनी तथा मारूति कार में भाग गए । श्री कुलदीप सिंह सियाग, पुलिस अधीक्षक सभी सबंधितो को निदेश देकर तत्काल घटनास्थल को रवाना हुए । उन्हें जानकारी मिली कि अपराधी नहर की ओर कच्ची सड़क पर स्थित ग्राम नरायणा की ओर गए है । उन्होंने उप पुलिस अधिक्षक सिटी और एस एच.ओ सदर, सी. आई ए.-1, एस.एच.ओ. मॉडल टाउन तथा एस एच ओ चडीबाग की सचल पार्टियों को साथ लिया तथा गांव की तलाशी प्रारभ कर दी । तलाशी के दौरान उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक सिटी तथा एस एच ओ सदर को समीपवर्ती गाव अटेल की तलाशी लेने का निदेश दिया क्योंकि पास के अन्य गाव को जाने वाले कच्चे रास्ते पर कार के टायर के निशान नहीं थे । उप पुलिस अधीक्षक पानीपत सिटी से यह जानकारी प्राप्त होने पर कि अपराधी ग्राम अटेल में है, श्री सियाग ने अटैल गाव को जाने वाली सभी सड़कों को सील करने का निदेश दिया । अपराधियों ने पुलिस की मौजूदगी की भनक पाते ही गन्ने के खेत में शरण ले ली । अपराधियों का वाहन कच्चे रास्ते पर आगे नही बढ सका । गन्ने का खेत 250 एकड के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था । पुलिस पार्टी ने खेत को सभी दिशाओं से घेर लिया तथा श्री सियाग गन्ने के खेत मे घुस गए तथा अपराधियों को तलाशने लगे । खेत के 100 एकड़ भाग की तलाशी लेने के बाद उन्हें गन्ने के खेत में अपराधियों की हलचल नोटिस की तथा गन्ने के टूटने की आवाज सुनी । उन्होंने अपराधियों को पुलिस के समक्ष आत्मसर्मपण करने की चेतावनी दी परन्तु उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलिया चलानी शुरू कर दी । पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलिया चलाई । खेत के 150 एकड के शेष भाग में भी तलाशी का कार्य पूरा कर लिया गया । उन्होने तथा उनकी पार्टी, जिसमें कांस्टेबल सर्व श्री भूपिन्दर, लखनपाल, बिजेन्दर, सुरेन्दर तथा सुरेश कुमार शामिल थे, ने गन्ने के खेतों में आगे बढना जारी रखा । काफी देर तक पीछा करने के बाद पुलिस आत्मरक्षा में गोलिया चलाते हुए तीन अपराधियों को धर दबोचने में सफल हो गई । पकडे गए अपराधियों के नाम रोहताश उर्फ तासी, सुरिन्दर सिंह तथा सुनील उर्फ शीलू थे । तलाशी के दौरान रोहतास के कब्जे से 4 कारतूसों सहित एक 9 एम एम पिस्तौल तथा 8.60 लाख रू0 की राशि तथा सुरिन्दर के कब्जे से 1.2 बोर के एक कारतूस के साथ 12 बोर की देशी पिस्तौल तथा 50,000/- रू0 नकद बरामद हुए । 9 एम एम के दो खाली कारतूस तथा 12 बोर के कारतूस खोल भी बरामद हुए । जाच-पड़ताल तथा सत्यापन के दौरान पता चला कि 16 लाख रू0 में से 5,32,120/- रू0 कर्मचारियों में वितरित कर दिया गए थे तथा 10,67,880/- रू0 छीन लिए गए थे जिसमें से 9.60 लाख रू0 बरामद कर लिए गए । शेष राशि बरामद नहीं की जा सकी क्योंकि गिरोह के कुछ सदस्य भागने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री कुलदीप सिंह सियाग, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 1सितम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 38 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री संजय ए. लथकर, भारतीय पुलिस सेवा
सहायक पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

21.2.1998 को लगभग 1435 बजे श्री संजय ए. लथकर, सहायक पुलिस अधीक्षक, पिरी, जिला भोजपुर को एक वायरलैस संदेश प्राप्त हुआ कि श्री पी आई (एम एल) अतिवादी, चारपोखर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गांव पसौर, में गोलियां चला रहे हैं और समूचा गांव तनावग्रस्त हो गया है। श्री लथकर ने चारपोखर पुलिस स्टेशन को तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिए और साथ ही साथ पिरी और गरहानी पुलिस स्टेशनों को उपलब्ध सशस्त्र बल के साथ तत्काल गांव पासौर जाने के लिए कहा। वे लगभग 1530 बजे अपने सशस्त्र बल के साथ गांव पासौर पहुँचे। चारपोखरी पुलिस स्टेशन के श्री अंबिका प्रसाद, उप निरीक्षक और श्री राम राज शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, थाने के सशस्त्र बल के साथ पहले ही वहाँ पहुंच चुके थे और स्कूल की चार-दिवारी के पीछे मोर्चा ले रहे थे, रुक-रुक कर हो रही गोलीबारी और गांव की पश्चिमी दिशा की तरफ में घुसाहर टोला की तरफ अवस्थित, लगभग 100/150 अतिवादियों की भीड़ द्वारा किए जा रहे पथराव का सामना कर रहे थे। इससे पहले गांव पिसौर के एक व्यक्ति जनार्दन सिंह द्वारा चारपोखरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि कुछ व्यक्तियों ने उनके बेटे की मारने का प्रयास किया था। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला चलाया गया। पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुंचने पर मोहन राम नाम के एक व्यक्ति को देखा जिसके नाम का उल्लेख एक अभियुक्त के रूप में जनार्दन सिंह की शिकायत के आधार पर फाईल की गयी प्र. सू. रिपोर्ट में किया गया था। जैसे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त मोहन राम को गिरफ्तार किया गया, भीड़ ने पथराव शुरु कर दिया और गोलीबारी भी शुरु कर दी तथा गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाने में सफल हो गए। इस कार्रवाई के दौरान, एक कांस्टेबल गंभीर रुप से जख्मी हो गया। श्री लथकर ने अतिवादियों को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन वे समर्पण करने की समझदारी की सलाह को मानने की मनःस्थिति में नहीं थे और उन्होंने पथराव के साथ-साथ अंधाधुंध तथा रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रखी। श्री लथकर ने लोगों की भीड़ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और उसी समय अरीह नियंत्रण कक्ष को एक संदेश भेजा तथा पुलिस अधीक्षक से कुमुक भेजने का अनुरोध किया। श्री लथकर ने उन्हें वश में करने तथा उनका मनोबल गिराने हेतु तथा उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए श्री महेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और 3 अन्य को एक-एक राऊंड गोली चलाने के लिए कहा। अतिवादियों ने और ज्यादा प्रभावी ढंग से अंधाधुंध गोलीबारी की। फिर उन्होंने महेश कुमार ठाकुर, कांस्टेबल और 3 अन्य को तीन-तीन राऊंड गोलियां चलाने को कहा जिसके परिणामस्वरुप एक अतिवादी जख्मी हो गया। श्री लथकर ने पुनः एक कांस्टेबल को 2 राऊंड और 3 अन्य को प्रत्येक को तीन-तीन राऊंड गोलियां चलाने का आदेश दिया। एक उग्रवादी को गोली लगी जो जमीन पर गिर पड़ा। अब अतिवादी स्वयं को असुरक्षित पाकर सुरक्षित शरण लेने के लिए भागे। पिरी पुलिस भी स्कूल की इमारत के दक्षिणी भाग की ओर पहुंच गई थी। अतिवादी समीप के गांवों की तरफ भागे। श्री लथकर ने दूसरी टुकड़ी के साथ भाग रहे अतिवादियों का पीछा किया लेकिन अतिवादी गोलीबारी और अंधेरे की आड़ में बच कर भाग निकले। इस मुठभेड़ में कुल दो नक्सलवादी मारे गए। जिनकी पहचान बाद में गोधन भुसाहर और मुलर दुसध उर्फ दिनेश्वर पासवान के रूप में की गई। 22.2.1998 को अतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और अवैध शस्त्र/गोलाबारुद को जब्त करने हेतु घर-घर की तलाशी ली गई। घटनास्थल से निम्नलिखित बरामदगी की गई : 7 जिंदा कारतूसों के साथ .315 देशी राइफलें - 4, .315 बोर मिश्रित पिस्तौल-1, 7 कारतूसों के साथ 12 बोर की देशी एस बी बी एल गन - 3, .315 कारतूस के खोल-9, 12 बोर कारतूस के खोल-9, कुछ खाकी पुलिस वर्दी।

इस मुठभेड़ में, श्री संजय ए. लथकर, भारतीय पुलिस सेवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 फरवरी, 1998 से दिया जाएगा।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 39 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. (दिवंगत) अब्दुल रशीद भट्ट, कांस्टेबल (जी डी)
24वीं बटालियन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

2. उमांग खत्री, निरीक्षक (जी डी), 24वीं बटालियन
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

2.2.2000 को श्री एम. कुमार, उप कमांडेंट 24वीं बटालियन की कमान में एक विशेष गश्त को जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में कोगुंड तथा चुतीपुरा के आम क्षेत्र में रात में निगरानी करने के लिए रात में भेजा गया। गश्ती दल को पास के वन क्षेत्र की तरफ चुपके से जाते दो साये दिखे। गश्ती दल द्वारा ललकारने पर एक संदिग्ध व्यक्ति पास के घर में भाग गया और दूसरे ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस व्यक्ति के पीछे पार्टी एक घर की ओर गई, जिसकी तत्काल घेराबंदी कर दी गई। दल के कमांडर ने घर के अंदर रह रहे सभी को बाहर निकलने के लिए कहा, जिसका तत्काल पालन किया गया। कांस्टेबल अब्दुल रशीद भट्ट घर में घुसने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। निरीक्षक उमंग खत्री को कांस्टेबल अब्दुल रशीद भट्ट के साथ पहले दल के रूप में घर की तरफ बढ़ने के लिए तैनात किया गया। घर से रुक - रुक कर गोलीबारी हो रही थी। निरीक्षक खत्री और कांस्टेबल भट्ट अंधेरे का लाभ उठाकर घर के आगे के दरवाजे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अंदर के उग्रवादी ने प्रथम मंजिल के एक कमरे के अंदर शरण ले ली। अवरोधों के बावजूद, दोनों घर की पहली मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए जहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति छिपा हुआ था। जैसे ही कांस्टेबल भट्ट ने कमरे में घुसने का प्रयास किया, उग्रवादी ने उन पर गोलीबारी शुरु कर दी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। निरीक्षक खत्री, जो कि कांस्टेबल भट्ट के साथ थे, ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की। आतंकवादी बच कर भागने के लिए खिड़की से बाहर कूद पड़ा लेकिन निरीक्षक खत्री ने उसी खिड़की से गोली चलायी और उस संदिग्ध व्यक्ति को मार गिराया। मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में फारुख अहमद गनाई, कोड नाम "जफर" के रूप में की गई। घटनास्थल से एक के - 47, 05 ए के - 47 मैगजीनें, 01 लांचर, 151 ए के - 47 गोलाबारुद, 04 हथगोले, 06 लांचिंग ग्रेनेड और 04 चीन निर्मित पिस्तौल राऊंड्स बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री अब्दुल रशीद भट्ट, कांस्टेबल और श्री उमांग खत्री, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 फरवरी, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 40 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

(दिवंगत) सर्व/श्री

1. सुरेन्द्र पाल सिंह गुलेरिया, सहायक कमान्डेट/जी.डी.
2. ललित सिंह, हैड कांस्टेबल/जी.डी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव बुनागुंड (एम.जैड-1453) में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 10वीं बटालियन ने उग्रवादियों को पकडने के लिए श्री.पी0के0 बसमाना कमान्डेट के नेतृत्व में एक तलाशी अभियान आयोजित किया । अभियान के लिए तैनात जवानों को, श्री एस.पी.एस. गुलेरिया, सहायक कमान्डेन्ट/जी.डी. और श्री एस0एस0 हस्ता उप कमान्डेंन्ट, जी. डी. के नेतृत्व में दो ग्रुपों में विभाजित किया गया। श्री एस.पी.एस. गुलेरिया, सहायक कमान्डेन्ट संदिग्ध मकान में घुसने के लिए प्रथम तलाशी पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी । श्री गुलेरिया, सहायक कमान्डेन्ट ने मकान के ताले तोड़ने के बाद भूतल की तलाशी शुरू कर दी । पार्टी ने भूतल की तलाशी ली और उसके बाद प्रथम तल पर गई । जैसे ही श्री गुलेरिया अपनी पार्टी के साथ कमरे में दाखिल हुए, छिपे हुए उग्रवादियों ने गोलियों की भारी बौछार कर दी । श्री गुलेरिया ने गोलियों का जबाब दिया । भारी व्यक्तिगत जोखिम मोल लेते हुए वे रेंगते हुए उग्रवादियों के मोर्चे तक पहुंचे और उन पर गोलियां चलायी, जिसके परिणामस्वरूप एक खुंखार उग्रवादी मारा गया, जिसकी पहचान बाद में इसहजी, पुत्र मोहम्मद रमजान, निवासी इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप से संबंधित के रूप में की गई । इसी क्षण कमरे के दूसरे किनारे पर मोर्चा सम्भाले दूसरे उग्रवादी ने श्री गुलेरिया पर गोली चलायी और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए । श्री गुलेरिया ने तत्काल अपनी पार्टी को आड़ लेने/पिछे जाने का संकेत दिया, इस प्रकार से उन्होंने अपनी कमान के अधीन जवानो के प्राण बचाये । अन्दरूनी घेरा पार्टी का मोर्चा बदलने का निर्णय लिया गया । हैड कॉंस्टेबल ललित सिंह, जो इस अन्दरूनी घेरा पार्टी के सदस्य थे, अपना मोर्चा बदलने के लिए आगे आए । श्री ललित सिंह, हैड कांस्टेबल अदम्य साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच रेंगते हुए गए और मोर्चा सम्भाला जहां से उन्होंने दूसरे उग्रवादी को गोली से मार गिराया, जिसकी पहचान बाद में तारिक अहमद मलिक, पुत्र मोहम्मद अफसल अफजल, निवासी नौगाम अनन्तनाग (जम्मू और कश्मीर), हरकत-उल-मुज्जाहिदीन ग्रुप के सदस्य के रूप में की गई । इस कार्रवाई में, उन्हें उग्रवादियों की गोलियों की बौछार लगी । उन्हें 92 बेस अस्पताल, श्रीनगर ले जाया गया, जहां उन्हें अत्यधिक खून बह जाने के कारण मृत लाया गया घोषित किया गया । मुठभेड स्थल से 2 ए.के. श्रेणी राईफले, 04 ए.के. मैगजीन, 2 हथगोले, 03 राईफल ग्रेनेड, 01 ग्रेनेड लांचर, 15 राउन्ड ए.के. गोलाबारूद और एक रेडियो सेट बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) सर्व/श्री सुरेन्द्र पाल सिह गुलेरिया, सहायक कमान्डेन्ट/जी.डी. और ललित सिंह हैड कान्सटेबल/जी.डी. ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 10 नवम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 41 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

(दिवंगत) श्री बाबूशंकर शुक्ला
सहायक उप निरीक्षक, झाबुआ

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

5 फरवरी, 1999 को लगभग 22-30 बजे आग्नेयस्त्रों, तीर-कमानों, तलवारों और कुल्हाड़ियों से लैस 60-70 आदिवासी अपराधी कुंदनपुर गांव में आये और श्री राधेश्याम के घर में डकैती डाली, जहाँ 7-8 महिलाएं ही उपस्थित थीं। इसी बीच कुंदनपुर चौकी के प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक बाबू शंकर शुक्ला ने महिलाओं का शोर सुना और तत्काल घटनास्थल की तरफ गए तथा अपनी 12 बोर की गन से एक गोली चलाई लेकिन एक डकैत ने एक वृक्ष की आड़ से श्री शुक्ला पर गोली चलाई । गोली श्री शुक्ला के सीने में लगी लेकिन उन्होंने बहुत वीरता दिखाई और अपराधियों पर दो गोलियाँ चलाईं तथा उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और इस प्रकार से गांव के अन्य घरों में डकैती पड़ने से बचाया जा सका। कुछ घंटों के पश्चात श्री शुक्ला ने दम तोड़ दिया। घटना के दौरान श्री शुक्ला के पास सिर्फ एक कांस्टेबल था जिसे जिला मुख्यालय और समीप के पुलिस स्टेशन को सूचित करने के निदेश के साथ चौकी पर छोड़ आए थे। श्री शुक्ला अकेले 60-70 सशस्त्र डकैतों के साथ लड़े और ड्यूटी पर रहते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री बाबूशंकर शुक्ला ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 फरवरी, 1999 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 42 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री काशीनाथ सोपान कचीर
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28.07.2000 को लगभग 19.30 बजे वांग्ले एस्टेट पुलिस स्टेशन के पी एस आई चोगले को सूचना प्राप्त हुई कि छोटा शकील गिरोह का एक कुख्यात अपराधी नामत: सागीर अहमद फकीर मोहम्मद कुरैशी अपने साथी के साथ जैमालसिंह पैट्रोल पंप को लूटने के लिए टेलको कंपनी कंपाऊड के नजदीक की सर्विस रोड से आएगा। पी एस आई चोगले ने यह सूचना वाग्ले एस्टेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को भेजी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काचरे, पुलिस उप निरीक्षक चोगले और पुलिस कास्टेबल जीवन नाइक तथा पुलिस कांस्टेबल संजय सावत स्टेशन डेरी में आवश्यक प्रविष्टि करने के पश्चात तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। स्टेशन रोड पर पहुँचने के पश्चात दो दल बनाए गए। लगभग 20.20 बजे दो व्यक्ति सर्विस रोड से आते हुए दिखाई दिए। जब वे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काचरे और पुलिस कास्टेबल नाइक के नजदीक पहुँचे, तब पुलिस कांस्टेबल नाइक ने उनमें से एक की सागीर कुरैशी के रुप में पहचान की, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काचरे ने यह बताते हुए कि वे पुलिस कार्मिक हैं, कुरैशी को तत्काल रुकने के लिए कहा। इस पर कुरैशी का साथी सर्विस रोड से भाग गया। कुरैशी ने आग्नेयास्त्र निकाल लिया और पुलिस निरीक्षक काचरे को चेतावनी दी कि वह उसे न पकड़े, अन्यथा वह उसे गोली मार देगा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काचरे और पुलिस उपनिरीक्षक नाइक, कुरैशी की तरफ बढ़े, जिसने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काचरे पर एक राऊंड गोली चलायी और अपने हथियार को पुन: लोड करने का प्रयास किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, काचरे के अपने बायें पांव के टखने पर गोली लगने से वे जख्मी हो गए। इस पर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काचरे ने दो राऊंड गोलियां चलाई और पुलिस उप निरीक्षक चोगले ने, आत्मरक्षा में कुरैशी पर, अपने सर्विस रिवाल्वर से एक राऊन्ड गोली चलाई जिससे वह जख्मी हो गया। श्री कुरैशी को इलाज के लिए तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री काशीनाथ सोपान काचरे, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 जुलाई, 2000 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 43-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री विठ्ठल आनंद पाटिल,
उप निरीक्षक,
कोल्हापुर, महाराष्ट्र,

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गैंगों के दो कुख्यात अपराधी (I) भीम्या अर्गड्या पवार तथा (II) शेल्वक्या जुरब्या पवार की डकैती और लूट के अनेक मामलों में तलाश थी। एस डी पी ओ इस्लामपुर को सूचना मिली कि उक्त दोनों अपराधी फिल्म देखने के लिए वाल्वा गांव में आएंगे। 13.3.97 को एस डी पी ओ इस्लामपुर ने टूरिंग टाकीज, वाल्वा पर छापा मारने का प्रबंध किया। छापामार पार्टी में एक पुलिस उप अधीक्षक, एक निरीक्षक छः उप निरीक्षक तथा 27 जवान शामिल थे। छापामार दल के प्रभारी ने सभी अधिकारियों व जवानों को टाकीज के आस-पास के क्षेत्र में तैनात कर दिया। 22.45 बजे एक उप निरीक्षक तथा 3 जवानों को वांछित अपराधियों की तलाश करने का कार्य सौंपा गया। पुलिस को देखकर दोनों अपराधी अपने हाथों में चाकू लेकर भागने लगे। कांस्टेबल पाटिल ने एक अपराधी भीम्या अर्गड्या पवार को धर दबोचने का प्रयास किया। अपराधी ने श्री पाटिल की जांघ में चाकू मार दिया। तथापि, इन्होंने इस अपराधी को दबोच लिया। दूसरा अपराधी शेलक्या जुरब्या पवार भी चाकू हाथ में लिए भाग रहा था। पुलिस उप निरीक्षक वी ए पाटिल ने अपराधी को भागते हुए देख लिया। इन्होंने उसका पीछा किया तथा उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। हताश अपराधी ने मुक्त होने के लिए श्री पाटिल के सीने पर गंभीर घाव किया हालांकि श्री पाटिल के सीने पर गभीर घाव था फिर भी इन्होंने अपराधी को मजबूती से पकड़ लिया तथा उसे अन्य अधिकारियों तथा जवानों के हवाले कर दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री विठ्ठल आनंद पाटिल, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 मार्च, 1997 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 44-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री टी एच कृष्णतोम्बी सिंह
उप निरीक्षक

(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

10.11.2000 को मायाना इम्फाल पुलिस स्टेशन के पुलिस कार्मिकों से भूमिगत तत्वों द्वारा कुछ शस्त्रास्त्र लूट लिया गया। कमांडो पार्टियों को आस-पास के ग्रामों में तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया। लफूपत टेरा अन्तर ग्राम सड़क पर एक मिनी टाटा ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। ट्रक की संदिग्ध हरकत देखकर उप निरीक्षक कृष्ण तोम्बी सिंह ने वाहन को रोका, जांच की तथा उसमें सवार लोगों का सत्यापन किया। इसमें दो महिलाओं सहित कुल छ व्यक्ति सवार थे। ये दोनों महिलाएं युनाइटेड नैशनल लिबरेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ) की सदस्य थीं। आगे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने हेनाल ग्राम में शिविर में ठहरे उनके कामरेडों के प्रयोग के लिए जैतूनी रंग की वर्दी पहुंचाने के लिए टाटा ट्रक का अपहरण किया था तथा उक्त वर्दियों को उतारने के बाद वापस लौट रहे थे। यह जानकारी मिलने पर कि हेनाल ग्राम में बड़ी संख्या में उग्रवादी हैं, श्री कृष्ण तौमबी सिंह उप निरीक्षक तथा उनकी पार्टी बरास्ता कुम्बी ग्राम से होकर हेनाल ग्राम की ओर रवाना हुई। यह पार्टी कुम्बी ग्राम पहुंचने पर एम मुबी सिंह, निरीक्षक के नेतृत्व में एक अन्य कमांडो पार्टी से मिली। यह पार्टी कुम्बी से होकर सुग्नु क्षेत्र की ओर जा रही थी। कमांडो के दोनों ग्रुपों को कुम्बी में पुनर्गठित किया गया तथा हेनाल गांव में अतिवादियों की मौजूदगी की पक्की सूचना के आधार पर वे सुग्नु क्षेत्र की ओर बढ़े जहां हेंगल गांव स्थित है। जब कामंडो लाइनगोबी ग्राम से लेइनगैनाचिना की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक अन्तर-ग्राम सड़क के साथ एक धान के खेत में 3-4 युवकों को देखा। कमांडों को देखकर, खतरे को भांपते हुए युवक पीछे हटकर दूसरी ओर जाने लगे। तत्काल श्री कृष्ण तोम्बी जिनकी पार्टी टुकड़ी के आगे चल रही थी, ने युवकों को रुकने को कहा। तथापि, युवकों ने उनकी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देते हुए जमीन की ऊंची सतह की आड़ लेकर पुलिस दल पर गोलियां चलानी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण तोम्बी और उनकी पार्टी, भारी गोलीबारी करते हुए उनका पीछा कर रही थी। श्री मुबी सिंह, निरीक्षक तथा उनकी पार्टी बांई ओर से इस मुठभेड़ में शामिल हुई। अचानक युवक काफी गहरी खाई में कूद गए तथा अपने आपको खाई में छुपते-छुपाते कमांडों पर गोलियां चलाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे। श्री कृष्ण तोम्बी तथा उनकी पार्टी ने पोजीशन लेकर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण तोम्बी ने यह अनुमान लगाकर कि युवक पहाड़ी क्षेत्र में बच निकल सकते हैं, वे दाईं ओर बढ़े और मुठभेड़ में एक युवक को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में के इनौबा शर्मा के रुप में हुई जो यू एन एल एफ का दुर्दान्त नेता था। मृतक के पास से 14 जिन्दा कारतूसों समेत एक ए के 47 राइफल बरामद हुई। पहाड़ी की ओर भागते हुए दूसरा युवक निरीक्षक मूबी तथा उनकी पार्टी द्वारा मारा गया। बाद में उसकी पहचान निग्नथोउजाम चित्रसेन उर्फ अबुनाचा उर्फ रोमी के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री टी.एच. [illegible]म्बी सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10.11.2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 45 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वाई किशोर चंद सिंह, उप निरीक्षक
2. एन नग्मखोलियन वाईफेई, नायक
3. एल धनबीर सिंह, कांस्टेबल
4. वाई बिपिन सिंह, राइफल मैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.12.2000 को लगभग 2.30 बजे अपराहन एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सशस्त्र युवक, जो 17.12.2000 को सेकमाई पुलिस स्टेशन के संतरी से शस्त्रास्त्र छीनने के मामले में संलिप्त थे, लोइटांग खुनोउ क्षेत्र में ठहरे हुए हैं। उक्त विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक एम. मुबीसिंह, निरीक्षक, टी एच कृष्णातोम्बी सिंह, निरीक्षक पी जोन सिंह, उप निरीक्षक एम सुधीर कुमार तथा उप निरीक्षक किशोरचंद सिंह के नेतृत्व में पांच कमांडो टीमों को उक्त क्षेत्र में तलाशी अभियान पर तैनात किया गया। उक्त टीमों ने गांव के दक्षिण पश्चिम भाग में घर - घर की तलाशी ली। धान के एक खेत के मध्य में बनी अकेली झोंपड़ी में उनके उपस्थित होने का संदेह होने पर उप निरीक्षक किशोर चंद, नायक एन नग्मखेलियन रायफल मैन वाई. विपिन सिंह और कांस्टेबल एल. धनबीर सिंह के साथ उस झोंपड़ी की ओर बढ़े। श्री किशोर चंद सिंह ने झोंपड़ी में 5/6 व्यक्तियों को देखने पर उन्हें झोंपड़ी से बाहर आने को ललकारा । तथापि, युवकों ने चेतावनी को सुनकर पुलिस कमांडो पर गोली चलाना शुरु कर दिया और कमांडो ने भी पोजीशन लेकर जवाबी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। सबसे आगे कमांडो उप निरीक्षक किशोरचंद भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े तथा कमांडो की कड़ी/कार्रवाई का आभास पाकर कुछ सशस्त्र युवकों ने समीप की पहाड़ी की ओर भागने का प्रयास किया। श्री किशोरचंद ने अपने साथियों को पीछा करने को कहा ताकि वे भाग न पाएं। श्री किशोरचंद तथा कांस्टेबल धनबीर सिंह बांई ओर से तथा नायक नग्मखोलियन और राइफलमैन विपिन दांई ओर से आगे बढ़े। मुठभेड़ के दौरान झोंपड़ी से भाग रहा एक युवक गोली का शिकार हुआ तथा उनमें से कुछ युवक पहाड़ी पर बांसों के झुरमुट की आड़ लेकर भाग गए। घायल युवक की बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई। मृतक के पास से 9 एम.एम. कैलीबर की 03751 नंबर वाली एक थोमसन कारबाईन 4 जिन्दा कारतूसों से भरी एक मैगजीन बरामद की गई। 7.62 एम.एम. केखाली खोल तथा 9 एम.एम. का गोला बारुद भी बरामद किए गये और तलाशी लेने पर श्री किशोर चंद ने धान के खेत की बाड़ के पीछे घुसे एक अज्ञात युवक को देखा। इस युवक को कमांडो ने धर दबोचा जिसकी पहचान बाद में नोंगमीकपम ननाओसिंह उर्फ केन्टीमनाओं, पुत्र एन. इबोतोम्बी सिंह, निवासी सेन्जम चपटाऊ के रुप में की गई जोकि गैर कानूनी संगठन "कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी" का खुंखार सदस्य था। इस युवक ने बताया कि वह सेक्माई पुलिस स्टेशन से शस्त्रास्त्र लूटने में शामिल था। उसके कब्जे से 9 एम.एम. की एक पिस्तोल जिसमें 9 एम.एम. की 3 गोलियां भरी थी, बरामद हुई। मारे गए युवक की पहचान बाद में तोरांगबाम मिखबी मेतेई उर्फ गोर मणि, पुत्र टी लुखोई सिंह, ग्राम लोइटांग चपराऊ के रुप में हुई जो गैर कानूनी संगठन कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम इम्फाल का स्वंयभू कमांडर भी था।

इस मुठभेड़ में, श्री सर्वश्री वाई किशोरचंद सिंह, उप निरीक्षक, एन. नग्मखोलियन वाईफेई, नायक, एल. धनबीर सिंह, कांस्टेबल और वाई. विपिन सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 दिसम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 46 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. एल. संतोष सिंह, उप निरीक्षक
2. मो0 शौकत अली, कांस्टेबल
3. पी. मोहन सिंह, कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

21 सितम्बर, 2001 को एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप निरीक्षक श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में तथा उप निरीक्षक श्री जॉय चन्द्र सिंह के सहयोग से पुलिस कमांडो की एक टीम, एक वाहन में घूम रहे सशस्त्र भूमिगत तत्वों को पकड़ने के लिए कोंगबा क्षेत्र में तैनात की गई । शाम को लगभग 5.15 बजे नीले-काले रंग की एक मारुति वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एम एन-आई ए/5021 था, संदेहास्पद ढंग से उचेकोन की तरफ तेज गति से जाती देखी गई । इसे जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया । तथापि, वाहन चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी तथा भागने का प्रयास किया । उप निरीक्षक संतोष सिंह तथा उनकी टीम ने भागते वाहन का पीछा किया । मारुति में सवार लोगों ने पीछे की विंड स्क्रीन से पुलिस टीम पर गोलियां चलाई जो पुलिस की मारुति जिप्सी के आगे वाले भाग पर लगी । श्री संतोष सिंह तथा कमांडो सर्वश्री (i) मो0 शौकत अली (ii) पी0 मोहन सिंह (iv) आर0 सलोनी रेजन तथा (v) एम थाइबेई ने भागते हुए वाहन पर जवाबी गोलीबारी की । इसी बीच उप निरीक्षक जॉय चन्द्रसिंह तथा उनका सचल दस्ता, जिसमें सर्व श्री सुशील शर्मा तथा के.एच. चन्द्रशेखर थे, भी इस में शामिल हो गया तथा उन्होंने भी उग्रवादियों के वाहन पर गोलियां चलाई, क्षतिग्रस्त हो जाने पर मारुति वैन रुक गई । तथापि, उग्रवादी मारुति वैन के अंदर से गोलियां चलाते रहे । यह मुठभेड़ लगभग दस मिनट तक चली । उग्रवादियों की ओर से गोली-बारी बंद होने के बाद ही पुलिस कमांडो ने गोली बारी बंद की । कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद श्री संतोष सिंह तथा उनकी टीम सरकते हुए उस वाहन की ओर बढ़ी तथा उन्होंने धीमे-धीमे कराहने की आवाज सुनी । आगे जांच करने पर उन्होंने देखा कि दो भूमिगत तत्व घटनास्थल पर मरे पड़े हैं तथ एक गंभीर रूप से घायल है । मारे गए दोनो व्यक्तियों की पहचान थिन्गानाखा फुरामफोंग के माइबाम अबंग सिंह और उडीपोक क्वाई ब्रह्मपुर लेइकाई के क्षेत्री मापूम माओबी उर्फ सुदेश के रूप में की गई। दोनों ही प्रीपाक संगठन के थे । घायल व्यक्ति की पहचान बाद में खांग्रोक गांव के असीम राजन सिंह पुत्र (स्व0) ए याइमासिंह के रूप में हुई जिसे तत्काल जे.एन. अस्पताल पहुंचाया गया तथा चिकित्सा प्रदान की गई । मारे गए उग्रवादियों के कब्जे से 18 सक्रिय राउंड सहित दो ए.के.-56 राइफलें, दो ए.के.-56 मैगजीनें तथा एक चीनी हथगोला बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री एल.संतोष सिंह उप निरीक्षक, मो0 शौकत अली, कांस्टेबल तथा पी0 मोहन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 सितम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

स0 47 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) एल कैलुन, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक, इम्फाल

(2) जॉन एस शिलशी, एम पी एस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)

(3) एन राजन सिह, उप निरीक्षक

(4) टी एच कृष्णातोम्बी सिह, उप निरीक्षक(वीरता के लिए पुलिस पदक का बार)

(5) एन. हीरामणी सिह, कास्टेबल

(6) टी एच जयचद्र सिह, कास्टेबल

(7) के एच रणजीत सिह, कास्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18 5.2000 को एक विश्वसनीय सूचना मिली कि हथियारों से अच्छी प्रकार से लैस लगभग 6/7 अतिवादियो का एक ग्रुप बाग्खेई बाग्खेईमायूम लेराक के एक फूलेन्द्रो सिह के घर पड़ाव डाले हुए था। अतिवादियो को दबोचने के लिए श्री एल. केलुन, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी इफाल, श्री जॉन एस. शिलशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पश्चिमी इफाल, श्री एम रामेश्वर सिह, ओ सी/पोरोम्पत पुलिस स्टेशन, सी डी ओ पूर्वी इफाल के उप-निरीक्षक राजन सिह और सी डी ओ पश्चिमी इफाल के उप-निरीक्षक कृष्णातोम्बी सिह को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया। 12 45 बजे के करीब जब दल क्षेत्र की घेराबदी कर रहा था, अतिवादियो ने एक इमारत से, जहाँ वे छिपे हुए थे, स्वचालित हथियारो से भारी गोलीबारी की। उप-निरीक्षक एन. राजन सिह, कास्टेबल हीरामणी सिह और कास्टेबल के एच रणजीत सिह पूर्वी दिशा से पहली मजिल, जो आतकवादियों द्वारा कवर नही किया गया प्रतीत होता था, पर चढने मे कामयाब हो गए। इमारत के पूर्वी हिस्से पर बचकर भाग निकलने के रास्तो को कारगर रुप से बद करने के अलावा, इन तीनो कमाडो ने रुक-रुक कर गोलीबारी करके आतकवादियो को नियत्रण मे रख सके। श्री एल केलुन और तीन पुलिस कास्टेबलों, जिन्होंने इटो की दिवार के पीछे मोर्चा ले रखा था, अतिवादियो पर वापस गोलिया चलायी, जिसने कुछ हद तक अतिवादियो को गोलीबारी करने से रोका । इसी बीच, उप-निगेक्षक एन. राजन सिह, कास्टेबल, हीरामणी और रणजीत सिह, अतिवादियों को पश्चिम की ओर धकेलने मे कामयाब हो गए। पुलिस ने उन्हें समर्पण करने के लिए तथा उनके द्वारा बधक बनाए गए नागरिको को छोड देने के लिए घोषणाए की, लेकिन इसका कोई परिणाम नही हुआ। इसकी बजाय, अतिवादियों ने पुलिस को चेतावनी दी। इसके बाद इमारत पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया। सर्व/श्री एल केलुन, शिलशी और कृष्णातोम्बी सिह, एक सीढी की मदद से इमारत की छत पर चढ़े। जब चार पुलिसकर्मी सीढ़ियो से नीचे उतर रहे थे, तभी एक अतिवादी न, जिसके हाथ में तौलिए से ढकी हुई एस

एल आर थी, समर्पण करने की मुद्रा में अपना बायां हाथ उठाया, जबकि उसका दायां हाथ उपयुक्त समय पर ट्रीगर को दबाने के लिए गन पर था, श्री शिलशी, श्री कृष्णातोम्बी और कांस्टेबल जयचंद्र ने तत्काल इस बात को नोटिस कर लिया और तत्काल गोलियाँ चला कर उसे घटनास्थल पर मार दिया। अतिवादी पुलिस की तरफ गोलीबारी करते हुए बंधक बनाए गए नागरिकों को दो अलग-अलग कमरों में ले गए, श्री एल. केलुन और उप निरीक्षक कृष्णातोम्बी दोनों ने मिलकर उत्तरी हिस्से के एक कमरे के अंदर एक अतिवादी को मार गिराया। उप-निरीक्षक राजन, कांस्टेबल हीरामणी और रणजीत दक्षिणी हिस्से के एक कमरे में गए जहाँ पर एक अतिवादी ने दो व्यक्तियों को बंधक बना रखा था और अतिवादी को मार गिराया तथा बगैर किसी नुकसान के नागरिकों को छुड़ा लिया। अन्य दो अतिवादियों, जो दक्षिणी दिशा की तरफ बच कर भाग गए थे, को भी सिविल पुलिस कमांडो और असम राइफल्स के संयुक्त बल द्वारा मार गिराया गया। मारे गए अतिवादियों की पहचान बाद में (1) लेशराम मेगाचन्द्रा सिंह, (2) सनाबम कृष्णामोहन सिंह (3) मोइरंगथम रोमेश सिंह और (4) मुतुम मोहन सिंह, प्रीपाक (पी आर ई पी ए के) लड़ाकू ग्रुप के सदस्यों के रुप में की गई। उनसे 20 राऊन्ड के साथ 1 ए के 47 राइफल, 1 एम - 20 राइफल, 60 राऊन्ड के साथ 1 एस एल आर, 8 एच ई बमों के साथ एच ई बमों/रॉकेट लांचर को चलाने वाले डिस्चार्ज सिलंडर के साथ एक .303 राइफल और 7 बेलिस्टिक राऊन्ड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एल. केलुन, पुलिस अधीक्षक, जॉन एस शिलशी, अतिरक्ति पुलिस अधीक्षक, एन. राजन सिंह, उप-निरीक्षक, टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह, उप निरीक्षक, एन हीरामणी सिंह, टी एच. जयचन्द्र सिंह, कांस्टेबल एवं के एच. रणजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 मई, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

**(वरुण मित्रा)**
**निदेशक**

सं0 48- प्रेज/2002-राष्ट्रपति, मिजोरम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

(दिवंगत) श्री रोकुंगा पोतु,
चालक/हवलदार, प्रथम बटालियन, मिजोरम सशस्त्र पुलिस, एजवाल

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

जून, 2000 के माह में, बी एन एल एफ द्वारा लुंगली जिले के पश्चिमी बेल्ट की सीमा के गांव वालों से पैसे को वसूलने और जबरन उगाही के संबंध में रिपार्टें प्राप्त हुईं । क्षेत्र से विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए और क्षेत्र के ग्रामीणों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए डी एस बी, ऐजवाल जिले के दो कर्मियों के साथ मिजोरम पुलिस की सशस्त्र प्रथम बटालियन के हंटर बल के एक प्लाटून को तैनात किया गया। 30.6.2000 को, आपरेशन दल सेसन से त्लाबंग को जा रहा था और जब कार्मिकों को ले जा रहा वाहन बिआनदियासोरा के समीप एक तंग मोड़ को पार कर रहा था, तो बी एन एल एफ उग्रवादियों के ग्रुप द्वारा दल पर समीप के एक टीले से भारी गोलीबारी की गई। ऑपरेशन दल के 6 कर्मी वहीं पर मारे गए और चार गंभीर रुप से घायल हो गए। श्री रोकुंगा पोतु को गोलियों की पहली बौछार में ए के - राइफलों से चार गोलियाँ लगीं, दो उनके सीने पर और अन्य दो उनके पेट में लगीं । श्री पोतु, जब तक चालक सीट से गिर नहीं गये तब तक वाहन और दल को बचाते हुए घटनास्थल से 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक ले जाने में कामयाब हो गए। वे उठने में कामयाब हुए और अपने सहकर्मियों को सांत्वना देने के लिए वाहन की सीट के सामने बैठ गए और अपनी अंतिम सांस तक वाहन के स्टीयरिंग को पकड़े रह कर अपने साथियों को जवाबी हमला करने के लिए कहा। दल गोलीबारी का जवाब देने में समर्थ था और उग्रवादी भाग गए, श्री पोतु ने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। हवलदार/चालक पोतु की बहादुरी के कारण ही, शस्त्र और गोलाबारुद तथा वाहन सहित शेष 15 पुलिस कार्मिकों की जानें बचा ली गईं।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री रोकुंगा पोतु, चालक/हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 जून, 2000 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 49-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवगत) श्री मनोरंजन देबबर्मा,
एस डी पी ओ, जिरानिया, जिला पश्चिम त्रिपुरा

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26.05.2001 को ओ. सी. जिरानिया पुलिस स्टेशन को लगभग 00.15 बजे विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि पश्चिम त्रिपुरा जिले में जिरानिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोहनकोबरा/घागरा के जगलों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) का शस्त्रों से पूरी तरह लैस एक ग्रुप मौजूद है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, स्पेशल टास्क फोर्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स तथा जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक तथा सी ओ स्तर पर एक संयुक्त अभियान की तैयारी की। मोहनकोबरा, घागरा, कुटुईपारा, दुखिया कोबरा और दुलूकोबरा के पश्चिम में छिपने के ठिकाने के पश्चिम, उत्तरी तथा पूर्वी दिशाओं में घात लगाने वाली पांच पार्टियां तैनात की गईं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्लाटूनों और पुलिस स्टेशन अधिकारियों सहित एक हमला पार्टी को विस्तरित फार्मेशन में रतनपुर गुरुपाडा रोडयाइड से होते हुए दक्षिणी छोर से मोहनकोबरा की पहाड़ियों को छानने के लिए तैनात किया। ज्योंही तलाशी अभियान प्रारंभ हुआ हमला पार्टी पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की जिसका पुलिस कार्मिकों ने करारा जवाब दिया। गोलीबारी के दौरान एक उग्रवादी मारा गया तथा शेष उग्रवादी इस क्षेत्र से उत्तरी पहाड़ियों की और भागने में सफल हो गए। 12 एस टी एफ जवानों के साथ सहायक उप निरीक्षक राखाल चौधरी के नेतृत्व में घागरा स्थित घात पार्टी पर भी उग्रवादियों ने गोलीबारी की। चूंकि, यह पार्टी उग्रवादियों के बच निकलने के संभावित मार्ग पर निचली ओर तैनात थी इसलिए इस पार्टी ने और कुमुक की मांग की। मांग के उत्तर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एस धर तथा तत्कालीन एस डी पी ओ श्री मनोरंजन देबवर्मा, ने तत्काल टी एस आर, पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को एकठ्ठा किया तथा घागरा में एस टी एफ कार्मिकों के साथ शामिल हो गए। इस अतिरिक्त कुमुक के साथ प्रात: 7.00 बजे लगभग उत्तरी छोर से बच कर निकलने के सभी मार्ग पूरी तरह बंद कर दिए गए। अपने आप को सुरक्षा बलों से घिरा पाकर उग्रवादियों ने उत्तरी पहाड़ी पर बाहर निकलने का मार्ग पाने के लिए सुरक्षाबलों पर स्वाचालित हथियारों से भारी गोलीबारी करना तथा हथगोले फेंकना प्रारंभ कर दिया। विद्रोही पहाड़ी पर लाभकर स्थिति में थे तथा पुलिस पार्टियां निचली ओर थीं। श्री देबवर्मा के नेतृत्व में 6 टी एस आर कार्मिकों का एक छोटा दस्ता साहस दिखाते हुए पहाड़ी पर चढ़ गया। पहाड़ी पर 150 फुट चढ़ने के उपरांत उग्रवादी ग्रुप से उनका लगभग आमना-सामना हो गया तथा उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। अपने जवानों सहित श्री मनोरंजन देबवर्मा पहाड़ी के ऊपर चढ़ते रहे ताकि वे विद्रोहियों को निष्क्रिय कर सके/दबोच सकें। श्री देबवर्मा तथा उनके साथ गए दो टी एस आर कार्मिकों ने भीषण युद्ध किया तथा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ए टी टी एफ के दुर्दान्त दुनय बहादुर जमाटिया उर्फ त्रिलोक को मार गिराया। गोलीबारी के दौरान श्री मनोरंजन देववर्मा सीने में बांई ओर तथा जांघ में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए तथा घावों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। एक हैड कांस्टेबल सुधीर साहा के सिर में चोट लगी। मृत उग्रवादी के कब्जे से गोला बारुद सहित एक ए.के. 56 राइफल बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री (दिवंगत) श्री मनोरंजन देबबर्मा, एस डी पी ओ ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.5.2001 से दिया जाएगा।

अरुण मित्रा

(अरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 50 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

श्री एम एल लाथर, भारतीय पुलिस सेवा
पुलिस अधीक्षक(आई), अपराध अन्वेषण विभाग (सी बी), जयपुर

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

13.1.1997 को डकैतों के एक गिरोह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धौलपुर के नेतृत्व वाले एक बड़े पुलिस दस्ते पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें उन्होंने और खुलकर हथगोलों और अधुनातन आग्नेयस्त्रों का प्रयोग किया तथा एक कांस्टेबल को जख्मी कर दिया। 18.01.1997 को सूचना प्राप्त हुई कि यह गिरोह गांव खनसूरजपुर, जिला भरतपुर के समीप उपस्थित है। गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए श्री एम एल लाथर, पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर की अगुवाई में सर्किल अधिकारी श्री बारी के साथ एक छापा मारा गया। पुलिस दल को दो ग्रुपों में बांटा गया। पहले डकैतों की सर्किल अधिकारी बारी के अगुवाई वाले दल के साथ मुठभेड़ हुई। श्री लाथर ने मुठभेड़ स्थल की पश्चिमी दिशा की तरफ की एक दिवार के नजदीक मोर्चा लिया। जब डकैत उनके दल के सामने आए तब उन्होंने अपने आदमियों से डकैतों पर गोलीबारी शुरु करने के लिए कहा। श्री लाथर गोलीबारी करते रहे, और घूम-घूम कर अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते रहे तथा ऐसा कार्य किया जिसका कोई सानी नहीं था। गिरोह अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था जिससे न केवल पुलिस दल के सदस्यों की जानों को खतरा था बल्कि अनेक ग्रामीणों की जानों का भी खतरा था। श्री लाथर को अपनी आड़ छोड़नी पड़ी जिसमें उनके सामने आने का गंभीर खतरा था लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों तरफ से होने वाली गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीणों को कोई क्षति न पहुंचे, वे ग्रामीणों के पास गये और उन्हें मुठभेड़ स्थल से चले जाने के लिए चेतावनी दी। यह देखकर कि गिरोह का एक सदस्य रेंगते हुए पुलिस दल की तरफ बढ़ रहा है, श्री लाथर खुलेआम सरसों के खेत में भागे और मोर्चा सम्भाला तथा वहाँ से गिरोह को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए गोलीबारी शुरु कर दी। मुठभेड़ एक घंटे तक चली जिसके परिणामस्वरुप गिरोह का सरगना गोपाल काछी, सहित 3 डकैत उसका भाई और गिरोह के अभियानों के पीछे शातिर दिमाग वाले विजेन्द्र काछी और शिव सिह जाटव मारे गए। घटनास्थल से 151 सक्रीय कारतूस के साथ एक 9 एम एम कारबाईन, 17 कारतूसों के साथ एक 315 बोर की राइफल, 21 कारतूसों के साथ दो 12 बोर की बंदूकें और 3 एच ई - 36 ग्रेनेड तथा सैकड़ों खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री एम एल लाथर, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जनवरी, 1997 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

स0 51 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. राजीव कृष्ण, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ
2. तेजवीर सिंह, निरीक्षक सी.पी., फतेहगढ
3. रामशरण गोयल, उप निरीक्षक सी.पी., फतेहगढ
4. राजकरण उपाध्याय, हैड कांस्टेबल, फतेहगढ

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.10.99 को दोपहर मे फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कृष्ण को सूचना मिली की एक खुंखार अपराधी नेम कुमार दुबे उर्फ बिलैया, जिसके सिर पर 50,000/- रू0 का इनाम है, अपने सहयोगियों सहित ग्राम ईशाकपुर, पुलिस स्टेशन कमलागंज में उपस्थित है। पुलिस अधीक्षक श्री राजीव ने कमलागंज के एस0ओ0 को उपलब्ध बल के साथ वहां पहुंचने का निदेश देकर तत्काल अपने गनर हैड कांस्टेबल राजकरण उपाध्याय के साथ घटना स्थल पर पहुंचे । घोड़ों पर सवार बदमाशों को गांव की पूर्वी दिशा में देखा गया । डी सी आर को अतिरिक्त कुमुक भेजने का निदेश देकर श्री राजीव ने उपलब्ध बल का नेतृत्व किया और अपराधियों को ललकारा । बिलैया तथा उसके साथियो ने जबाव में पुलिस पार्टी पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई । पुलिस पार्टी ने भी जबाव में गोलीबारी की । परस्पर गोलीबारी में बिलैया की बांह में गोली लगी और वह घोडे से गिर पड़ा तथा गांव की और भागा जबकि उसके सहयोगी घोडे पर सवार होकर भाग गए। इस मुठभेड़ में हैड कांस्टेबल राजकरण उपाध्याय भी घायल हो गए । इसी बीच, वहां पहुंची अतिरिक्त कुमुक की सहायता से श्री राजीव ने उस मकान को घेर लिया जिसमें अपराधी छिपे हुए थे । श्री राजीव ने बल को दो भागों में बांटा तथा अन्य लोगों सहित श्री तेजबीर सिंह निरीक्षक को लेकर कवर प्रदान कर रही अन्य पार्टी के साथ, धावा पार्टी का नेतृत्व किया । गांव वालों से यह सुनिश्चित करने के बाद कि उस मकान में कोई बंधक नहीं है, उन्होंने टीम के साथ पोजीशन ले ली तथा बिलैया को हथियार डालने तथा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा । प्रत्युत्तर में अन्दर से गोलियों की बौछार हुई जिसमे निरीक्षक तेजबीरसिंह तथा उप निरीक्षक आर एस गोयल घायल हो गए । उसी समय अन्दर से एक हथगोला आया जो श्री राजीव के समीप आकर गिरा । उन्होंने तत्काल हथगोले को दूर फेंक दिया तथा इस प्रकार अपनी पार्टी की जानें बचाई । इस बीच बिलैया ने यह मानकर कि अफरातफरी के माहौल में उसे भागने का मौका मिल जाएगा, फूस की छत को आग लगा दी । श्री राजीव तथा अन्य अधिकारियों ने प्रवेश द्वारा तथा आंगन को चतुराई से कवर करते हुए तत्काल पोजीशन ले ली । लगभग 10 मिनट बाद बिलैया गोलियां चलाते-चलाते बाहर भागा । पुलिस पार्टी ने तुरंत जवाबी गोलीबारी की तथा कुख्यात डाकू को मार गिराया।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री राजीव कृष्ण, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, तेजबीर सिंह, निरीक्षक सी.पी., रामशरण गोयल उप निरीक्षक तथा राजकरण उपाध्याय, हैड कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 52 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. श्यामा कांत त्रिपाठी, निरीक्षक
2. विनय कुमार गौतम, उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5.5.99 को पुलिस अधीक्षक शहर को सूचना प्राप्त हुई कि एक नफीस चाउरा, एक कुख्यात अपराधी, कुछ व्यक्तियों से मिलने के पश्चात आलो मंडी और साईट सं0 1 के चौराहे से गुजरेगा । पुलिस अधीक्षक शहर ने नफीस चाउरा को गिरफ्तार करने के लिए थानाध्यक्ष सिसामन, श्री एस के त्रिपाठी को बुलाया । 19.40 के लगभग, एक मोटर साईकल पर सवार दो व्यक्ति किदवई नगर चौराहा की तरफ से आए और पुलिस दल से लगभग 50-60 गज दूरी पर रूक गए । उन्होंने मोटर साईकल को स्टैंड पर खड़ा किया और किसी की इंतजार करने लगे । पीछे बैठे, व्यक्ति जिसके कंधे पर बैग रखा था, की पहचान नफीस चाउरा के रूप में की गयी । उप-निरीक्षक बिनय कुमार गौतम उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़े । नफीस ने अपनी देसी स्टेनगन निकाल ली और उसके साथी ने अपनी कमर से देसी पिस्तौल निकाल ली और गोली चला दी । उसके बाद इस अफरातफरी में, एक अपराधी अपनी मोटर साईकल पर बच कर भागने में कामयाब हो गया, जबकि नफीस चाउरा ने अपने आपको पुलिस द्वारा घेर लिये जाने पर, उसने अपनी स्टेनगन से पहले-पहल उप-निरीक्षक वी के गौतम को जख्मी किया और आड़ लेने के लिए भागा । चूंकि नफीस चाउरा की स्टेनगन में कुछ खराबी आ गयी थी, निरीक्षक एस के त्रिपाठी ने नफीस को पकड़ लिया । इस कार्रवाई में, नफीस ने निरीक्षक त्रिपाठी को भी घायल कर दिया जिसने बट से दाहिने हाथ की हथेली पर चोट की और अपने को आजाद कर लिया । उसने बचने का प्रयास किया लेकिन पुलिस दल ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसका पीछा किया और उसे पुन: समर्पण करने की चेतावनी दी । लेकिन अपराधी लगातार गोलीबारी करता रहा । निरीक्षक त्रिपाठी और उसके दल के पास जबावी गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि बहुत से निर्दोष लोगों और पूरी पुलिस पार्टी की संरक्षा और सुरक्षा खतरे में थी । अपराधी, आखिरकार पुलिस की गोली से मारा गया । मुठभेड़ स्थल से एक .9 एम एम (देसी) और कारतूस के 2 खोल तथा सक्रीय कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री श्यामाकांत त्रिपाठी, निरीक्षक एवं विनय कुमार गौतम, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5मई, 1999 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

स0 53 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्रीमती तिलोत्मा वर्मा, भारतीय पुलिस सेवा
पुलिस अधीक्षक, हाथरस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.5.2000 को, हाथरस मे दिन दहाड़े सिटी बैक डकैती में, पाँच सशस्त्र डकैतो ने दो बैक कर्मचारियो को मार दिया और एक बदूक तथा छह लाख रु0 लूट लिए। सूचना मिलने पर, श्रीमती तिलोत्मा वर्मा, पुलिस अधीक्षक, हाथरस और उनके दल ने तुरत कार्रवाई की तथा खतरनाक दर्रो और मैदानो से तब तक भगोड़ो का लगातार पीछा किया जब तक उनमे से दो को उस मैदान मे जाने के लिए विवश नही कर दिया गया जहा पर लबी घास खड़ी थी। समर्पण करने का निर्देश देने पर, उन्होंने पुलिस दल पर अधाधुध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी जिदगी को जोखिम में डालकर, निडरतापूर्वक हमला करने वाले दल की अगुवाई की और अन्ततः एक अपराधी को मार गिराने मे सफल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक राजपाल और निरीक्षक एन के यादव की अगुवाई मे अन्य दो दल ने गोलीबारी के बीच, हिम्मत से जवाबी हमला किया तथा दूसरे अपराधी को मार गिराया जोकि मैदान से भागने का प्रयास कर रहा था। बाद मे एक अपराधी की पहचान शरीफ पुत्र सलीम, जिस पर 10,000रु0 का इनाम था, के रुप मे और दूसरे अपराधी की पहचान गुड्डू उर्फ चुन्नीलाल के रुप मे की गई। मुठभेड़ स्थल से लूटी गई 4.90 लाख रु0 की राशि, गोलाबारुद के साथ एक 9 एम एम पिस्तौल और कारतूस के खोल, गोलाबारुद के साथ एक 30 कारबाइन, एक मारुती कार, एक मोटर साईकल तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्रीमती तिलोत्मा वर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 24 मई, 2000 से दिया जाएगा।

(अरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 54-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री राजेश कुमार चौरसिया
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.12.99 को लगभग 12.30 बजे श्री राजेश कुमार चौरसिया, कास्टेबल किसी सरकारी काम से पुलिस स्टेशन जा रहे थे। जब वे एक होटल (होटल पैराडाइज) के पास पहुचे तो उन्होंने एक जोर का धमाका सुना और देखा कि सभी ओर धुआ फैला हुआ है और लोग हड़बड़ी में इधर-उधर भाग रहे है। श्री कुमार घटना स्थल की ओर भागे और होटल के गार्ड तथा अपराधी के बीच हाथापाई होती देखी। ऐसा मालूम हुआ कि होटल के स्टाफ ने अपराधी को होटल के सामने मटरगश्ती करने से रोकने का प्रयास किया और इस पर अपराधी ने क्रोधित होकर गार्डों को मारने के इरादे से एक बम फेंका। श्री चौरसिया, कांस्टेबल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना शस्त्रधारी अपराधी को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। यद्यपि अपराधी द्वारा गोली चलाने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे फिर भी वे अदम्य साहस से उसे पकड़ने मे कामयाब हो गए।

इस मुठभेड़ में, श्री राजेश कुमार चौरसिया, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा।

(अरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 55 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

**अधिकारियों के नाम और रैंक**

सर्व/श्री

1. नरेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक, सी.पी.
2. दशरथ लाल, कांस्टेबल, 1066 सी.पी.

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

9.4.99 को लगभग 11.00 के पूर्वाह्न में गोरखपुर में स्वचालित हथियारो से लैस 2 अपराधियों ने यामाह मोटरसाईकल पर मैसर्स जालान ग्रुप की मारूती कार का पीछा किया। कम्पनी का खजांची झिन्कू प्रसाद और एक गनमैन महिन्द्र बैंक में 10 लाख रू0 जमा कराने के लिए कार से जा रहे थे । ट्रैफिक जाम के कारण कार के रूकते ही दोनो अपराधियों ने अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई जिससे श्री झिन्कू प्रसाद और महेन्द्र गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । अपराधियों ने नकदी लूटने का प्रयास किया । गोलियों की आवाज सुनते ही गश्ती कार-4 के ड्राईवर ने सन्देश प्रसारित कर दिया और पुलिस कार्मिक तत्काल घटनास्थल को रवाना हो गए । उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिंह, स्टेशन आफिसर और कांस्टेबल दशरथ लाल जो गश्ती-कार सं0 4 में ड्यूटी पर थे, तत्काल घटनास्थल की तरफ गए । पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद अपराधियों ने अपनी यामाह छोड दी और विभिन्न दिशाओं में भाग गए । कांस्टेबल दशरथ लाल, जिनके हाथ में डंडा था, ने उस अपराधी का पीछा किया जिसके पास स्टेनगन थी । उप निरीक्षक सिंह ने भी अपनी सर्विस रिवाल्वर के साथ उसी अपराधी का पीछा किया । अपराधी मोहल्ले की तंग गलियों से भागते हुए पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी कर रहा था । अन्ततः कांस्टेबल दर्शन लाल ने उसे दबोच लिया लेकिन अपराधी ने उन पर गोलियां चलाई जो उनके पेट में लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । इससे पहले कि अपराधी उप निरीक्षक सिंह पर गोली चलाने के लिए मुड़ता, इन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी राज कुमार मिश्रा उर्फ राज कुमार उर्फ बाबा की मृत्यु हो गई । दूसरा अपराधी बच कर भाग निकला । मारे गए अपराधी/घटनास्थल से एक स्टेनगन (फैक्टरी निर्मित सं0 284917) .9 एम.एम. के. 13 सक्रिय कारतूसों के साथ एक मैगजीन और .12बोर कम-एक कट्टा जिसकी नाल में एक चला हुआ कारतूस था और एक यामाह मोटरसाईकल के साथ चार कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक और दशरथ लाल, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अप्रैल, 1999 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

स0 56 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1 मुकेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद

2. जयनारायण सिह, रिजर्व निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.4 2000 को प्रात ही मुकेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद को सूचना मिली कि कुख्यात डकैतों का एक हथियार बद गिरोह ग्राम कुम्हरोर मे हेमसिह ठाकुर के घर में छिपा हुआ है । इस गिरोह के विरूद्ध जिला फर्रूखाबाद, शाहजहापुर, बदायू मे विभिन्न पुलिस थानों मे हत्या, डकैती, अपहरण व व्यपहरण के दर्ज अनेक मामले लम्बित थे । श्री शुक्ला ने इन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए लक्षित घर पर पहुचने के लिए पुलिस अधिकारियो की एक टीम गठित की । जैसें ही इस गिरोह को पुलिस की मैजूदगी की भनक पड़ी उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोली चलाना शुरू कर दिया । श्री शुक्ला ने पुलिस बल को तीन पार्टियों में विभाजित किया तथा प्रत्येक पार्टी को सामरिक महत्व के मोर्चे पर तैनात किया । जबकि श्री शुक्ला अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रामस्वरूप पहली पार्टी का तथा श्री जयनारायण सिह, रिजर्व निरीक्षक दूसरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे । पुलिस पार्टी ने डकैतों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी परन्तु आत्मसमर्पण करने की बजाए उन्होने पुलिस पर गोली चलाना जारी रखा तथा इस गोलीबारी मे कुछ पुलिस कार्मिक घायल हो गए । श्री सिह, जो दूसरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, मकान के पिछले भाग मे एक सुराख के जरिए लक्षित मकान में एक हथगोला फेंकने में कामयाब हो गए । घर में फसे डकैतों ने हताशा में घर से बाहर आकर श्री रामस्वरूप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जो अन्य पार्टी के प्रभारी थे, पर गोलिया चलाना प्रारभ कर दिया । अपनी पार्टी के पुलिस कार्मिकों के घायल होने के बावजूद श्री रामस्वरूप ने डाकुओं पर गोलिया चलाईं । पुलिस द्वारा डकैतों पर गोली चलाए जाने के कारण डकैतों ने पुन दरवाजे बद कर लिए । जब परस्पर गोलीबारी चल रही थी तो दूसरी पार्टी के प्रभारी श्री जायनारायण सिह ने अपनी पार्टी के साथ दीवार फाद ली और मकान की छत में सुराख करने में सफल हो गए । भारी गोलीबारी के बीच श्री सिह मकान की छत के सुराख से अदर हथगोला फेकने मे कामयाब हो गए । मकान में धुआ भर जाने के कारण डकैतों को आगन में आने के लिए विवश होना पड़ा और तभी श्री शुक्ला ने डकैतो पर गोली चलाकर दो डकैतो को घटनास्थल पर ही मार डाला । श्री रामस्वरूप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी श्री शुक्ला का साथ दिया तथा उनकी गोलीबारी के कारण एक और डकैत मारा गया । बाद में, पुलिस दरवाजा तोड़कर मकान मे घुसी तथा वहा पाच डकैत मृत पाए गए। बाद में उनकी पहचान सोबरनसिह उर्फ बडेलाला, सुनीता पत्नी बड़े लाल, अनिता उर्फ रानी ठाकुर, पत्नी रवेन्द्र सिह, राजू सिह तथा एक अज्ञात डाकू के रूप में की गई । घटनास्थल स ३ डी बी बी एल गने जिनकी स0 43225, ए-5729 तथा 5542 है, एस बी बी एल गन, एक .315 बोर राइफल एक पिस्तौल .22 बोर (देशी), एक लोहे की खुकरी बड़ी सख्या में जिन्दा व खाली कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड में, श्री मुकेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक तथा जयनारायण सिह, रिजर्व निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 10 अप्रैल, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 57-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, पश्चिम बगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारियों के नाम और रैक

सर्व/श्री

1. काजल मडल, कास्टेबल, जिला उत्तरी 24 - परगना
2. मृणाल काति बिश्वास, कास्टेबल, जिला उत्तरी 24 - परगना

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13 8.2000 को दोपहर मे कास्टेबल मृणाल कान्ति बिश्वास तथा कास्टेबल काजल मडल की सादे कपडो मे दमदम पुलिस थाना क्षेत्र के अतर्गत शातिर अपराधियों पर निगाह रखने की ड्यूटी लगाई गई ताकि वे कोई अपराध न कर सके। जब वे आर एन गुहा रोड के साथ-साथ गरुरहाटा की और बढ़ रहे थे तो इन्होने एक लाल रग की मारुति वैन को एक आशीष साहा की भवन निर्माण सामग्री की दुकान के सामने प्रतीक्षा करते देखा। इन्होंने देखा कि आशीष साहा उर्फ लाटा तथा राजीव साहा उक्त वाहन मे सवार लोगों से बातचीत कर रहे है। अचानक यह कार तेजी से गरुरहाटा की और बढ़ी जिससे कास्टेबलो के मन में सदेह पैदा हुआ और इन्होंने तत्काल कार का पीछा करना शुरु कर दिया। गरुरहाटा ट्रैफिक पाइट पर कार की गति धीमी हो गई तथा उक्त कार में बैठे 3 युवकों की शक्ल-सूरत और गतिविधिया असामान्य और सदेहास्पद लगी। कास्टेबलों ने उनकी पहचान करने के बाद उनसे कार के शीशे नीचे करने को कहा परन्तु उन्होने कास्टेबलों की इस बात की और कोई ध्यान नही दिया और कार मे भागने का प्रयास किया तथा पिछले दरवाजे से कास्टेबलो पर गोलिया चलाई। श्री बिश्वास की दाहिनी टाग मे गोली लगी परन्तु इन्होने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए बदमाशों का पीछा करना जारी रखा तथा अपनी सर्विस रिवाल्वर से तीन गोलिया चलाईं। श्री मडल ने भी तत्काल गोलियों का जवाब दिया तथा उस पिस्तौल, जिससे वह गोली चला रहा था, सहित एक अपराधी को पकड़ लिया। अभियुक्त ने अपनी कमर से एक और 9 एम एम पिस्तौल निकालने की कोशिश की। तथापि, श्री मडल तथा बिश्वास 19 राउद गोली-बारुद सहित दोनो पिस्तौलें छीनने मे सफल रहे। दूसरा अपराधी कार सहित भागने में सफल रहा। तत्काल ही दमदम पुलिस स्टेशन का आर टी गश्ती दल घटनास्थल पर पहुच गया तथा अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तथा उससे हथियार बरामद किए। आगे और जाच-पडताल के बाद पता चला कि अपराधी का वास्तविक नाम रशीद आलम उर्फ गब्बर उर्फ करण सिह है तथा मोहम्मद मियॉ, का पुत्र वह निवासी तालतोला, कलकत्ता है। वह कलकत्ता और इसके उपनगरो का उपद्रवी तथा हत्यारा है। वह अनेक नृशस अपराधो में सलिप्त रहा था तथा उसकी तलाश की जा रही थी।

इस मुठभेड में, श्री सर्वश्री काजल मडल, कास्टेबल तथा मृणाल कान्ति बिश्वास, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 13 8.2000 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 58 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. एंडलूरी अहमद, कांस्टेबल, 117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
2. सतवीर सिंह, कांस्टेबल, 117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
3. तिलक सिंह, कांस्टेबल, 117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

9 जून, 2000 को 117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की एक टुकड़ी हमरचेंग के नजदीक टिड्डम रोड़, चूराचांदपुर, मणिपुर पर गश्त लगा रही थी और लोगों की तलाशी ले रही थी। सर्वश्री सतबीर सिंह, एंडलूरी अहमद और तिलक चन्द गश्ती दल के सदस्य थे। उन्होंने स्कूटर पर जा रहे तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। रोके जाने पर उन्होंने स्कूटर को छोड़ दिया और विभिन्न दिशाओं में भागना शुरु कर दिया, कांस्टेबल तिलक चन्द ने भागते हुए व्यक्तियों में एक को तुरंत पकड़ लिया। लेकिन अन्य संदिग्ध व्यक्तियों ने भागते हुए बहुत नजदीक से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल सतबीर सिंह के सिर में चोट आई। एक उग्रवादी जिसे कांस्टेबल तिलक चन्द ने पकड़ा था, स्वंय को छुड़ाने में कामयाब हो गया और भागने की कोशिश की। उपर्युक्त दोनों कांस्टेबलों ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाई जिससे एक उग्रवादी मौके पर ही मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान गैर कानूनी संगठन यू एन एल एफ के 16वें बैच के एक सक्रिय सदस्य के रुप मे की गई। तलाशी लेने पर एक-9 एम एम पिस्तौल, एक-9 एम एम जिन्दा राउद और एक - एल एम एल स्कूटर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ मे, सर्वश्री एंडलूरी अहमद, कांस्टेबल, सतबीर सिह, कांस्टेबल और तिलक सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 जून, 2000 से दिया जाएगा ।

(करूणा मित्रा)
निदेशक

सं0 59 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारियों के नाम और रैंक

(दिवगत) सर्वश्री

1. जय सिह, सहायक कमाडैट
2 सुशील कुमार, कास्टेबल
3. शबीर अहमद खान, कास्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल को गाव कुकररवाल (बडगाम) में उग्रवादी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट मिली । क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए 29 अप्रैल, 2001 को एक अभियान चलाया गया । श्री जय सिह, सहायक कमाडैट को लगभग 6 घरों वाले गाव कुकरखाल में अपनी टीम ले जाने और घर-घर की तलाशी लेने को कहा गया । जैसे ही श्री जय सिह, सहायक कमाडैट गाव परिसर के बाहरी भाग के पहले घर के पास पहुचे एक उग्रवादी पुलिस टुकड़ी की ओर गोलिया बरसाता घर से बाहर निकला । दो और उग्रवादी जो उसी घर में छिपे हुए थे, ने भी अपने साथी की बच कर भाग निकलने में मदद करने के लिए, इस पार्टी पर गोलिया चलाईं । उग्रवादियो द्वारा अचानक और अप्रत्याशित गोलीबारी के कारण श्री जय सिह, सहायक कमाडैट, कास्टेबल सुशील कुमार और कास्टेबल शबीर अहमद खान जख्मी हो गए । इसके बावजूद, उन्होने मोर्चा सभाल लिया और जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की तथा एक उग्रवादी को मौके पर ही मार गिराया । मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में एक पाकिस्तानी भाड़े के सैनिक सियाद हुसैन के रूप मे की गई । मारे गए उग्रवादी से एक - ए के.47 राइफल, 02-मैगजीन, ए के. के 20 राउद और एक वायरलैस सैट बरामद किया गया । यद्यपि, श्री सिह घायल थे फिर भी उन्होंने वायरलैस सैट पर यह सूचना अपने यूनिट कमाडैट को दी जिन्होने उन्हे बाकी शेष दो उग्रवादियों को रोकने को कहा । श्री सिह, श्री सुशील कुमार और कास्टेबल शबीर ने कुमुक पहुचने तक दोनों उग्रवादियो के बचकर भाग निकलने के रास्ते को रोके रखा । दोनों तरफ से भारी गोलीबारी के कारण उस घर में आग लग गई जिसमे उग्रवादी छिपे हुए थे जिसकी वजह से उग्रवादियो को घर से बाहर आना पड़ा । तब उन्होंने श्री सिह की पार्टी की तरफ अधाधुध गोलिया चलाते हुए धावा बोल दिया । तथापि, श्री सिह, सहायक कमाडैट, कास्टेबल सर्वश्री सुशील कुमार और शबीर अहमद खान ने इन उग्रवादियो को मार गिराया, जिनकी पहचान बाद मे मुश्ताक अंहमद उर्फ अबू ताला और रोफू अहमद मीर उर्फ इशफाक हक के रूप में की गई । क्षेत्र की तलाशी लेने पर 02- ए के. राइफल्स, 01 वायरलैस सैट, 02 ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद किया गया । श्री जयसिह, सहायक कमाडैट, कास्टेबल सुशील कुमार और कास्टेबल शबीर अहमद खान ने बाद मे घावो के कारण दम तोड़ दिया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवगत) सर्वश्री जयसिह, सहायक कमाडैट, कास्टेबल सुशील कुमार और कास्टेबल शबीर अहमद खान ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 29 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

(अरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 **60** - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री अब्दुल रहमान,
कांस्टेबल, 182वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

04 मई, 2001 को सूचना मिली कि गांव बाग-ए-महताब, जिला-बडगाम, (जम्मू और कश्मीर) में एक खुंखार उग्रवादी मौजूद है । 182वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, विशेष अभियान ग्रुप और डी सी (जी) टीम मागम की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया । जब संदिग्ध मकान के इर्द-गिर्द घेराबन्दी की जा रही थी तो पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी हुई। पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की । उग्रवादियों ने ग्रेनेड फेंके जो पुलिस टुकड़ी के नजदीक फटे । टुकडियो पर अन्धाधुंध गोलीबारी और घनी झाड़ियों तथा विस्फोट के धुएं का लाभ उठाकर उग्रवादी ने बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । कांस्टेबल अब्दुल रहमान ने अपनी पोजीशन से उग्रवादी को देखा और उसे मारने के इरादे से अपनी पोजीशन छोड़ उग्रवादी का आमना-सामना किया और गोली चलाई । उग्रवादी ने भी कांस्टेबल रहमान पर गोली चलाई और उन्हे गंभीर रूप से घायल कर दिया । लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोली चलाई । उग्रवादी को गोली लगी और वह गिर पड़ा तथा घेराबन्दी पार्टी ने उसे मार गिराया । मारे गए आतंकवादी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा गुट के अबू इब्राहिम, निवासी-पाकिस्तान के रूप में की गई । घायल कांस्टेबल अब्दुल रहमान को तत्काल 92 बेस अस्पताल भिजवाया गया जहा उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । मुठभेड़ स्थल से 01-ए.के. राइफल, 01-हथगोला, 01-मैगज़ीन और गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री अब्दुल रहमान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 मई, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 61 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं -

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1 सुरेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट, 104 बटालियन

2 राजकुमार, हैड कांस्टेबल, 104 बटालियन

3 राकेश कुमार, कांस्टेबल, 104 बटालियन

4 अभिजीत देवाशी, कांस्टेबल, 104 बटालियन

5 निर्मल सिंह, निरीक्षक, 104 बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28.9.2000 को 104 बटालियन सीमा सुरक्षा बल को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी त्साइ-ए-खुर्द, जिला पुलवामा, (जम्मू और कश्मीर) में छुपे हुए है । सीमा सुरक्षा बल की 9वी बटालियन और 104 वी बटालियन तथा एस ओ जी पुलिस ने उग्रवादियो को पकड़ने के लिए एक संयुक्त घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान चलाया । गांव को घेरने तथा संदिग्ध मकानों की तलाशी लेने के लिए दो पार्टियां, जिनमें सहायक कमांडेंट सुरेन्द्र सिंह भी शामिल थे, बनाई गई । एक मकान की ऊपरी मंजिल में छिपे उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर हथगोले फेंके तथा भारी गोलीबारी की । इसी बीच, गांव के बाहरी क्षेत्र में नाले में छिपे दो उग्रवादियों के एक ग्रुप ने घेराबन्दी पार्टी पर गोलियां चलाना आरंभ कर दिया । घेराबन्दी पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की तथा कांस्टेबल श्री संतलाल ने एक उग्रवादी को मौके पर ही मार गिराया । सीमा सुरक्षा बल की 104वी बटालियन के कमांडेंट भी घटनास्थल पर पहुंच गए तथा कार्रवाई में शामिल हो गए । इस एस्कार्ट पार्टी के कांस्टेबल अभिजीत देवाशी, गोलीबारी की आड़ में रेंग कर नाले के भीतर आगे बढ़े तथा एक उग्रवादी को घटनास्थल पर मार गिराया । घिरे हुए उग्रवादियों ने टुकड़ियों को मकान के पास पहुंचने से रोके रखने के लिए गोलीबारी जारी रखी तथा हथगोले फेंके । हमला करने वाली एक पार्टी, जिसमें निरीक्षक निर्मल सिंह, हैड कांस्टेबल राजकुमार तथा कांस्टेबल राकेश कुमार शामिल थे, को मकान के भीतर हथगोला फेंकने के लिए रेंगते हुए मकान की खिड़की के पास जाने का निदेश दिया गया। मकान में छिपे उग्रवादियों ने जवाबी गोलीबारी की । निर्मल सिंह, निरीक्षक के पेट के निचले भाग में गोली लगी और वे जख्मी हो गए । श्री राज कुमार हैड कांस्टेबल, श्री राकेश कुमार, कांस्टेबल खिड़की से घर के अन्दर घुसने में सफल हो गए । आमने सामने की मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया । श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट और उनकी पार्टी ने ग्राम के बाहरी इलाके में एक मकान में छिपे दूसरे उग्रवादी का पता लगाया । उग्रवादियों द्वारा गोली चलाने तथा हथगोले फेंकने के कारण श्री रामबाबू सिंह, हैड कांस्टेबल सीने में गोलियां लगने से घायल हो गए । रात को लगभग 1 बजे (29.9.2000) श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट ने एक कमरे में एक उग्रवादी को छिपे देखा । उनके नेतृत्व में हमला करने वाला दल मकान में घुसा । उग्रवादी ने भागने का प्रयास किया । श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट ने क्षेत्र में प्रकाश करने तथा उग्रवादी को भागने न देने के लिए पैरा बम दागे । उग्रवादी ने गौशाला में शरण लेकर गोलियां चलानी प्रारम्भ कर दी । हमला करने वाले दल ने गौशाला पर धावा बोला तथा उग्रवादी को मार गिराया । मारे गए चार उग्रवादियों की बाद में (i) नसीर अहमद मलिक कोड नाम तारी-हिजबुल मुजाहिदीन गुट (ii) मोहम्मद अशरफ वानी, हिजबुल मुजाहिदीन गुट (iii) शेर भाई, टी यू एम गुट (iv) इम्तियाज भाई, टी यू एम गुट के रूप में पहचान की गई । इलाके की तलाशी लेने पर 4 ए.के. राइफलें, 2 पिस्तौल, एक ग्रेनेड लांचर, 8 ग्रेनेड, 1 वायरलैस सैट, 3747/-रु0 की भारतीय मुद्रा तथा गोला बारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट, राजकुमार, हैड कांस्टेबल, राकेश कुमार, कांस्टेबल, अभिजीत देवाशी, कांस्टेबल तथा निर्मल सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 सितम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 **62** - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री हरिपाल सिह,
कास्टेबल, 63वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

63वी बटालियन सीमा सुरक्षा बल को सूचना मिली कि पाडान मोहल्ला, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर मे कुछ उग्रवादी छुपे हुए है । तदनुसार इन उग्रवादियों को खदेडने क लिए 22 मार्च, 2001 को तड़के-तड़के एक दल इस क्षेत्र के लिए रवाना हुआ । क्षेत्र की घेराबन्दी करने के बाद घर-घर की तलाशी शुरू की गई । कास्टेबल हरिपाल सिह इस तलाशी दल के सदस्य थे ।.इन घरो में से एक घर मे छिपे उग्रवादी ने बचकर भाग निकलने के प्रयास मे कांस्टेबल हरिपाल सिंह पर अपने पिस्तौल से गोली चलाई । कास्टेबल हरिपाल सिह सीने के बांई ओर गोली लगने से जख्मी हो गए लेकिन अपने जख्म की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी राइफल से गोली चलाई और सशस्त्र उग्रवादियों का पीछा किया । अत्यधिक खून बहते रहने के बावजूद कांस्टेबल सिंह ने उग्रवादी को पकड़ लिया और उसे काबू कर लिया । पकड़े गए उग्रवादी की पहचान मोहम्मद अमीन मीर कोड शबनम, पुत्र अब्दुल रहीम, निवासी सियापोरा, सोपियां, जिला-पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के रूप में की गई । क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक चीनी पिस्तौल, एक वायरलैस सेट और गोला बारूद बरामद किया गया । कांस्टेबल हरिपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया ।

इस मुठभेड़ मे, (दिवंगत) श्री हरिपाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 22 मार्च, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 63 - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. (दिवंगत) श्री गोवर्धन राम, कांस्टेबल, 51वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
2. (दिवंगत) श्री एच.पी. मेहता, कांस्टेबल, 51वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
3. श्री एम.सी. बोरो, कांस्टेबल, 51वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

3 नवम्बर, 2000 को सूचना मिली कि गांव कुथीपुरा, जिला - बडगाम में दो खुंखार उग्रवादी छिपे हुए हैं। 51वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने योजना बनाई और तलाशी अभियान शुरु किया। जैसे ही टुकड़ियां गांव की घेराबंदी कर रही थी तो इन घरों में से एक घर में छुपे उग्रवादियों ने घेराबंदी से बचने और बचकर निकलने के रास्ते को खुला रखने के प्रयास में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दीं। कांस्टेबल गोवर्धन राम और कांस्टेबल केदार मगरी को अपनी एल एम जी लक्षित घर के नजदीक ले जाने के आदेश दिए गए। श्री गोवर्धन राम ने लक्षित घर के निकट तत्काल मोर्चा ले लिया और प्रभावी गोलीबारी करके उग्रवादियों को उलझाए रखा। श्री गोवर्धन राम को उग्रवादी की गोली लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने अंतिम सांस तक नियंत्रित गोलीबारी करके उग्रवादियों को उलझाए रखा। परस्पर गोलीबारी के कारण लक्षित घर में आग लग गई और अत्याधिक धुएं की वजह से एक उग्रवादी को अपने हथियार के साथ घर से बाहर कुदने के लिए विवश होना पड़ा। उसने घेराबंदी तोड़कर बच निकलने का प्रयास किया। जब कांस्टेबल एच.पी. मेहता और कांस्टेबल एम.सी. बोरो ने उग्रवादी को निशाना बनाने का प्रयास किया तो उसने इन कांस्टेबलों पर हथगोले फेंके। श्री बोरो की दाहिनी टांग जख्मी हो गई और जख्मी होने के बाद उग्रवादी भी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद, उग्रवादी ने कांस्टेबल एच.पी. मेहता पर गोली चलाई जिससे उनका जबड़ा जख्मी हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद, दोनों कांस्टेबलों ने मुठभेड़ जारी रखी और घायल होने के बावजूद कांस्टेबल बोरो उग्रवादी पर टूट पड़ा और उसके हथियार छीन लिए तथा उसे मार गिराया। श्री एच.पी. मेहता ने घावों के कारण दम तोड़ दिया और श्री बोरो को 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में जैश-ए-मोहम्मद गुट के मोहम्मद उमर, पुत्र रीहीश खान, निवासी काहूता (पाक) के रुप में की गई। एक - ए के 47 राइफल, 2 वायरलैस सैट एंटिना, 01 बेस प्लेट, 01-फ्रिक्वेंसी टयूनर और गोला बारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री गोवर्धन राम, कांस्टेबल, (दिवंगत) श्री एच.पी. मेहता, कांस्टेबल और श्री एम.सी. बोरो, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 नवम्बर , 2000 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 64 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

श्री मोहनदास बी
हैड कांस्टेबल, 73वीं बटालियन
सीमा सुरक्षा बल

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

28.9.2000 को ग्राम चाबली और आस-पास के क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर सी0सु0बल की 73वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री उमानाथ प्रसाद ने सायंकाल 7.40 बजे तलाशी अभियान प्रारंभ किया। जब टुकड़ी संदिग्ध ढोक की ओर बढ़ रही थी तो ढोक के भीतर छिपे उग्रवादियों ने अभियान दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी । श्री प्रसाद ने ढोक को तत्काल घेरने का आदेश दिया तथा उन्होंने हैड कांस्टेबल मोहन दास के साथ पोजीशन ले ली तथा ढोक का निकास द्वार कवर कर लिया । उग्रवादियों ने भीतर के लोगों को धकेलते हुए तथा उन्हें आड़ के रूप में प्रयोग करते हुए बाहर आने का प्रयास किया । श्री प्रसाद तथा हैड कांस्टेबल मोहनदास बी ने उग्रवादियों को देख लिया तथा उन्हें ललकारा । उनमें से एक उग्रवादी ने उन पर अन्धाधुंध गोलियां बरसाईं । श्री प्रसाद और मोहन दास बी ने गोलीबारी का जवाब दिया और एक उग्रवादी को मोके पर ही मार गिराया । परस्पर गोलीबारी के दौरान, अभियान दल ने यह सुनिश्चित किया कि गोलीबारी मे केाई नागरिक घायल या मारा न जाए । गोलीबारी के दौरान अन्य उग्रवादी ढोक के अंदर वापस जाने में सफल हो गए । उग्रवादियों ने गोली चलाने के साथ-साथ हथगोले भी फेंके जिससे श्री प्रसाद धायल हो गए । श्री प्रसाद ने हैड कांस्टेबल मोहन दास बी को घर की खिड़की तोड़ने तथा अंदर हथगोले फेंकने का निदेश दिया । हैड कांस्टेबल मोहनदास बी ने छिपने के स्थान पर धावा बोल दिया तथा दूसरे उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार दिया । बाद में, मारे गए उग्रवादियों की पहचान हिजबुल मुजाहिद्दीन गुट के मोहम्मद रफी मलिक उर्फ आशिक तथा मोहम्मद इकबाल, पुत्र मोहम्मद हुसैन के रूप में की गई । क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक एस.एस.जी. राइफल, एक टेलीस्कोप, एक 7.72 एम.एम. पिस्तौल, दो हथगोले, एक दूरबीन, एक वायरलैस सैट, दो बॉकमैन तथा गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री मोहनदास बी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 सितम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 65- प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री भवानी सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक)
सहायक कमान्डेन्ट, 104वी बटालियन
सीमा सुरक्षा बल

(दिवगत) श्री मो0 यासिन शेख (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
कान्सटेबल, 104वी बटालियन
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25.3.2001 को 104वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी गाव दोदूर (पुलवामा) में छिपे हुए है । श्री भवानी सिंह, सहायक कमान्डेन्ट और श्री सुरेश सिंह, सहायक कमान्डेन्ट की कमान में एक सयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान की योजना बनायी गयी । जब श्री भवानी सिंह, सहायक कमान्डेन्ट के नेतृत्व वाली तलाशी पार्टी गाव की घेराबन्दी कर रही थी तो पास के एक मकान से गोलीबारी की भारी बौछार की गयी । अधिकारी ने अपनी पार्टी को पुनर्गठित किया और इसे दो भागो में विभाजित किया । एक ग्रुप ने मकान को घेर लिया और श्री भवानी सिंह के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप, घेराबन्दी करने वाले ग्रुप द्वारा की जाने वाली गोलीबारी की आड लेते हुए लक्षित मकान में घुसा । मकान के प्रथम तल पर मोर्चा सम्भाले हुए उग्रवादियों ने हथगोले फेंके और उन्हें आगे बढने से रोकने के लिए कड़ा मुकाबला किया । श्री सिंह ने कास्टेबल मो0 यासिन शेख के साथ गोलियों की बौछार के बीच प्रथम तल पर जाने के लिए रास्ता बनाकर गतिरोध को तोडने का निर्णय लिया । इस प्रक्रिया में, कास्टेबल मो0 यासिन शेख गोलिया लगन से कई जगह जख्मी हो गए । गम्भीर रूप मे जख्मी होने के बावजूद, श्री यासिन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, आमने-सामने की मुठभेड मे एक उग्रवादी को मार गिराया। दूसरा उग्रवादी भारी गोलीबारी करता रहा और उसने हथगोले फैंके और लगातार अपना मोर्चा बदलता रहा । श्री सिंह ने उसके मोर्चे का पता लगाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस उग्रवादी की तरफ भाग । श्री सिंह, उग्रवादी के साथ आमने-सामने लड़े और उसे मौके पर ही मार गिराया । श्री मो0 यासिन शेख को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहा उन्होंने जख्मो के कारण दम तोड दिया । मारे गए दोनो उग्रवादियों की पहचान मन्सूर अहमद भट और हिलाल अहमद नाईकू के रूप मे की गयी जो दोनो ही हिज्जबुल मुज्जाहिदीन गुट के थे । घटनास्थल से 2 ए के. श्रेणी की राईफल, 1 हथगोला, 9 ए के श्रेणी के गोलाबारूद और 6 मैगजीन बरामद की गयी ।

इस मुठभेड मे, श्री भवानी सिंह, सहायक कमान्डेन्ट और (दिवगत) श्री मो0 यासिन शेख, कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 25 मार्च, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 66 – प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री सुबोध एस0 छतरथ,
कमान्डेन्ट, 63वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

(दिवगत) श्री जगरूप सिह
कांस्टेबल, 63वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19 दिसम्बर, 2000 को लगभग 1645 बजे दो सशस्त्र उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारो से ममता होटल, डल रोड, श्रीनगर में टाक मुख्यालय 63वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल की दोनों सन्तरी चौकियों पर हमला किया और गोलीबारी की । सन्तरियों ने तत्काल गोलियों का जबाव दिया, जिससे उग्रवादी सड़क की दूसरी तरफ पीछे हटने और मोर्चा लेने के लिए मजबूर हो गए । एक उग्रवादी ने अन्य उग्रवादी जो सड़क के उस पार से एक दीवार के पीछे से, सन्तरी चौकियो की तरफ गोलियों की बौछार करके परिसर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था, को गोलीबारी की आड़ उपलब्ध कराने के लिए सड़क के पार से दबे हुए ग्राऊन्ड से अपने स्वचालित हथियारो से गोलिया चलानी शुरू कर दी । उग्रवादियों के साथ गोलीबारी के दौरान कास्टेबल जगरूप सिह, जो प्रथम सन्तरी चौकी के अन्दर सन्तरी ड्यूटी पर थे, सिर पर गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। वे नीचे गिर पड़े और बाद में उन्होंने जख्मो के कारण दम तोड़ दिया । श्री एस0एस0 छतरथ, कमान्डेन्ट जो अपने कार्यालय में उपस्थित थे, स्थिति का जायजा लेने के लिए रेंगते हुए उस सन्तरी चौकी की तरफ गए जिस पर उग्रवादी गोलिया चला रहे थे । उन्होने देखा कि उग्रवादी पाच फुट ऊची दीवार के पीछे से गोलिया चला रहे है । श्री छतरथ ने एक बुलट प्रुफ जिप्सी मे उग्रवादियों की तरफ बढने और उन्हे हथगोलों और अन्य हथियारो से आमने-सामने के हमले में उलझाने का निर्णय लिया । उन्होने अपने बी.पी. बंकर वाहन को बाहर लाने और दोनो उग्रवादियो को घेरने के लिए कहा । वाहन को देखकर एक उग्रवादी ने ए.के.56 राईफल से दोनो वाहनों पर गोलियां चलायी । श्री छतरथ विचलित नहीं हुए और वाहन को लक्षित उग्रवादी के नजदीक ले गए और उस पर गोली चलायी । उग्रवादी जख्मी हो गया लेकिन उसने मोर्चा बदल लिया और दूसरी आड़ से सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर गोलियां चलाता रहा । श्री छतरथ, वाहन से बाहर आए और अपनी पिस्तौल से नजदीक से उग्रवादी पर गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मारने में सफल हो गए । दूसरा उग्रवादी ममता होटल के सामने निर्मित क्षेत्र गलियो का लाभ उठाते हुए भागने मे सफल हो गया । मारे गए उग्रवादी की पहचान ताहिर मेहराज्जूद्दीन एक सूडानी राष्ट्रिक और लश्कर-ए-तैयबा गुट के डिवीजन कमान्डर के रूप मे की गयी । क्षेत्र की तलाशी लेने पर, 01 ए.के. राईफल, 4 ए.के. मैगजीन, 52 ए.के. गोलाबारूद, 45 ई.एफ.सी. और 05 चीनी हथगोले बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ मे, श्री सुबोध एस. छतरथ, कमान्डेन्ट और (दिवंगत) श्री जगरूप सिह, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

स0 67 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है.-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

श्री इशतियाक अहमद खान,
सूबेदार, 88वी बटालियन, सी0पु0 बल ।

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

11 अप्रैल, 2001 को बाव बारपोरा मे एक मकान मे उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे मे विशिष्ट सूचना मिलने पर, सीमा सुरक्षा बल की 88वी बटालियन और विशेष अभियान ग्रुप की टुकडियो द्वारा एक विशेष अभियान की योजना बनायी गयी और उस कार्यान्वित किया गया । घेरा डालने के बाद, सूबेदार आई.ए.खान और उनके जवानो ने संदिग्ध मकान पर धावा बोला । जब श्री खान अपनी टुकडियो के साथ मकान के प्रथम तल पर चढ़ रहे थे तो अदर छिपे उग्रवादियो ने भारी गोलीबारी की ओर हथगोले फेके । टुकडियो ने गोलीबारी का जबाव दिया । दोनो तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान, श्री खान के सीने म दाहिनी ओर गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो जाने के बावजूद, श्री खान ने उग्रवादियो को उलझाए रखा और उनमे से एक को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया । कास्टेबल प्रमोद कुमार ने, खिडकी के शीशे तोड़कर कमर के अन्दर हथगोला फेका । कमरे के अन्दर छिपे उग्रवादियो ने गोलियो की भारी बौछार की और टुकडियो पर हथगोला फेका, जो सौभाग्य से फटा नही । उग्रवादियो ने दूसरा हथगाला फेका, जो फट गया और श्री ओ0पी0 हूडा द्वितीय प्रभारी और हैड कास्टेबल लाल खान जख्मी हो गए । बटालियन मुख्यालय से कुमुक पहुच गयी और लक्षित घर को घेर लिया । टुकडियो ने प्रथम तल पर दो हथगोले फेके । तथापि, उग्रवादियो ने एक हथगोले को वापस फेक दिया, जो फट गया और कास्टेबल प्रमोद कुमार जख्मी हो गए । जख्मी कार्मिको का इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया । दोनो तरफ से हुई गोलीबारी मे, उस मकान मे आग लग गयी जिसमे उग्रवादी छिपे हुए थे और भवन क्षतिग्रस्त हो गया । दमकल को बुलाया गया और आग बुझाई गयी । घर की तलाशी लेने पर एक उग्रवादी का शव, एक ए.के.-56 राईफल, पाच मैगजीन और गोलाबारूद बरामद हुआ । मारे गए उग्रवादी की पहचान सज्जाद अहमद भट्ट, निवासी बारपौरा, हिज्जबुल मुज्जाहिदीन गुट के खूखार उग्रवादी के रूप में हुई ।

इस मुठभेड़ मे, इशतियाक अहमद खान, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं. 68 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवगत) श्री के.पी. रामचन्द्रन,
कांस्टेबल, 64वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7 मार्च, 2000 को, 6 कम्पनियों की एक कानवॉइ लगभग 0930 बजे परबग से सेनवोन के लिए रवाना हुई। लगभग 1430 बजे, जब कानवॉइ गांव सेनवोन से 4 किलोमीटर दूरी पर थी, तो सीमा सुरक्षा बल की 64वीं बटालियन की "सी" कम्पनी के कम्पनी कमान्डर, संदिग्ध घात स्थल को क्लीयर करने के लिए अपने मार्ग रक्षक के साथ वाहन से नीचे उतरे । घात लगाकर प्रतीक्षा करते हुए उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारो से विभिनन दिशाओं से तत्काल गोलियां चलायी और हथगोले फेंके । एक हथगोला कम्पनी कमान्डर और उनके मार्गरक्षक के बीच गिरा । कांस्टेबल के.पी. रामचन्द्रन ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तत्काल हथगोला उठाया और अपने साथियों की जान बचाने के लिए उसे दूर फेंकने का प्रयास किया । दुर्भाग्य से हथगोला उनके हाथ में ही फट गया और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए । कास्टेबल रामचन्द्रन ने बाद में अपने जख्मो के कारण दम तोड दिया । कांस्टेबल रामचन्द्रन ने अदम्य साहस का परिचय दिया और इस प्रकार से अपने कम्पनी कमान्डर और अन्य कार्मिको की जान बचायी ।

इस मुठभेड़ में, (दिवगत) श्री के.पी. रामचन्द्रन, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 7 मार्च, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 69 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री किशोरी लाल
कास्टेबल, 163 बटालियन
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11 अगस्त, 2000 को, उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे मे विशिष्ट सूचना मिलने पर, नम्बलान, राजौरी (जम्मू और कश्मीर) के सामान्य क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की 163वी बटालियन की टुकडियो और सेना द्वारा सयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया गया । उस स्थान से लेकर जहा से डगन नाला पाक अधिकृत कश्मीर से भारत मे बहता है और खुरबान नाले मे मिलता है, तक के सम्पूर्ण जगल वाले क्षेत्र को प्रभावी ढग से घेरा गया । उग्रवादियो ने, एक-दूसरे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर दो छिपने के अड्डो पर कब्जा किया हुआ था । उग्रवादियो ने सीमा सुरक्षा बल की टुकडियो पर भारी गोली बारी की । श्री किशोरी लाल, कास्टेबल सतर्क थे और उन्होने एक उग्रवादी, जो केवल 20-30 गज की दूरी पर था, को हथगोला फेकते हुए देख लिया । उग्रवादी द्वारा फेका गया हथगोला श्री लाल के काफी नजदीक गिरा । श्री लाल ने टुकडियो को तत्काल मोर्चा सम्भालने के लिए कहा और नजदीक की उजाड़ पड़ी एक झोपड़ी के अन्दर कूद गए और तुरत उग्रवादी को उलझा लिया और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इसी बीच, दूसरे उग्रवादी ने हथगोला फेका लेकिन सीमा सुरक्षा बल और सेना की टुकडियो ने प्रभावी ढग से जबावी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया । सीमा सुरक्षा बल और सेना की टुकडियो ने गुफा मे उग्रवादियो के छिपने के अड्डे पर भी प्रभावी ढग से गोलीबारी की । परस्पर भारी गोलीबारी के बाद, घेराबन्दी पार्टी ने चार और उग्रवादियो को मार गिराया और 01 पिक्का गन, 05 ए.के.-56 राईफल, 01 पिस्तौल, पिका गोला-बारूद की 248 राउन्द, ए.के. गोलाबारूद की 1200 राउन्द, 01 कम्पास 01 रेडियो सेट और 04 राईफल ग्रेनेड बरामद किए ।

इस मुठभेड़ मे, श्री किशोरी लाल, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 11 अगस्त, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदशक

सं. 70 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं -

**अधिकारी का नाम और रैंक**

(दिवगत) श्री राजेन्द्र सिह अहलावत
द्वितीय प्रभारी, 41वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

एक विशिष्ट सूचना मिलने पर कि उग्रवादी घाटी मे घुसने के लिए ईचू (कोकरनाग) के सामान्य क्षेत्र में पीर पजाल मे दर्रा और छोटे रास्तो का प्रयोग कर रहे है, सीमा सुरक्षा बल की 41वी बटालियन के द्वितीय प्रभारी/स्थानापन्न कमाडेट श्री आर.एस. अहलावत ने इन दर्रो की पहचान करने और उग्रवादियो क सम्भावित रास्तो पर घात लगाने के स्थानो का चयन करने का निर्णय लिया। पार्टी ने गाव ईचू के ऊचे पहाड़ियो पर घात लगाई। घात स्थल को छाड़कर जब यह पार्टी कम्पनी को लौट रही थी ता भारी शस्त्रो से लैस जे.ई.एम. गुट के 6 उग्रवादियो, जो गाव के एक मकान मे छिपे हुए थे, ने घात लगा कर पार्टी पर भारी गोलीबारी की। श्री अहलावत ने उनकी पोजीशन का पता लगाया और उस घर को घेर लिया और उन पर गोलिया चलाई। दोनो तरफ से थोड़ी देर तक हुई भारी गोलीबारी के बाद, वहा पर खामोशी छा गयी, तब श्री आर.एस. अहलावत ने मकान के बाहर कुछ हलचल दखी और उग्रवादियो को ललकारा। उग्रवादियो ने तत्काल श्री अहलावत जो मुशिकल से 15 मीटर दूरी पर थे, पर गोलिया चलाई। एक उग्रवादी, वास्तव मे, श्री अहलावत की तरफ भागा जिससे उनकी आमने-सामने भिड़न्त हुई। नजदीक से हुई इस गोलीबारी मे एक गोली श्री अहलावत की दाहिनी हँसली मे लगी। जख्मी होने के बावजूद भी वे तब तक उग्रवादियो पर गोलिया चलाते रहे जब तक कि वे बेहोश नही हो गए। बाद मे, उन्होने गोलियो के जख्मो के कारण 4 जून, 2001 को लगभग 0130 बजे 92 बस अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। उग्रवादी अधेरे, घने पेड़-पौधो और ऊबड़-खाबड़ भूभाग का फायदा उठाकर भागने मे सफल हो गए।

इस मुठभेड़ मे, (दिवगत) श्री राजेन्द्र सिह अहलावत, द्वितीय प्रभारी ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 3 जून , 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 71 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के. प्रभाकरन,
कास्टेबल 88वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6.6 2001 को विशिष्ट सूचना मिलने पर सौपोर के नूरबाग क्षेत्र की सयुक्त रुप से घेराबदी करने और तलाशी लेने की योजना बनायी गयी, जिसका सचालन सीमा सुरक्षा बल की 88वी और 95वी बटालियन द्वारा किया गया। जब उस क्षेत्र में घर-घर की तलाशी ली जा रही थी तो छिपे हुए उग्रवादियो ने एक तलाशी पार्टी पर अचानक गोलिया चला दी, जिसका जवाब कास्टेबल/ड्राईवर काना राम द्वारा दिया गया जिसके परिणामस्वरुप एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। अन्य उग्रवादी नूर बाग मस्जिद से लगभग 30 गज की दूरी पर स्थित एक बहुमजिले मकान मे घुसने मे सफल हो गए। मस्जिद के सभी प्रवेश मार्गों को टुकडियो ने कवर कर लिया ताकि उग्रवादी मस्जिद मे न घुस सके। तब एक पार्टी ने मकान के भूतल मे प्रवेश किया लेकिन मकान के प्रथम तल में छिपे उग्रवादियो ने भारी गोलीबारी कर दी और एक ग्रेनेड फेका। 95वी बटालियन के कास्टेबल बी.एन. यादव, किरचे लगने से मामूली रुप से जख्मी हो गए। तलाशी पार्टी ने लक्षित मकान पर ए जी. एल. दागे और अन्दरुनी और बाहरी घेराबदी की गई। इसके कारण उग्रवादियो ने लगभग दो घटे तक गोलीबारी बद रखी। श्री के. प्रभाकरन, कास्टेबल/ड्राईवर अपने तलाशी पार्टी के साथ मकान के भूतल में गए और भूतल की क्लीयर करने के बाद प्रथम तल पर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे प्रथम तल पर गए, उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी कर दी जिसका उन्होने जवाब दिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान, श्री प्रभाकरन के सीने में दाहिनी ओर गोली लगने से जख्म हो गया और 95वी बटालियन के उप निरीक्षक (जी) देवेन्द्र कुमार भी मामूली रुप से जख्मी हो गए। श्री प्रभाकरन को तत्काल 92 बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया। चूकि अधेरा होने वाला था अत. तलाशी पार्टी ने मकान के अदर ए जी एल और हथगोले फेंके। जब पार्टी को 15 मिनट तक उग्रवादियो की कोई हलचल/सकेत नही मिले तो उसके बाद उन्होने तलाशी लेनी शुरु कर दी। जैसे ही पार्टी मलबे के नजदीक पहुची तो एक उग्रवादी जो मलवे के सी. जी. आई. चादरो के नीचे छिपा हुआ था, ने पार्टी पर गोलियो की बौछार कर दी। इसके परिणामस्वरुप, 95वी बटालियन के कास्टेबल श्री एन अहमद, गोली लगने से घायल हो गए। 88वी बटालियन के लासनायक श्री धर्म पाल और श्री सोढ़ी राम हैड कास्टेबल ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और उस उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी ली गई और दो खुखार उग्रवादियो नामत इरसाद अहमद मीर उर्फ अब्बू जुब्बैर कश्मीरी, निवासी वाटरगाम (कुपवाड़ा), लश्कर-ए-तैयबा (कुपवाडा क्षेत्र) का बटालियन कमाडर और एक पाकिस्तानी उग्रवादी नामत. उस्मान भट्ट, निवासी मुलतान (पाक) के शव बरामद किए गए। निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद/उपस्कर भी बरामद किए गए -

| | | |
|---|---|---|
| (क) | ए के-47 राईफल - 2 | |
| (ख) | ए के-47 राईफल की सक्रिय राउद - | 150 राउद |
| (ग) | राईफल ग्रेनेड - | 10 |
| (घ) | मैगजीन ए के 47 राईफल - | 06 |
| (ड) | यू एन जी एल लगी एक ए के-47 राईफल01 | |

इस मुठभेड मे, श्री के. प्रभाकरन, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक , 6 जून, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 **72** - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आर0पी0एस0 मलिक द्वितीय प्रभारी
2. गुलजार चन्द, हैड कांस्टेबल, 161वीं बटालियन
   सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मंगलोंगी के सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर 6 नवम्बर, 2000 को लगभग 1400 बजे विशेष अभियान चलाया गया और सीमा सुरक्षा बल की 161वीं बटालियन की टुकडियों ने क्षेत्र को घेर लिया। तलाशी अभियान के दौरान, अगले दिन लगभग 0630 बजे टुकडियो ने गुफा में छिपे उग्रवादियों का पता लगा लिया उन्हे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने स्वचालित हथियारो से भारी गोलीबारी शुरू कर दी और हथगोले फैंके । उग्रवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी के बावजूद श्री गुलजार चन्द, हैड कांस्टेबल बड़ी होशियारी से छिपने के स्थान के नजदीक पहुंचे और एक उग्रवादी को गोली मारने में कामयाब हो गए, जिसकी पहचान बाद में जमालदीन, पुत्र कीमा, अफगान निवासी के रूप में की गई । दूसरा उग्रवादी जो अभी भी गुफा में छिपा हुआ था, लगातार गोलीबारी करता रहा और आपरेशन पार्टी पर हथगोले फेकता रहा । श्री आर.पी.एस. मलिक, द्वितीय प्रभारी ने मोर्चा सम्भाला और क्षेत्र को घेर लिया ताकि घिरे हुए उग्रवादियों के भागने के रास्तो को कवर किया जा सके । श्री मलिक गुफा तक पहुंचने ही वाले थे कि उग्रवादियों ने उन पर ग्रेनेड फेके । यह अधिकारी तेजी से कूदे और दूसरी चट्टान के पीछे मोर्चा सम्भाल लिया । अन्ततः श्री मलिक उग्रवादी को गोली मारने में सफल हो गए, जिनकी पहचान बाद में अब्बू हफास, जिला कमान्डर, लश्कर-ए-तैयबा रामबन और बैहाल क्षेत्र, निवासी सियालकोट के रूप में की गयी । घटनास्थल से 2 ए.के.-47 राईफलें, एक वायरलैस सेट, एक टेप-रिकार्डर और गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आर.पी.एस. मलिक द्वितीय प्रभारी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 नवम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 73 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है.-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री शिव शंकर सिह,
कास्टेबल, 104वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव त्रिचल (पुलवामा, जम्मू और कश्मीर) के एक मोहम्मद डार के घर में चार उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, 23.07.2000 को 104वी बटालियन के श्री जे सी सिंघाला, द्वितीय प्रभारी/स्थानापन्न कमांडेंट की कमान मे 104वी और 04वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, उप कमांडेंट (जी) पुलवामा तथा एस.ओ.जी. पुलवामा की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरु किया गया। क्षेत्र की घेराबंदी करने के तत्काल बाद, टुकड़िया संदिग्ध घर की तरफ बढ़ी लेकिन इसी बीच उग्रवादी उसी गाव मे दूसरे घर मे चले गए। समीक्षा करने पर, आपरेशन कमाडर ने विशेष घरों के समूह की तलाश करने की एक योजना तैयार की। जब सदिग्ध क्षेत्र की चारो ओर से घेराबंदी की जा रही थी, कि तभी टुकड़ियो पर एक घर से स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड से गोलीबारी की गई। घर के निवासियो को बाहर निकाला गया और उग्रवादियों को समर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन उग्रवादियां ने भारी गोलीबारी शुरु कर दी और घेराबंदी करने वाले दल पर अंधाधुंध ग्रेनेड फेंके। अंदर छिपे हुए तीन उग्रवादियों ने घर के पिछवाड़े की तरफ वाली खिड़की से बच कर भागने का प्रयास किया। श्री सिंग्ला ने बच कर भाग रहे उग्रवादियों को रोकने का प्रयास किया, जिन्होंने तब तक साथ के धान के खेत मे मोर्चा ले लिया था। हमला दल जिसका नेतृत्व श्री सिंग्ला कर रहे थे, जिसमे उप निरीक्षक सरबजीत सिह और कांस्टेबल एम एल रेड्डी थे, उग्रवादियों की दिशा की तरफ आगे बढ़े। हमला करने वाले दल को आगे बढ़ते देखकर, उग्रवादियो ने आक्रमण तेज कर दिया और एक भीषण मुठभेड़ सुनिश्चित हो गई, जो कि लगभग ढाई घंटे तक चली। मुठभेड़ के दौरान, सभी तीन उग्रवादी मारे गए। उसके पश्चात दल ने उस घर पर धावा बोलने का निर्णय लिया जहाँ पर चौथा उग्रवादी फंसा हुआ था और दलों पर गोलीबारी कर रहा था। कुछ विस्फोटकों मे, जिनके घर के अंदर रखे जाने का अंदेशा था, टुकड़ियो द्वारा दागे गए ग्रेनेडों के विस्फोट के कारण विस्फोट हो गया। छिपे हुए उग्रवादी ने खिड़की से बचकर भागने का प्रयास किया। श्री रेड्डी श्याम, सहायक कमाडेंट जब वे भाग रहे उग्रवादी के रास्ते को रोकने की कोशिश करते हुए गोली लगने से घायल हो गए। कास्टेबल, शिव शकर सिह भी बायी जाघ मे गोली लगने से जख्म हो गया लेकिन वे लगातार लड़ते रहे और अत में उग्रवादी को मारने मे सफल हो गए। मारे गए उग्रवादियो की पहचान बाद मे, शबीर अहमद शेख, कपनी कमाडर, रियाज अहमद गनाई उर्फ बिट्टा, हिलाल अहमद डार और बिलाल अहमद मंगरे, सभी की एच एम गुट, के रुप मे की गई। उस क्षेत्र से चार ए के राइफलें और गोलाबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ मे, श्री शिव शकर सिह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 23 जलाई, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 74 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवगत) श्री बी आजम अली,
कास्टेबल, पहली बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26.9.2000 को बागुड गाव (जम्मू और कश्मीर) मे उग्रवादियो के छिपे होने के सदेह पर उन्हे बाहर खदेडने के लिए सीमा सुरक्षा बल की पहली बटालियन और 151वी बटालियन द्वारा सयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया गया । जब घर-घर की तलाशी ली जा रही थी तो सीमा सुरक्षा बल की पार्टी ने देखा कि 4/5 उग्रवादी घेराबदी से बच निकलने का प्रयास कर रहे है । पहली बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कास्टेबल सुभाष चन्द्र द्वारा ललकारने पर उग्रवादियो ने उन पर ए.के.47 राइफल से भारी मात्रा मे गोलीबारी की और हथगोले फेके । तुरत कार्रवाई करते हुए इन्होने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और एक उग्रवादी को मौके पर ही मार गिराया । अन्य उग्रवादी रेगकर नजदीक की आरा मिल में चले गए जिन्हे तत्काल तलाशी दल द्वारा घेर लिया गया । फसे हुए उग्रवादियों ने घेराबन्दी पार्टी पर स्वचालित हथियारों से भारी मात्रा मे गोलीबारी की । घेराबन्दी के एक भाग के रूप मे द्वितीय प्रभारी के साथ श्री बी आजम अली ने जवाबी गोलीबारी की और एक अन्य उग्रवादी को मार गिराया । तीसरे उग्रवादी ने श्री आजम अली पर गोंली चलाई, अपने गभीर घावो की परवाह न करते हुए श्री अली गोलिया चलाते रहे और उन्होने तीसरे आतकवादी को मार गिराया । वहा से ले जाते समय श्री अली ने जख्मो के कारण दम तोड़ दिया । पार्टी ने बाद मे आरा मिल पर धावा बोलकर चौथे उग्रवादी को भी मार गिराया । मारे गए उग्रवादियो की पहचान बाद में मुबारक अहमद बट उर्फ मुबा चेनी, मुद्दसर अहमद डार, मोहम्मद इकबाल डार और मोहम्मद यूसुफ मलिक कोड जहागीर सभी हिजबुल मुजाहिद्दीन/पी टी एम गुट के सदस्यो के रूप मे की गई । क्षेत्र की तलाशी लेने पर 04-ए.के. राइफल्स, 01-राइफल ग्रेनेड लाचर, 01-रेडियो सैट, 01-हथगोला, 07-राइफल ग्रेनेड, 05-इलैक्ट्रिक डेटोनेटर और गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री (दिवगत) श्री बी आजम अली, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 26 सितम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

स0 75 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारियों के नाम और रैक

1. (दिवगत) श्री बी एस राठौर, उप कमाडेट
2. श्री त्रिभुवन यादव, कास्टेबल, 61वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16 अक्तूबर, 2000 को 61वी बटालियन सीमा सुरक्षा बल के श्री बी एस राठौर, उप कमाडेट की कमान के तहत गाव शिगनपुरा (श्रीनगर) में एक घर से छुपे हुए बताए गए विदेशी उग्रवादियो को खदेड़ने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई : अभी सदिग्ध क्षेत्र की घेराबदी करने का कार्य मुश्किल से पूरा हुआ ही था, कि एक घर मे छिपे हुए उग्रवादियो ने खतरा महसूस किया और गोलीबारी शुरू कर दी । क्योंकि उग्रवादी घर की प्रथम मजिल पर लाभ की स्थिति में थे, अत टुकडियो द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी प्रभावकारी नही थी । भारी गोलीबारी के बावजूद, श्री राठौर नागरिको को वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने मे कामयाब हो गए और घेराबदी को सुदृढ़ कर दिया । इसी दौरान, कुमुक पहुँच गई और आपरेशन कमाडर ने अधेरा होने से पहले घर पर धावा बोलने का निर्णय लिया । श्री राकेश कुमार, सहायक कमाडेट-उग्रवादियो को उलझाए रखने के लिए एल एम जी लगे बकर वाहन मे उस घर के समीप पहुँच गए । श्री त्रिभुवन यादव, कास्टेबल ने भी बकर वाहन को आगे बढने को सुकर बनाने के लिए पडोस वाले घर की खिडकी में अपनी एल एम जी से मोर्चा ले लिया । बकर वाहन का पीछे लाने के दौरान, उग्रवादियो ने गोलीबारी कर दी और उसके टायर को पचर कर दिया तथा इस प्रकार उसे गतिहीन कर दिया । श्री राकेश कुमार, सहायक कमाडेट और कास्टेबल राजेश सिह नीचे उतरते हुए और मोर्चा लेते हुए जख्मी हो गए । उसके पश्चात, श्री राठौर, उप कमाडेट के नेतृत्व वाले एक दल ने लक्षित घर पर धावा बोल दिया और उग्रवादी जब तक उन पर गोलीबारी चला पाता उससे पहले ही उसे घटनास्थल पर मार गिराया । दरवाजे के पीछे छिपे हुए एक दूसरे उग्रवादी ने श्री राठौर पर गोलीबारी कर दी और उन्हें गभीर रूप से जख्मी कर दिया । असमजस्ता की स्थिति का लाभ उठाते हुए, उग्रवादी ने सामने वाले दरवाजे से बच निकलने का प्रयास किया लेकिन वह श्री यादव द्वारा मार गिराया गया । श्री राठौर ने अस्पताल ले जाते समय अपने जख्मो के कारण दम तोड़ दिया । मारे गए उग्रवादी की बाद मे शबीर खान और शाहिर खान, दोनो विदेशी भाड़े के सैनिक, के रूप मे पहचान की गई । क्षेत्र की तलाशी लेने पर 02 ए के -47 राइफलें, 04 ए के -47 मैगजीने और गोलाबारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड में, (दिवगत) श्री बी एस राठौर, उप कमाडेट और श्री त्रिभुवन यादव, कास्टबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 16 अक्तूबर,2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 76- प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) कमलेश कुमार, कांस्टेबल, 105वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

(2) (दिवंगत) अशोक सोरेन, कांस्टेबल, 105वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

(3) (दिवंगत) हेमंत कुमार, कांस्टेबल, 105वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

(4) (दिवंगत) पी वी वर्गीज, हैड कांस्टेबल, 105वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27 जुलाई, 2000 को सीमा सुरक्षा बल की 105वीं बटालियन को गांव पंगलार में उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। 15 कार्मिकों का एक दल संदिग्ध गांव की ओर तेजी से रवाना हुआ। जब दल लक्षित घर की तरफ बढ़ा, तब उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी शुरु कर दी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में, कांस्टेबल अशोक सोरेन, कांस्टेबल कमलेश कुमार और कांस्टेबल हेमंत कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए। गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद, वे बहादुरी से लगातार गोलीबारी करते रहे। कांस्टेबल हेमंत कुमार ने लड़ते हुए घावों के कारण दम तोड़ दिया। इसी बीच, कांस्टेबल कमलेश कुमार ने तेजी से कार्रवाई की और उग्रवादियों की तरफ अपने 51 एम एम एम ओ आर से एच ई बमों को दागा तथा उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया। फुर्ती से की गई इस कार्रवाई में, उन्होंने अपना मोर्चा बदला और कांस्टेबल अशोक सोरेन की एल एम जी से गोलीबारी की तथा एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। यह भीषण गोलीबारी एक घंटे तक चली। कांस्टेबल राजीव एम वी गोलियों से जख्मी हो गए और हैड कांस्टेबल पी वी वर्गीज, कांस्टेबल बनवारी लाल तथा श्री अशोक सोरेन ने भी गोलियों से हुए जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। मुठभेड़ के दौरान, दो अफगान मूल के विदेशी उग्रवादी मार गिराए गए और इसके अलावा 02 ए के 47 राइफलें, 01 रेडियो सेट (केन वुड), 02 हैंड ग्रेनेड तथा गोलाबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री कमलेश कुमार, कांस्टेबल, (दिवंगत) सर्वश्री अशोक सोरेन, कांस्टेबल हेमंत कुमार, कांस्टेबल और पी वी वर्गीज, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 2000 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 77-प्रेज/2002-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) जय सिह, सहायक कमाडेंट, 10वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

(2) तोता सिह, कास्टेबल, 10वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5 सितम्बर, 2000 को उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना पर, गाव तुजान ओर तिलासुर मे सीमा सुरक्षा बल की 10वी ओर 171वी बटालियन की टुकड़ियों द्वारा एक सयुक्त घेराबदी तथा तलाशी अभियान चलाया गया। श्री जय सिह की कमान मे एक दल ने सदिग्ध इलाके की घेराबदी की । श्री सिह ने तलाशी अभियान के बारे में मस्जिद से घोषणा करते हुए देखा कि 4 व्यक्ति गाव से बाहर खिसक रहे है। उन्होने चारों व्यक्तियो को ललकारा। उग्रवादियो ने गोलीबारी शुरु कर दी ओर तलाशी पार्टी पर हथगोले फेके। श्री सिह उनके बचकर भागने के रास्ते को बद करने के लिए दौड़े और उन्हें नजदीक से कार्रवाई करके उलझा दिया तथा एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए। शेष तीन उग्रवादी घने पेड-पौधों और ऊँचे-नीचे मैदान का लाभ उठाकर बच कर भाग गए। इसी बीच, श्री एस एन पाडे, सहायक कमाडेंट के नेतृत्व में कुमुक घटनास्थल पर पहुच गई। उग्रवादिया को पुन गाव जोगीपाडा के नजदीक देखा गया। श्री जय सिह और कास्टेबल तोता सिह एक किनारे से आगे बढ़े और उस पोजीशन के नजदीक पहुच गए जहाँ से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे। श्री पाडे के नेतृत्व वाला दल दूसरे किनारे से आगे बढ़ा। उग्रवादियो ने दल पर ग्रेनेड फेकने शुरु कर दिए, श्री जय सिह, सहायक कमाडेंट और कास्टेबल तोता सिह ने प्रभावी ढग से गोलीबारी की और उन्हें श्री पाडे तथा कास्टेबल ओम स्वामी ब्रह्मा द्वारा यथोचित रुप से सहायता दी गई। एक उग्रवादी खुले मे आ गया और कास्टेबल ब्रह्मा पर गोली चला दी। कास्टेबल ब्रह्मा ने उग्रवादी पर तत्काल गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर मार गिराया। श्री जय सिह, सहायक कमाडेट और कास्टेबल तोता सिह उग्रवादियों के काफी करीब पहुच गए थे और कास्टेबल तोता सिह ने आमने-सामने की लड़ाई में एक उग्रवादी को गोली मार दी। इस अभियान के कारण एच एम गुट के चार कट्टर उग्रवादी अर्थात गुलाम मोहम्मद डार, अब्दुल रशीद डार, अलीम वनी निवासी जिला पुलवामा और मुश्ताक अली निवासी जिला बदगाम, मारे गए तथा 04 ए के राइफल, 01 पिस्तौल, 01 वायरलेस सैट, 04 हथगोले, 07 राइफल ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोलाबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ मे, सर्वश्री जय सिह, सहायक कमाडेंट और तोता सिह, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 5 सितम्बर, 2000 मे दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)

निदेशक

सं0 78 - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री अमोली लाल,
कांस्टेबल (जी. डी.)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26.3.2000 को श्री मोहित राम, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में पहली बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 'ए' कम्पनी की एक प्लाटून अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोंगईगांव और अन्य पुलिस कर्मियों सहित जब नुम्बरपारा गांव के निकट गश्त लगा रही थी तब बांसों के झुंड में छिपे हुए उग्रवादियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। उग्रवादियों ने गश्ती दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। पुलिस दल ने हमले का जवाब दिया और परस्पर गोलीबारी के दौरान, एक उग्रवादी, जिसकी पहचान बाद में उल्फा गुट के श्री मेहेंग कचारी के रुप में की गई, ने भागने का प्रयास किया। श्री अमोली लाल कांस्टेबल (जी.डी.) ने उसका पीछा किया। बचकर भागते हुए उग्रवादी का पीछा करते हुए परस्पर गोलीबारी में श्री अमोली लाल को बाएं घुटने में गोली लगने से गंभीर चोटें आईं। घावों और अत्याधिक खून बहने के बावजूद ये भागते हुए उग्रवादी का पीछा करते रहे और उसे मार गिराया। उसके तत्काल बाद श्री लाल बेहोश होकर गिर पड़े और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मारे गए उग्रवादी से एक - ए के 56 राइफल, ए के 56 की 3 मैगजीन, 61 जिंदा राउंद, 5 खाली कारतूस और एक मैगजीन पाउच बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री अमोली लाल, कांस्टेबल (जी.डी.) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मार्च , 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0**79** - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है.-

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवगत) श्री आदेश कुमार
लास नायक, 83वी बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28.5.97 को लगभग 10.30 बजे पुलिस स्टेशन सुरनकोट में जानकारी प्रापत हुई कि जम्मू और कश्मीर के पूछ जिले के मेन्धर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत ग्राम नाका मन्जेरी मे पाकिस्तान में प्रशिक्षित कुछ उग्रवादियों को एक घर में घुसते देखा गया है । एस डी पी ओ, एस एच ओ तथा जम्मू और कश्मीर पुलिस के पांच जवानो के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून ने सदिग्ध घर को घेर लिया । लास नायक आदेश कुमार को एक टुकड़ी के साथ दरवाजों/खिड़कियों तथा बच निकलने के अन्य रास्तो पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया ताकि कोई भी उग्रवादी बच के भारगने नही पाए । सुरनकोट के एस एच ओ ने उग्रवादियो को आत्मसमर्पण करने के लिए अनेक बार घोषणा/चेतावनी हो । जब उन्हें मनाने के सारे यत्न विफल हो गए तब लांस नायक आदेश कुमार अपनी टुकडी तथा जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों के साथ छत में सुराख करने के लिए छत पर चढ गए । जब छत में सुराख करना शुरू किया गया तभी उग्रवादियेा ने मकान के भीतर ये राकेट लांचर से गोला दागा । राकेट की आवाज सुनकर अन्य जवान सुरक्षा के लिए नीचे कूद पड़े परन्तु लास नायक आदेश कुमार छत पर डटे रहे । राकेट के हमले से धुए व धूल का एक गुबार उठा तथा उसकी आड़ लेकर उग्रवादी अन्धाधुध गोलिया चलाते हुए ढलान की तरफ भागने लगे । श्री आदेश कुमार को छत पर चढे देखकर एक उग्रवादी ने ए.के.47 राइफल पर फिट किए गए मेकेनिज्म से एक एयर बर्स्ट ग्रेनेड छत की ओर दागा । लास नायक आदेश कुमार बुरी तरह घायल हो गए । गभीर रूप से घायल होने के बावजूद उनहोंने एयर बर्स्ट ग्रेनेड दागने वाले उग्रवादी पर गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया । अचानक दो उग्रवादियो ने विभिन्न दिशाओं में अन्धाधुंध गोलिया चलाना प्रारभ किया और उस जगह सामने आ गए जहा कास्टेबल सिद्ध गगैया तथा कास्टेबल जागीर सिह पोजीशन लिए हुए थे । दोनों कास्टेबल अपनी पोजीशन से बाहर आ गए तथा उग्रवादियों पर गोली चलाने लगे तथा उनमें से एक उग्रवादी को मार गिराया तथा दूसरे को घायल कर दिया । घायल उग्रवादी रोकेट, रोकेट लाचर तथा पिस्तौल पीछे छोड़कर भाग निकला । घटना स्थल से 02 ए.के.47 राइफले, 03 राकेटों सहित एक राकेट लांचर, 3 पिस्तौले तथ 27 ग्रेनेडो, 03 वायरलैस सैटों तथा बड़ी मात्रा में साजो-सामान और उपकरणों सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई । बाद में घावों के कारण श्री आदेश कुमार की मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में, (दिवगत) श्री आदेश कुमार, लास नायक ने अदम्य वीरता, साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 28 मई, 1997 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 80 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

श्री रणधीर सिंह
हैड कांस्टेबल, ड्राईवर

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

24.5.1998 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी को, बेकार भण्डार और यूनिट के तीन खराब वाहनो को मरम्मत के लिए इम्फाल छोडने के लिए तैनात किया गया था । रास्ते में किसी प्रकार की घात से बचाकर इन वाहनो को सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए 25.5.98 को डी/23 बटालियन की एक प्लाटून को भी तैनात किया गया । जब ये वाहन लिसांग और मोंगलेनफाई गांव के बीच थोंगाननगनबी पुल पर पंहुचे तो ये 30/40 उग्रवादियों द्वारा लगायी गयी सोची समझी घात में फंस गए । उग्रवादियों ने सडक के पूर्वी और पश्चिमी तरफ की पहाडियों पर मोर्चा सम्भाल लिया । एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच की दूरी लगभग 70 से 80 गज थी । जब पहले वाहन ने पुल पार किया तो उग्रवादियों ने बस और जिप्सी पर गोलियां चलायी । बस का चालक श्री रणधीर सिंह हैड कांस्टेबल गोलियों से जख्मी हो गया लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी और उसे घात से बचाकर बाहर निकाल ले आए । पहली बार गोलीबारी होने के स्थान को पार करने के बाद बस पर पहाड़ी के उपर से दाहिनी तरफ से भारी गोलीबारी की गयी और बस का आगे का दाहिनी तरफ का टायर 40 एम.एम. राकेट लगने से क्षतिग्रस्त हो गया । चालक के दोनो पैर किरचों के कारण गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । चालक श्री सिंह ने जख्मी होने और टायर के फट जाने के बावजूद बस को नहीं रोका और उसे घात से बाहर निकाल ले गए । चालक ने दूसरी बार हुई गोलीबारी के स्थान को पार करके बस रोकी और पुलिस कार्मिक उससे नीचे उतर गए और गोलियों का जवाब दिया । इस प्रकार, चालक ने अपने वीरतापूर्ण कार्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों की जाने बचाई ।

इस मुठभेड़ में, श्री रणधीर सिंह हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 मई, 1998 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 81 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) (दिवंगत) जगपति राम, हैड कांस्टेबल, 48वीं बटालियन
(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

(2) (दिवंगत) एस के कुशवाहा, कांस्टेबल,
48वीं बटालियन (वीरता के पुलिस पदक)

(3) पी सी जोशी, महानिरीक्षक, ओप्स
(वीरता के लिए पुलिस पदक)

(4) (दिवंगत) आर पी यादव, हैड कांस्टेबल,
48वीं बटालियन (वीरता के लिए पुलिस पदक)

(5) (दिवंगत) सुश्री बिंदु कुमारी, कांस्टेबल
(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16 जनवरी, 2001 को सेना की वर्दी में लश्कर-ए-तैयबा के छह फिदाईन उग्रवादियों ने उसी दिन हाइजैक की गई राज्य वन विभाग की एक महेन्द्रा जीप में श्री अली मोहम्मद सागर, लोक निर्माण विभाग मंत्री, जम्मू और कश्मीर, के मोटर काफिले का स्वयं को इस मंत्री के एस्कोर्ट दल का दिखावा करते हुए पीछा किया। उन्होने मंत्री के एस्कोर्ट का दिखावा करके सिविल पुलिस नाका को भी चकमा दिया। सिविल पुलिस नाका को पार करने के पश्चात, ये उग्रवादी तेजी से गेट सं0 1 की तरफ भागे, जहाँ इन्हें उप-निरीक्षक नारायण सिंह, चौकी कमांडर ने रोका, क्योंकि इस स्थान से आगे हथियार ले जाने पर सख्त मनाही थी। ये उग्रवादी तत्काल अपनी जीप से बाहर कूदे और ड्यूटी पर तैनात संतरियों की तरफ ग्रेनेड फेंकना शुरु कर दिया और विमानपत्तन में प्रवेश करने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संतरियो ने तत्काल पोजीशन ले ली और जवाबी हमला किया। महानिरीक्षक (ओप्स) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर, जो कि सोनावर की तरफ जा रहे थे, गेट सं0 1 पर फिदाईन हमले की सूचना पा कर तेजी से भागे और मिनटों में घटनास्थल पर पहुँच गए तथा अभियान की कमान अपने हाथ में ले ली। विमानपत्तन पर गेट सं0 1 पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल एस के कुशवाहा ने जवाबी गोलीबारी की और अपने मोर्चे के समीप उग्रवादियों में से एक को मार गिराया तथा दूसरे को जख्मी कर दिया। इस कार्रवाई में, उसे उग्रवादी की एक गोली श्री कुशवाहा को लगी और वे तब तक लगातार गोलीबारी करते रहे जब तक कि वे अचेत होकर गिर नहीं पड़े। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया। श्री जगपती राम, हैड कांस्टेबल, एक्स-रे कक्ष के सामने वाहनो/यात्रियों की जाँच/जामः तलाशी कर रहे थे। उग्रवादी हमले को देख कर, उन्होंने मोर्चे से अपनी राइफल उठाई और मोर्चा सं0 2 के समीप पोजीशन ले ली। उन्होंने जवाबी गोलीबारी की और दो उग्रवादियो मे से एक, जो गेट सं0 1 के बैरियर को पार करने का प्रयास कर रहा था, को मार गिराया। उन्होंने

दूसरे उग्रवादी को भी उलझा लिया और उसे जख्मी कर दिया। जख्मी उग्रवादी ने पलट कर गोलीबारी की जो श्री राम को लगी। हालांकि, हैड कांस्टेबल राम ने अपनी पोजीशन बदलने के लिए मोर्चा सं0 1 की तरफ रेंगने का प्रयास किया, परन्तु वे बेहोश हो कर गिर गए और उन्होने वहीं प्राण त्याग दिए। चैकिंग/जाम: तलाशी का कार्य कर रहे श्री नारायण सिंह, उप-निरीक्षक ने एक जीप को बहुत तेजी के साथ गेट स0 1 के तरफ बढ़ते हुए देखा। उन्होंने उस जीप को रोकने का प्रयास किया, उग्रवादी ने अपने वाहन को रोका और हथगोले फेंके तथा संतरियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्रीनारायण सिह ने तुरंत पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी की तथा उनमें से एक उग्रवादी को निष्क्रिय कर दिया जो कि पहले हुई आपसी गोलीबारी मे घायल हो गया था लेकिन विमानपत्तन की तरफ तेजी से जाने का प्रयास कर रहा था। उनमे से एक उग्रवादी, जो एक्स-रे कक्ष में घुसने में कामयाब हो गया था, ने गोलियाँ चलानी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो महिला कार्मिक जख्मी हो गईं। सुश्री बंदु कुमारी, कांस्टेबल ने अपनी बंदूक उठा ली और उग्रवादी की तरफ गोलीबारी की। एक उग्रवादी ने पलट कर कांस्टेबल सुश्री बिंदु कुमारी पर दूसरी दिशा से गोलीबारी की और उन्हें गंभीर रुप से घायल कर दिया। श्री राम प्रकाश यादव, हैड कांस्टेबल, जो कि एक्स-रे-मशीन पर ड्यूटी कर रहे थे, तत्काल महिला केबिन की तरफ दौड़े और महिला कांस्टेबलो में से एक के हथियार को उठा लिया। अपनी तरफ उग्रवादी को बढ़ते देखकर, वे उसे निहत्था करने के लिए उस पर कूद पड़े तथा उसे मार गिराया। तथापि, वे उग्रवादी द्वारा घायल कर दिए गए और बाद में उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। श्री पी सी जोशी, महानिरीक्षक (ओप्स) पहले ही घटनास्थल पर पहुँच चुके थे। श्री जोशी रेंगते हुए भारी गोलीबारी के बीच एल एम जी मोर्चा सं0 1 पर पहुँचे। उन्होंने पूरे अभियान को अपने नियंत्रण में ले लिया। श्री जोशी ने भी एक्स-रे कक्ष की तरफ कवरिंग गोलीबारी शुरु कर दी जहाँ दो उग्रवादियों ने बचने का प्रयास किया था और एक्स-रे कक्ष में घुस गए थे। बायीं तरफ की दुकानों में छिपे एक उग्रवादी ने एक ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। श्री जोशी ने अपने जवानों से जीवित बचे छठे उग्रवादी को उलझाने का आदेश दिया। श्री जोशी उग्रवादी गोलीबारी से बाल-बाल बचे। श्री जोशी ने अपने जवानों को उस दुकान में, गोलीबारी करने तथा ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया जहाँ इस उग्रवादी ने शरण ले रखी थी। ग्रनेड फटने के कारण दुकानें जल गईं और बुरी तरफ क्षतिग्रस्त हो गईं। मलबे की तलाशी लेने पर, एक उग्रवादी का शव और हथियार बरामद किए गए। श्री ए के बजपाल, उप-कामंडेंट ने भी एक्स-रे कक्ष के सामने वाले नाले में पोजीशन ले ली और गेट सं0 1 की तरफ कवरिंग गोलीबारी की। उग्रवादियों को मार गिराने के पश्चात, वे अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे रेंगकर मोर्चा सं0 3 की तरफ बढ़े। श्री ए के साहू, सहायक कमांडेंट अपनी राइफल लेकर, अपने चालक के साथ सीधे गेट सं0 1 की तरफ बढ़े और पोजीशन ले ली। इन्होंने विमानपत्तन की तरफ खुलने वाले एक्स-रे कक्ष के दरवाजे को कवर कर लिया और उग्रवादी के बच निकलने के रास्ते को बद कर दिया। श्री साहु ने विमानपत्तन दिशा की ओर से उग्रवादी को तब तक उलझाए रखा जब तक कि उसका सफाया नहीं कर दिया गया । मुठभेड़ स्थल से 5 ए.के.-47, 9 ए के - 47 मैगजीन और 102 ए के - 47 ग्रेनेड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री पी.सी. जोशी, महानिरीक्षक, ओप्स और दिवंगत सर्वश्री जगपती राम, हैड कांस्टेबल, एस के कुशवाहा, कांस्टेबल, आर पी यादव, हैड कांस्टेबल एवं सुश्री बिंदु कुमारी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 2001 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 82 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री महिपाल सिंह,
लांसनायक, 122वीं बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.9.2000 को जिला पुलिस, बदगाम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 122वीं बटालियन के कार्मिकों को सूचना मिली कि पारिमपोरा निवासी अब अजीर मीर, पुत्र मोहम्मद रमजान मीर, कमरबाड़ी में एक खूखार उग्रवादी नामतः शौकत अहमद लोन उर्फ पप्पू लोन, पुत्र काजीर मोहम्मद लोन, निवासी बटमालू, जो अनेक हत्याओं में संलिप्त है, को शरण दिए हुए है। जिला पुलिस अभियान ग्रुप बदगाम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 122वीं बटालियन की दो सैक्शन सहित कम्पनी की एक संयुक्त टीम उस क्षेत्र में गयी और लगभग 0345 बजे संदिग्ध मकान को घेर लिया। मकान पर छापा मारने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस अभियान ग्रुप, बदगाम की एक संयुक्त टीम बनाई गई। लांसनायक महिपाल सिंह और अन्य कांस्टेबल स्वतः सहायता ग्रुप में शामिल हुए। जब पार्टी मकान के नजदीक पहुंचने वाली थी तो उग्रवादियों ने अंधाधुंध ग्रेनेड फेंकने शुरु कर दिए जिससे छापामार पार्टी जख्मी हो गई। श्री सिंह ने अपने सहायक के साथ तत्काल मोर्चा सम्भाला और जवाबी गोलीबारी की। इसी बीच, उनके नजदीक एक ग्रेनेड गिरा जिससे श्री महिपाल सिह और उनका सहायक जख्मी हो गए। यह देख कर श्री सिंह ने अपने सहायक से पीछे हटने को कहा और अन्य जवानों और जख्मी कार्मिकों को कवरिंग फायर दी ताकि वे वहां से हट कर सुरक्षित स्थान पर जा सकें। उग्रवादी ने श्री सिंह को निशाना बनाया और उनकी एल एम जी के सामने एक ग्रेनेड फटा जिससे लांसनायक सिंह गंभीर रुप से जख्मी हो गए और उनकी एल एम जी भी जाम हो गयी तथा अतिरिक्त मेगजीनों वाला थेला भी विस्फोट से उड़ गया। श्री सिंह ने चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही दम तोड दिया। बाद में, इस अभियान में शौकत अहमद लोन उर्फ पप्पू लोन मारा गया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री महिपाल सिंह, लांसनायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 सितम्बर , 2000 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 83 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सुदर्शन कुमार
निरीक्षक (जी.डी.) 69वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23.11.99 को श्री सुदर्शन कुमार, निरीक्षक को आसूचना रिपोर्ट मिली कि एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक सहित अधुनातन हथियारों से लैस दो खुंखार उग्रवादी, पुलवामा जिले में फकीर मोहल्ला, तराल में एक मकान में छिपे हुए हैं। सुदर्शन कुमार, निरीक्षक के पास केवल दो सैक्शन थे जो छिपने के स्थान को घेरने के लिए अपर्याप्त थे। उन्होंने कुमुक भेजने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन से सम्पर्क किया और उपलब्ध विशेष कार्रवाई बल कार्मिकों के साथ, तराल पुलिस स्टेशन के एस एच ओ को भी साथ लिया। यह पार्टी अपनी आवा-जाही को छुपाने के लिए अंधेरे की आड़ में लगभग 2030 बजे उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर पहुंची। बाहरी घेरा डालने के बाद, श्री कुमार ने दोनों घरों को घेर लिया और एक मकान की तलाशी ली। दूसरे मकान की तरफ जाते हुए, तलाशी पार्टी ने मकान के अन्दर से कुछ संदेहास्पद आवाजें सुनी। अचानक दो उग्रवादी उस मकान के प्रथम तल से दोनों मकानों को विभाजित करने वाली एक संकरी गली में कूद पड़े। श्री कुमार ने उग्रवादियों से रुकने के लिए कहा लेकिन उन्होंने उन पर गोली चला दी। श्री कुमार ने जवाबी गोलीबारी की। उग्रवादियों ने लगातार गोलियां चलाते हुए पास की गली से भागने की कोशिश की। सुदर्शन कुमार निरीक्षक ने उनका पीछा किया और दोनों उग्रवादियों पर गोलियां चलायी, जिससे दोनों उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारे गए। मारे गए दोनों उग्रवादियों की पहचान बाद में अस्दुल्ला भट्ट, पुंत्र सत्तार भट्ट जिला कमांडर, हिज्जबुल मुज्जाहिद्दीन जिला पुंलवामा, जम्मू और कश्मीर तथा मासाबिन उमेर, पुत्र गुंलियाना खारियां, पाकिस्तानी राष्ट्रिक के रुप में की गई।

मारे गए उग्रवादियों से 2 ए के राईफल, 10 - मैगजीन ए के 271 राउंद, 01 पिस्तौल, 07 मैगजीन, 2 - वायरलेस सेट, पेन विड सील- 01 ए एस जी आर, ए के 47 - बेनेट - 1, ए के ग्रेनेड लॉन्चर - 2, राईफल ग्रेनेड - 12, ट्रांजिस्टर सेट - 1, टेप रिकार्डर छोटा - 1, और 01 कैमरा बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री सुंदर्शन कुमार, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 नवम्बर, 1999 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 84 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री मनदीप सिंह
हैड कांस्टेबल (जी.डी.), 39वी बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.8.2000 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एफ/39वीं बटालियन और 4 विशेष कार्रवाई बल के कार्मिक उस एक उग्रवादी, जो पहले हुई मुठभेड़ों में बचकर भाग गया था, की तलाश में सोरेना चौरा गांव में तलाशी अभियान पर थे। जब पार्टी तलाशी ले रही थी तो उन्हें सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति को पहाड़ी पर स्थित एक खाली पड़े मकान में देखा गया है। श्री मनदीप सिंह, अपनी टुकड़ियों और विशेष कार्रवाई बल कार्मिकों के साथ तत्काल घर की तलाशी लेने के लिए गए। टुकड़ियों को आते देख, उग्रवादी नजदीक के मक्की के खेत में भाग गया। श्री सिंह ने पार्टी को तत्काल, दो अलग-अलग दिशाओं से पीछा करने का आदेश दिया। अचानक, उग्रवादी ने गोली चलाई और तलाशी पार्टी की तरफ एक हथगोला फेंका। श्री सिंह, हमले से बाल-बाल बचे। समय गंवाये बिना श्री सिंह, मक्की के खेत में छिपे उग्रवादी की तरफ बढ़े और उसकी तरफ हथगोला फेंका और उसके बाद गोलियों की भारी बौछार की। दोनों तरफ से 14 घंटे तक गोलीबारी हुई। घनी झाड़ियों वाले कठिन भू-भाग की सावधानीपूर्वक खोजबीन की गयी। खोजबीन अभियान के दौरान उग्रवादी ने आगे बढ़ रही टीम पर गोलियां चलायी तथापि, हैड कांस्टेबल मनदीप सिंह अपने जवानों के साथ रेंगते हुए आगे बढे और उन्होंने एक और हथगोला फेंका तथा गोलियां चलायी और उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मारने में सफल हो गए। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया :-

1. ए के - राईफल 56 - 01, 2. ए के 56 मैगजीन - 04, .3 चीन निर्मित, हथगोला - 01, 4. ए के 56 गोलाबारुद - 58 राऊन्ड, 5. नगद - 2400रु., 6. डिस्पोजेबल इन्जेक्शन और दवाईयां। मारे उग्रवादी की पहचान बाद में लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से सबधित पाकिस्तानी राष्ट्रिक के रुप में की गयी।

इस मुठभेड़ में, श्री मनदीप सिंह ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 अगस्त , 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 85 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

श्री एस0एस0 गिल,
उप कमान्डेन्ट, 30वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

11.1.2001 को श्री एस0एस0 गिल, उप कमान्डेन्ट (आपरेशन) अपनी प्लाटून और सीमा सुरक्षा बल और स्पेशल आपरेशन ग्रुप, जम्मू और कश्मीर पुलिस, प्रत्येक की एक-एक प्लाटून के साथ पुलवामा में दैनिक गश्त ड्यूटी पर थे । जैसे ही वे पुलवामा तेनगाहर क्वायल रोड पर पहुंचे और गांव मस्तपुना से गुजर रहे थे, तो नजदीक के मकानों में छिपे उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की । श्री गिल की कमान में टुकडियों ने तत्काल मोर्चा सम्भाला और मकान को दो तरफ से घेर लिया और जबाबी गोलीबारी की । दोनों उग्रवादी मारे गए और तलाशी लेने पर दो ए.के.47 राईफल, 3 मैगजीन, एक ग्रेनेड लॉन्चर, 02 ग्रेनेड और 03 इलेक्ट्रोनिक डिटोनेटर बरामद किए गए । इन उग्रवादियों की पहचान मुख्तार अहमद गनाई, पुत्र अब्दुल गनाई निवासी बासबट, पुलवामा, पुलवामा, के लिए हिज्जबुल मुजजाहिद्दीन तंजीम का क्षेत्रीय कमान्डर और मोहम्मद अमीन डार, पुत्र अब्दुल रसीद डार, निवासी तुजान, पुलवामा पाखरपुरा के लिए हिज्जबुल मुज्जाहिद्दीन के कम्पनी कमान्डर के रूप में की गई । उस घर जहां पर उपर्युक्त दो उग्रवादी छिपे हुए थे, की तलाशी के दौरान, हिलाल अहमद मीर नामक एक बालक को पकड़ा जिससे श्री गिल ने पूछताछ की । उसकी सूचना पर पुलिस पार्टी दूसरे घर पर गयी जहां पर दो उग्रवादी छिपे हुए थे । पुलिस पार्टी को देखने पर, उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाई । पुलिस पार्टी ने जबावी कार्रवाई की । हथगोले फैके जाने के कारण, मकान में आग लग गई । श्री गिल ने अपनी टीम के साथ चारदिवारी के नजदीक मोर्चा सम्भाला । एक उग्रवादी श्री गिल और पार्टी की तरफ गोलियां चलाता हुआ बाहर कूदा । श्री गिल ने आड़ लेकर भाग रहे उग्रवादी पर गोलीबारी की और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। कुछ समय बाद, मकान में छिपें दूसरे आतंकवादी ने भारी गोलीबारी की और पुलिस की तरफ ग्रेनेड फैका जो जवानों को कोई नुकसान पहुंचाये बिना गली में गिरा । धुंऐ और आग के कारण उग्रवादी श्री गिल और पार्टी से मात्र 2 गज की दूरी पर, खिडकी से बाहर कूदा । श्री गिल ने उग्रवादी पर गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। मारे गए उग्रवादियों से तीन मैगजीनों सहित दो ए.के.56 राईफले बरामद की गई । मारे गए उग्रवादियों की पहचान 1. मो0 असरफ लोन, पुत्र गुलाम मोहिद्दीन, निवासी उर्सचारसू, पुलवामा, पारिगाम के लिए हिज्जबुल मुज्जाहिद्दीन के कम्पनी कमान्डर, और कराची पाकिस्तान के काका भाई उर्फ मसूद भाई, विदेशी राष्ट्रिक उग्रवादी, के रूप में की गयी ।

इस मुठभेड़ में, श्री श्री एस0एस0 गिल, उप-कमान्डेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 जनवरी, 2001 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 86 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री ए. अब्दुल माजिद

हैड कांस्टेबल, 91वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

इस सूचना पर कि गांव तरहामा, पुलिस स्टेशन पट्टन, जिला बारामुल्ला में तीन सशस्त्र उग्रवादी छिपे हुए हैं, 91वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो प्लाटून, एस ओ जी श्रीनगर के साथ उग्रवादियों को पकड़ने के लिए 18.7.2000 को गांव तरहामा पहुँचे। संदिग्ध घर, जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे, को चारों तरफ से घेर लिया गया। सी/91वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल ए अब्दुल माजिद और कांस्टेबल ए सी गिरी ने खिड़कियों की निगरानी करने के लिए पड़ोसी मकान के प्रथम तल पर मोर्चा सम्भाला, ताकि उग्रवादी खिड़कियों के रास्ते से बचकर भाग न सकें। उग्रवादियों ने बढ़ रहे दल पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी, जिसका तुरंत जवाब दिया गया। सशस्त्र उग्रवादियों ने वैकल्पिक मोर्चा लेने के लिए घर की खिड़की से बच कर भागने का प्रयास किया। हैड कांस्टेबल अब्दुल माजिद ने बच कर भाग रहे उग्रवादियों को ललकारा और उन पर गोलीबारी की। उग्रवादियों को वापस अपने छिपने के स्थान पर लौटना पड़ा। बचाव का और कोई दूसरा रास्ता न देखकर, उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी और बाद में ग्रेनेड फेंक कर हैड कांस्टेबल अब्दुल माजिद के मोर्चे पर पुनः हमला किया। हैड कांस्टेबल अब्दुल माजिद ने लगभग 25 मिनट तक काफी करीब से घमासान लड़ाई करके उग्रवादियों को उलझाए रखा और एक उग्रवादी को मार गिराने में सफल हो गए। तथापि, उन्हें गोली लग गई और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। अन्य उग्रवादी अपने छिपे हुए स्थान से भागने में सफल नहीं हो सके और बाद में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, एस ओ जी और सेना के संयुक्त अभियान में मारे गए। घटनास्थल से 03 ए के - 47 राइफलें, 04 ए के मैगजीन, एक ग्रेनेड लांचर, एक वायरलैस सैट, एक पिस्तौल (माऊजर), 03 पिस्तौल मैगजीन और 2 थैलियाँ बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री ए अब्दुल माजिद, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 87 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री इन्द्रजीत,
कांस्टेबल, 83वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

8.5.1999 को सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी कम्पनी मुख्यालय से 8 कि.मी. दूर लस्साना टोप गांव के एक मकान में शरण लिए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक (ओप्स) सुरनकोट द्वारा एस डी पी ओ मेंढर और 83वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी के साथ तत्काल एक अभियान चलाने की योजना बनाई गई। एस ओ जी, जम्मू और कश्मीर पुलिस के 40 कार्मिकों के साथ एक टुकड़ी संदिग्ध गांव की ओर गई। पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध मकान पर छापा मारा गया लेकिन इसे खाली पाया। तब पुलिस दलों ने क्षेत्र की तलाशी शुरु की। जब ये दल पहाडी से नीचे आ रहे थे तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। इन्होंने भी जवाब में गोलियां चलाईं और एक उग्रवादी को मार दिया। कांस्टेबल इन्द्रजीत और हैड कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन, जो अभियान दल के सदस्य भी थे, ने एक उग्रवादी जिसका नाले में छिपे होने का संदेह था, की हरकतों को देखने के लिए एक छोटी सी दीवार के पीछे मोर्चा संभाल लिया। वहां कोई हरकत न देखकर कांस्टेबल इन्द्रजीत और हैड कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनको देखते ही नजदीक ही झाड़ियों में छुपे एक उग्रवादी ने अपनी ए के-47 राइफल से उन पर गोलियां चलाईं। कांस्टेबल इन्द्रजीत गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने उग्रवादियों पर गोलियां चलाना जारी रख उसे उलझाए रखा । अनंत: उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री इन्द्रजीत, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1999 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 88 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री अशोक कुमार,
कांस्टेबल, 54वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गणतंत्र दिवस समारोह 2000 से पहले दिन व्यापक सुरक्षा इन्तजाम किए गए थे और इसके एक भाग के रुप में 26 जनवरी, 2000 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 54वीं बटालियन की एक प्लाटून को तैनात किया गया था। तदनुसार श्री राजेश कुमार, सहायक कमांडैंट की कमान में 18 कार्मिकों की एक प्लाटून पुलिस स्टेशन अनंतनाग से 10 कि. मी. दूर कम्पनी मुख्यालय से रवाना हुई। जब प्लाटून सरथात कानवैंट हाई स्कूल, क्रान्सू के नजदीक पहुंची तो कांस्टेबल अशोक कुमार, जो अग्रिम पंक्ति के बांये गाईड थे, ने सड़क की बांई तरफ स्थित खाली पड़े एक मकान में कुछ हलचल देखीं। उन्होंने ललकारा, लेकिन उसके जवाब में, इस सड़क के बाईं तरफ पेड़ों के तनों के पीछे छुपे हुए आतंकवादियों ने श्री कुमार पर एक ग्रेनेड फेंका। वे गंभीर रुप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से 20 गोलियां चलाईं। 8-10 मिनट तक दोनों तरफ से गलियां चलती रही। आतंकवादी घटना स्थल पर पीछे भारी मात्रा में हथियार/गोलाबारुद छोड़कर भाग खड़े हुए। श्री कुमार द्वारा की गई कारगर गोलीबारी के कारण प्लाटून के अन्य कार्मिकों की जान बच गई और आंतकवादियों द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में बाधा डालने की योजना का एक बड़ा हादसा टल गया। श्री अशोक कुमार को सिविल अस्पताल, अनंतनाग, जम्मू ओर कश्मीर ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री अशोक कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 जनवरी, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 89 - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहन लाल,
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

9/10.11.2000 को श्री मोहन लाल, पुलिस उपाधीक्षक (प्रोब), जो एस एच ओ, पुलिस स्टेशन, धरमशाल का कार्य देख रहे थे,को एक मोहम्मद इस्माइल पुत्र अजीज दीन, निवासी बरेथी के मकान में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली । श्री मोहन लाल ने पुलिस दल के साथ उक्त मकान के इर्द गिर्द के क्षेत्र की धेराबन्दी कर दी और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं और ग्रेनेड फेंके जिसकी किरचों से श्री मोहन लाल घायल हो गए । घायल होने के बावजूद वे आगे बढे और उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं तथा अबू अली (लश्करे तैयबा कमांडर) नाम के एक विदेशी उग्रवादी को मार गिराने और घर में रहने वालों की जान बचाने में सफल हो गए । मुठभेड़ स्थल से एक - ए के 56 राइफल, 3 - ए के 56 मैगजीन, 55-ए के 56 राउंड एक वायर लैस सैट, सेना के रंग का गोली बारूद का एक पाउच और 2 हथगोले बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री मोहन लाल, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 नवम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 99 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है -

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सेवा सिह मनकोटिया,
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.12.2000 की शाम को पुलिस उप महानिरीक्षक, डोडा - उद्यमपुर रेज को सूचना मिली कि साभा और हीरानगर सैक्टर से पाकिस्तानी उग्रवादी भारत में घुए गए है। पूर्वनियोजित जवाबी कार्रवाई के तहत श्री सेवा सिंह मनकोटिया, पुलिस उपाधीक्षक, उद्यमपुर ने सीमा और कठुआ पुलिस कार्मिको के साथ सभावित मार्गों पर घात लगा ली। लेकिन उग्रवादी अधेरे में बचकर निकल गए। 21.12.2000 को श्री मनकोटिया ओर अन्य पुलिस अधिकारियों ने उग्रवादियों के पैरों के निशानों का पीछा करके उनका पता लगा लिया। लगभग 12 बजे उग्रवादियों द्वारा पुलिस दल पर भारी गोलीबारी और ग्रेनेडों से हमला किया गया। श्री सिह ने अपने पुलिस दल के साथ हमले का करारा जवाब दिया। उग्रवादियों ने भारी मात्रा में गोलीबारी से हमला किया लेकिन श्री मनकोटिया ने जवाबी हमला किया और दो पाकिस्तान राष्ट्रिक उग्रवादी मार गिराए। ताजा हमले में, श्री मनकोटिया ने पैट्रोल बम प्राप्त कर उसे उग्रवादियो के छिपने के ठिकाने पर फैका जिससे आग लग गई, जिससे उग्रवादियों द्वारा लगाई गई अनेक आई ई डी फट गईं जिसके फलस्वरुप, एक उग्रवादी के शव के चिथड़े-चिथड़े हो गए। शव और हथियार/गोलाबारुद बरामद करते हुए, दल के दो सदस्य नामत श्री मजूर अहमद एस जी सी टी और एस पी कठुआ के पी एस ओ कास्टेबल रेखी चन्द्र सिह घायल हो गए जिन्हे श्री मनकोटिया ने तत्काल अस्पताल भिजवा दिया। अन्ततः अभियान को चलाने के लिए सेना पहुच गई और शेष बचे हथियारों/गोलाबारुद और शवो की बरामदगी सेना द्वारा की गई।

इस मुठभेड़ मे, श्री सेवा सिह मनकोटिया, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 21 दिसम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(अरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 91 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री मुश्ताक अहमद,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16.2.2000 को श्री मुश्ताक अहमद, हैड कांस्टेबल मायसूमा चौक पर कार-ए-खास डयूटी पर तैनात किया गया था और वे अपनी सर्विस पिस्तौल लिए हुए थे। लगभग 1350 बजे, दो अज्ञात उग्रवादियों ने गोलियां चलाईं और 39वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के दो कार्मिकों को मार डाला। श्री अहमद ने गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने एक उग्रवादी को, सीमा सुरक्षा बल के एक मारे गए कांस्टेबल से छीनी एस एल आर राइफल के साथ बरबरशाह चौक की ओर भागते देखा। श्री अहमद ने मायसूमा चौक से बरबरशाह चौक तक उस उग्रवादी का पीछा किया और अपनी पिस्तौल से कम से कम तीन गोलियां चलाईं। उन्होंने उनमें से एक उग्रवादी को दबोच लिया और उससे एस एल आर छीन ली। तथापि उग्रवादी के दूसरे साथी ने श्री अहमद पर गोलियां चलाईं और वे बरबरशाह चौक के नजदीक गिर पड़े तथा उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया। उन्होंने एस एल आर अपने हाथों में पकड़ी हुई थी और आतंकवादी को हथियार छीनकर ले जाने नही दिया। पुलिस स्टेशन मायसूमा के कार्मिकों द्वारा हथियार श्री अहमद के शव से पुन: प्राप्त कर लिया गया और शव को बाद में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री मुश्ताक अहमद, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक , 16 फरवरी, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 92 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. दीपक कुमार सलाथिया, पुलिस अधीक्षक
2. प्रवीण सिंह, निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का बार)
3. बशीर अहमद, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.1.2001 को जब विशेष अभियान ग्रुप तथा 8 जे ए के राइफल की संयुक्त टीम ग्राम बिन्नेर पहुंची तो उग्रवादियों ने समीप के घरों से गश्ती दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की तथा हथगोले फेंके जिसकी गोलियों/किरचों से सर्वश्री सुरमसिंह, एस जी सी टी तथा कुलदीप सिंह, कांस्टेबल घायल हो गए। तत्काल श्री दीपक कुमार सलाथिया ने पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) तथा निरीक्षक, प्रवीण सिंह विशेष अभियान ग्रुप के अन्य लोगों के साथ इस क्षेत्र को घेर लिया और जवाबी गोलीबारी की। मुठभेड़ में विशेष अभियान ग्रुप के दो कार्मिक घायल हो गए तथा फंस गए। निरीक्षक, प्रवीण सिंह तथा कांस्टेबल, बशीर अहमद, श्री सलाथिया और कांस्टेबल बौधराज की कवरिंग गोलीबारी की आड़ में घायल को बचाने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। निरीक्षक, प्रवीण सिंह तथ कांस्टेबल बशीर अहमद रेंगते हुए घायल एस जी सी टी सुरम सिंह तथा कांस्टेबल कुलदीप सिंह के पास पहुंचे तथा उन्हें बचा लाए। श्री सलाथिया पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ने निरीक्षक प्रवीण के साथ उन नागरिकों को भी बचाया जो उस मकान में फंसे हुए थे जहां उग्रवादी छिपे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर धावा बोल दिया तथा उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उग्रवादियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की परन्तु श्री सलाथिया के नेतृत्व में विशेष अभियान ग्रुप की पार्टी ने दो उग्रवादियों को मार गिराया तथा कांस्टेबल बशीर अहमद तथा निरीक्षक प्रवीण सिंह ने तीसरे उग्रवादी को समाप्त कर दिया। गोलीबारी के दौरान श्री बौधराज, लांस नायक तथा रशपाल सिंह, लांस नायक भी गोलियां/किरचें लगने से घायल हो गए जिन्हें बाद में इलाज के लिए इस्पताल ले जाया गया। लश्कर-ए-तैयबा के निम्नलिखित तीन शीर्ष विदेशी उग्रवादी मारे गए:

1. अब्दुल्ला कमर कोड डॉक्टर अबू हैदर, पाकिस्तान निवासी, लश्कर-ए-तै यबा का जिला कमांडर
2. अब्दुल हसन, निवासी बेहोरी, पाकिस्तान
3. जुबिउल्लाह कोड़ अबू सरिया, निवासी गुजरांवाला(पाक अधिकृत कश्मीर)

मुठभेड़ स्थल से 3 ए के 47 राइफलें, 10 ए के मैगजीनें, 120 ए के राउन्द, 2 यू बी जी एल, 7 यू बी जी एल ग्रेनेड, 8 डेटोनेटर, 1 आई. ई. डी. और 11 हथगोले बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री दीपक कुमार सलाथिया, पुलिस अधीक्षक, प्रवीण सिंह, निरीक्षक तथा बशीर अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14.1.2001 से दिया जाएगा।

(अरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 93 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

**अधिकारी का नाम और रैंक**

श्री अशकूर अहमद वानी,
पुलिस अधीक्षक,

**उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:**

जून 28/29, 1997 को एच यू ए से संबंधित दुर्दान्त उग्रवादियों की संभावित आवा-जाही के बारे में जानकारी प्राप्त हुई । तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आपरेशन्स, श्रीनगर श्री ए0ए0 वानी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान ग्रुप के कार्मिक शीघ्रता से एच एम टी क्रासिंग की ओर रवाना हुए तथा उग्रवादियों के संभावित मार्ग पर बड़ी चतुराई से घातें लगायीं । हमले की योजना बनाते समय श्री वानी ने यह निर्णय लिया कि एक पार्टी, छोटे तथा त्वरित कार्रवाई ग्रुप के रूप में उस क्षेत्र की दूसरी दिशा को कवर करे । लगभग 2.30 बजे श्री वानी ने उग्रवादियों की हलचल देखी और उन उग्रवादियों को ललकारा । उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर हथगोले फेंके तथा गोलियां चलाई परन्तु पुलिस ने पीछा करना जारी रखा तथा एक भीषण मुठभेड़ हुई । मुठभेड़ के दौरान श्री वानी ने उग्रवादियों को अंधेरा होने तक आधे घंटे तक उलझाए रखा । श्री वानी अपनी ए के राईफल से गोलियां चलाते हुए उग्रवादियों की ओर लपके । धावा बोलते हुए अधिकारी को देखकर उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया । एक उग्रवादी, जिसकी पहचान बाद में चीफ अमीर एच.यू.ए., कश्मीर, सोना उल्लाह, निवासी कराची के रूप में की गई, ने पेड़ के पीछे से भारी गोलीबारी की ।श्री वानी रेंगकर उस उग्रवादी की ओर बढ़ते रहे । खतरे का आभास पाकर, वह उग्रवादी पीछे मुड़ा, लेकिन सतर्क श्री वानी ने इस उग्रवादी को मार गिराने में सफलता पाई । मारे गए आतंकवादी के साथी अंधेरे और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र का लाभ उठाकर पुलिस के जाल से बच निकले । मुठभेड़ स्थल से एक ए.के.47 राइफल, 2 ए.के. मैगजीन, ए.के. गोलाबारूद के आठ राउन्ड बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री अशकूर अहमद वानी, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 जून, 1997 से दिया जाएगा ।

(अरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 94 -प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गुलाम मुस्तफा

हैड कांस्टेबल (अब सहायक उप निरीक्षक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7.12.1999 को ग्राम वातल बाग में उग्रवादियों के ग्रुप की मौजूदगी के बारे में प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर विशेष अभियान ग्रुप, गन्दरबल द्वारा एक विशेष अभियान की योजना तैयार की गई । जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के हैड कांस्टेबल गुलाम मुस्तफा एस ओ जी पार्टी के सदस्य थे जिसने 5 आर आर के कार्मिकों के साथ मिलकर क्षेत्र को घेर लिया था । उग्रवादियों ने पुलिस/सुरक्षा बलों द्वारा घेराबन्दी करते देख अंधाधुध गोलियां चलाना शुरू कर दिया । एस औ जी के लिए जवाब में गोलियां चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि उक्त मकान में सिविलियन भी अन्दर फंसे हुए थे । हैड कांस्टेबल गुलाम मुस्तफा, घर के अन्दर लोगों की प्राण रक्षा करने और उग्रवादियों का सफाया करने के लिए स्वेच्छा से उस घर में प्रवेश करने के लिए आगे आए । इन्होंने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच मकान की पहली मंजिल पर धावा बोल दिया तथा वहां फंसे हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलाई । हैड कांस्टेबल मुस्तफा के कंधे में गोलियों की बौछार लगी जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए । अपने प्राणों तथा बहते खून की परवाह न करते हुए वह दो दुर्दान्त विदेशी उग्रवादियों को मारने में सफल हो गए । इस कार्रवाई में सिविलियनों को कोई नुकसान नहीं हुआ । मारे गए उग्रवादियों से दो एके राइफलें और एक आर पी जी बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, श्री गुलाम मुस्तफा, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 95 - प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री आशिक हुसैन बुखारी
पुलिस अधीक्षक, बड़गाम

(दिवंगत) श्री जाविद इकबाल
हैड कांस्टेबल, बडगाम

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26/27.9.2000 के बीच की रात के दौरान एक सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक, बड़गाम के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ अब. अजीज मीर, पुत्र मोहम्मद रमजान, निवासी परीमपोरा के घर पर जहां एक खुंखार उग्रवादी शौकत अहमद लोन उर्फ पूपा लोन, निवासी बटमालू, एच यू एम का डिवीजनल कमांडर अन्य उग्रवादियों के साथ छुपा हुआ बताया गया था, छापा मारा गया। क्षेत्र को घेर लिया गया और पुलिस अधीक्षक, बड़गाम ने एक दल को उस मकान की ओर आगे बढ़ने का निदेश दिया जहां उग्रवादी छुपे हुए थे। उप निरीक्षक काकाजी कौल, 122वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैड कांस्टेबल जाविद इकबाल और नायक महिपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल को लक्षित मकान पर धावा बोलने का निदेश दिया। उन्होंने लक्षित मकान की तरफ धावा बोला लेकिन उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और ग्रेनेड फेंके जिसके परिणामस्वरुप हैड कांस्टेबल श्री जावेद इकबाल की मौत हो गई और पुलिस दल के इन्चार्ज जख्मी हो गए। श्री सयैद आशिक हुसैन बुखारी पुलिस अधीक्षक, बड़गाम ने तत्काल मृतक/घायल को वहां से निकाला और हमलावर दल को पुनः संगठित किया। इन्होंने, भारी गोलीबारी और फसें हुए उग्रवादियों द्वारा फेंकें जा रहे हथगोलों के बीच सामने से दल का नेतृत्व किया। भीषण मुठभेड़ में उग्रवादी शौकत अहमद लोन उर्फ पूपा लोन को मार गिराया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री आशिक हुसैन बुखारी, पुलिस अधीक्षक और (दिवंगत) श्री जाविद इकबाल, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 सितम्बर, 2000 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 96- प्रेज/2002-राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवगत) श्री हबीब-उल्लाह
एस.जी.सी.टी./ड्राइवर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2.4.2001 को एक एस्कोर्ट पार्टी सरकारी कार्य से मगम की ओर रवाना हुई । लौटते समय रात को 20.15 बजे सोपोर के सहायक पुलिस अधीक्षक, एस्कोर्ट पार्टी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाइगाम से गुजर रहे थे । उग्रवादियें, जिन्होंने हाइगाम क्रासिग पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर धात लगा रखी थी, ने सभी दिशाओं से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी । उन्होंने बी पी कार, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक यात्रा कर रहे थें, के साथ-साथ एस्कोर्ट वाहन पर राइफल ग्रेनेड दागे तथा स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की । गोलीबारी का जबाव दिया गया तथा उग्रवादियों को घटनास्थल से भागने पर मजबूर कर दिया गया । इस मुठभेड़ में, एस.जी.सी.टी. कांस्टैबल ड्राइवर हबीबुल्लाह ने अपनी जान कुर्बान कर दी, परन्तु उन्होंने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वाहन को घात के स्थान से 20 मीटर परे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अपने साथियों के प्राणों की रक्षा की । कांस्टेबल मुश्ताक अहमद ने अपनी राइफल से उग्रवादियें की ओर 60 राउन्द चलाए । इस प्रकार उन्होंने उग्रवादियों को अपने वाहन के पास आने से रोका । वे घायल व्यक्तियों को सोपोर भेजने के कार्य में भी सक्रिय रहे, इस प्रकार उन्होंने उनकी जान बचाई । कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ, कांस्टेबल जी आर मोहम्मद तथा कांस्टेबल फयाज अहमद ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया परन्तु वे उग्रवादियों की गोली-बारी ये गंभीर रूप से घायल हो गए । इससे मूल्यवान प्राणों की रक्षा हुई, हथियार तथा वायरलैस सुटने से बचाए गए तथा सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सका ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री हबीब-उल्लाह एस जी सी टी (ड्राइवर) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 97 - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के, नाम और रैंक

सर्व श्री

1. दिवाकर सिंह, निरीक्षक
2. अजय जामवाल, उप निरीक्षक
3. मोहम्मद अशरफ, कांस्टेबल
4. सुभाष चन्द्र, कांस्टेबल
5. मोहम्मद मुस्ताक, कांस्टेबल
6. दलीप सिंह, कांस्टेबल

सभी जिला कठुआ के हैं ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.4.2001 को कोली खबाल दिंगा अंब गांव में जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा एन सी प्राधिकारियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की सहायता से एक सुसमन्वित अभियान चलाया गया । तलाशी के दौरान दो मकानों से उग्रवादी कूद कर बाहर आये और पुलिस दल की ओर अन्धाधंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । वहां की स्थलाकृति और गांव में सिविलियनों की मौजूदगी के कारण घेराबन्दी दल को वहां प्रभावी रूप से कार्रवाई करना कठिन था । उस ग्रुप को निष्क्रिय करने के लिए निरीक्षक दिवाकर सिंह, उप निरीक्षक अजय जामवाल, कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ, कांस्टेबल सुभाष चन्द्र, कांस्टेबल मोहम्मद मुस्ताक और कांस्टेबल दलीप सिंह सामने से हमला करने के लिए स्वयं आगे आए । इन पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी और हथगोले फेंके जाने के बावजूद, छिपे हुए उग्रवादियों की तरफ युक्तिपूर्ण तरीके से रेंगना शुरू कर दिया । 8 घंटे तक चली मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के 7 खुंखार विदेशी उगग्रादी मारे गए । एन सी ए के दो कर्मी जख्मी हो गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री निरीक्षक दिवाकर सिंह, उप निरीक्षक अजय जामवाल, कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ, कांस्टेबल सुभाष चन्द्र, कांस्टेबल मोहम्मद मुस्ताक और कांस्टेबल दलीप सिंह ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 98 - प्रेज/2002- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जयदीप सिंह, भा0पु0 सेवा
पुलिस अधीक्षक, पुंछ

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13.2.2001 को सालवाह और पोथनातीर क्षेत्र में श्री जयदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक (ओप्स) पुंछ के नेतृत्व में एक गश्त लगाई गई । पुलिस अधीक्षक, 2 उप निरीक्षक, पुलिस बल की 2 प्लाटून और सेना के जवानों को लेकर बनाया गया पुलिस दल जैसे ही पोथनातीर क्षेत्र में पहुंचा तो घने जंगलों में पहाड़ी की चोटियों पर मोर्चा लिए हुए आतंकवादियों ने उस पर भारी गोली बारी शुरू कर दी । श्री सिंह और पुलिस तथा सेना के जवानों ने मोर्चा सम्भाल लिया और प्रभावी रूप से जवाबी गोली बारी की और आतंकवादियों के निकल भागने के रास्तों को भी काट दिया । घंटों की गोली बारी के बाद आतंकवादी किसी प्रकार से घेराबन्दी के बाहर एक नाले में मोर्चा लेने में सफल हो गए । श्री सिंह ने अपने गश्ती दल के साथ आतंकवादियों का पीछा किया और पुलिस एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल हो गई । नाले को कवर करने के दौरान श्री सिंह ने मस्जिद के ठीक आगे एक शिलाखंड के पीछे कुछ हलचल देखी । शिलाखंड के पीछे मोर्चा संभाले हुए आतंकवादी ने पुलिस पर गोली बारी शुरू कर दी । श्री सिंह ने दल को आतंकवादी के बच निकलने के रास्ते को रोकने का निदेश दिया और आतंकवादी को गोलीबारी में उलझाए रखा । श्री सिंह रेंगते हुए आतंकवादी के नजदीक पहुंच गए और उस पर गोली चलाई जिससे वह आतंकवादी मारा गया । बाद में मारे गए आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद कादिर उर्फ बाबू खान, अलबदर गुट के एरिया कमांडर और शबीर अहमद, हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई । घटना स्थल से 2 ए.के. 56 राइफल्स, 5 मैगजीन, 3 हथगोले और ए के गोलाबारूद के 30 राउंड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री जयदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 फरवरी, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 99- प्रेज/2002- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री अब्दुल माजिद मागरे
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16.4.2001 को 5/6 उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में एस ओ जी राजौरी को एक सूचना मिली और तद्नुसार एक अभियान चलाया गया । उस स्थल पर पहुंचकर, एक मकान में छिपे हुए उग्रवादियों को घेर लिया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया । कांस्टेबल अब्दुल माजिद मागरे उनके छिपने के स्थान के दरवाजे के निकट पहुंचे और उस दरवाजे को तोड़ दिया । उग्रवादियों ने अभियान दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उन पर ग्रेनेड फेंके । इस मुठभेड के दौरान श्री माजिद जख्मी हो गए । अपने जख्मों की परवाह न करते हुए कांस्टेबल ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और दो खुंखार उग्रवादियों को मार गिराने में सफल हुए । बाद में कांस्टेबल अब्दुल माजिद ने भी जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । उग्रवादियों में से एक की पहचान हिजबुल मुजाहिद्दीन गुट के मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में की गई जिससे एक - ए.के.47 राइफल, 4-ए के मैगजीन और ए के 47 के 120 राउंड बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री अब्दुल माजिद मागरे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

(करूण मित्रा)
निदेशक

**सं0 102-प्रेज/2002-** राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियो को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. स्व0 श्री तेलंग प्रशांत सदाशिवराव (मरणोपरान्त)
सुपुत्र श्री एस0वी0 तेलंग
गोपाल नगर, तुकुम वार्ड सं0 3, चन्द्रपुर,
महाराष्ट्र - 44240

महाराष्ट्र में चन्द्रपुर के निवासी श्री प्रशांत सदाशिवराव तेलंग 25 मार्च, 1999 को गढ़चिरोली जिले के चप्रला नामक स्थान पर लगने वाले वार्षिक रामनवमी के मेले में अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ गए । यह चप्रला गांव प्रणहित नामक नदी के किनारे स्थित है । चार महिलाएं उस नदी पर गईं तथा नदी की गहराई का अंदाजा लगाए बगैर तैरने के लिए नदी में प्रवेश कर गईं । अचानक ही वे फिसल गईं और भंवर में फंस गईं । घटनास्थल पर पानी की गहराई 20 से 25 फुट थी और घटनास्थल किनारे से लगभग 100 फुट की दूरी पर था। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए श्री प्रशांत तेलंग तत्काल पानी में कूद गए । उन्होंने तीन महिलाओं को बचा लिया और उन्हें किनारे पर ले आए । बाकी बची एक युवा लड़की को बचाने के लिए वे फिर पानी में कूद पड़े। श्री प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की लेकिन डूबती हुई लड़की ने उन्हें जकड़ लिया। इस प्रकार श्री प्रशांत तेलंग तैर नहीं सके और इस तरह वे स्वयं भी लड़की के साथ डूब गए । अंततः दोनों को जान से हाथ धोना पड़ा ।

2. श्री प्रशांत सदाशिवराव तेलंग ने डूबती हुई तीन महिलाओं की जान बचाने में असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया तथा एक और लड़की को बचाने के अपने साहसिक प्रयास में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया ।

12. मा0 भूपेन्द्र सिंह बेनीवाल
शहड्रोली, तहसील-गंगापुर सिटी,
जिला-सवाई माधोपुर , राजस्थान ।

13.02.2000 को पांच वर्षीय कुमारी सपना नहाते समय दुर्घटनावश एक कुंए में गिर गई । उस समय कुंए के पास छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे । वहां कोई वयस्क व्यक्ति नहीं था । कुंआ लगभग 50 फुट गहरा था । बच्ची की चीखने की अवाजें सुनकर कुमारी सपना का चचेरा भाई मास्टर भूपेन्द्र बेनीवाल कुंए में लगे बिजली के पंपसैट की चरखी की जंजीर की सहायता से कुए में उतर गया । मास्टर भूपेन्द्र बेनिवाल ने एक हाथ से लड़की को तथा दूसरे हाथ से जंजीर के पकड़े रखा । उस समय तक कुंए के पास खड़े बच्चों की चीख-पुकार सुनकर लोग वहां एकत्र हो गए और दोनों बच्चों को कुंए से बाहर निकाल लिया । हालांकि, चरखी की जंजीर के कारण उसके दोनों हाथ और जंघाओं में चोटें आईं परन्तु वह एक हाथ से डूबते हुए बच्चे और दूसरे हाथ से जंजीर को तब तक पकड़े रहा जब तक कि लोगों ने उन दोनों को बाहर नहीं निकाल दिया । यदि उसने समय पर बच्ची की सहायता न की होती तो वह कुंए में डूब गई होती । उसने सूझबूझ और साहस का परिचय देकर डूबती हुई बच्ची की जान बचा ली।

13. कुमारी शिवा
पुत्री श्री शिव वर्ण शुक्ला,
ग्राम: शिवनगर, प्रयागपुर,
कोस्ट गोडा भुराइ बाग, थाना: गदागंज,
जिला रायबरेली।

1410.2000 को लगभग शाम 5-00 बजे श्री शिव वर्ण शुक्ला, श्री विनय पांडे और श्री नीरज तिवारी के साथ पर्यारण संबंधी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रायबरेली आए । श्री विनय पांडे और श्री नीरज जो बिठुर में ब्रह्मवर्त घाट पर बैठे थे, खड़े होकर गंगा नदी में नहाने लगे । चूंकि गंगा का जल स्तर अधिक था इसलिए श्री नीरज तिवारी डूबने लगे । श्री विनय पांडे ने नीरज को बचाने का प्रयास किया परन्तु श्री नीरज ने उन्हें पकड़ लिया और वे दोनों नदी में डूबने लगे । दोनों को तैरना नहीं आता था । कुमारी शिवा ने, जो उस समय वहां खड़ी थी, अपनी मां की धोती नदी में उनकी ओर फेंक दी । उन्होंने उस धोती का एक सिरा पकड़ लिया परंतु अकस्मात झटका लगने से कुमारी शिवा भी नदी में गिर गई । उसने तत्काल धोती छोड़ दी और तैरकर दोनों लड़कों की ओर गई और उन्हें नदी से बाहर निकाल लाई । इस प्रकार उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों की जान बचा ली ।

2. डूबने से दो लोगों की जान बचाने में कुमारी शिवा ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया ।

14. श्री गोविन्द सिंह,
पुत्र श्री सत्ते सिंह,
ग्राम: चिलपड़, पट्टी, भरपूर,
गढ़वाल,
उत्तरांचल प्रदेश ।

20.10.1999 को लगभग दोपहर 1-00 बजे कोग्याल नाला के नजदीक आरक्षित वन में एक चीते ने श्री गोविन्द सिंह के पुत्र श्री कृष्ण सिंह पर हमला कर दिया । उसके साथी मास्टर गोविन्द सिंह, पुत्र सत्य सिंह, ने चीते को पत्थर मार-मार कर और शोर मचाकर भाग जाने को मजबूर किया । चीते ने कृष्ण सिंह पर तीन बार हमला किया परन्तु मास्टर गोविन्द सिंह ने अत्यत साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने सहपाठी की जान बचा ली ।

2. मास्टर गोविन्द सिंह ने अपने सहपाठी की जान बचाने में साहस और वीरता का परिचय दिया।

15. स्वर्गीय श्री ओमकार यादव, (मरणोपरान्त)
पति श्रीमती शकुंतला देवी,
गांव: पंडवाला खुर्द, नजफगढ़,
नई दिल्ली-43

08.03.2001 को गैस कुकिंग लीक होने के कारण श्री कुवरलाल के घर में आग लग गई । आग पूरे घर में फैल गई । श्रीमती मन्ना देवी उस समय घर में अकेली थी जब वह चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गई तो सहायता के लिए चीखने-चिल्लाने लगी । श्रीमती मन्ना देवी के पड़ोसी श्री ओमकार यादव, जो 59 फील्ड रेजिमेंट (टी.ए.) के हवलदार हैं, उसकी चीख-पुकार सुनकर वहां पहुंचे और उन्होंने अकेले ही आग बुझा दी । उन्होंने बड़ी बहादुरी से डटकर आग का मुकाबला किया और श्रीमती मन्ना देवी की जान बचाई । इस प्रक्रिया में, श्री यादव के कपड़ों में आग लग गई जो उन्होंने जमीन पर लुढ़ककर स्वयं ही बुझा ली । हालांकि, उन्होंने श्रीमती मन्ना देवी की जान बचाई परंतु वे स्वयं 75% जल गए । उन्हें उसी दिन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो 11.03.2001 को उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया । अत्यधिक जले होने के कारण 12.03.2001 को उनका देहांत हो गया ।

2. श्री ओमकार यादव ने आग से एक महिला की जान बचाने में साहस, बहादुरी और तत्परता का परिचय दिया तथा अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया ।

16. श्री देश राज गनर,
1988 इंडिपेंडेंट एम.ई.डी.बैटरी,
मार्फत 56 ए.पी.ओ.

17. हवलदार राम सूरत वर्मा,
1988 इंडिपेंडेंट एम.ई.डी.बैटरी,
मार्फत 56 ए.पी.ओ.

08.06.2000 को मौसम खराब होने और तेज वर्षा के कारण गश्तीदल गांव, कुठी, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल में रुका । अचानक एक जोरदार आवाज हुई और सभी ग्रामवासी सहायता के लिए चिल्लाते हुए अपने घरों से बाहर आ गए । उनकी आवाज सुनकर गनर श्री देशराज और हवलदार राम सूरत वर्मा भारी बारिश में बाहर निकले । दोनों ने पाया कि एक तीन मंजिला मकान वर्षा से गिर गया है और मलबे में दो महिलाएं तथा छः माह का एक बच्चा दब गया है ।

2. गनर श्री देश राज और हवलदार राम सूरत वर्मा अत्यधिक बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए घर के मलबे पर चढ़ गए और मलबा साफ करने लगे । जब वे मलबा साफ कर रहे थे, उस समय मकान की तीसरी मंजिल टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी । परंतु हवलदार राम सूरत वर्मा ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस मलबे में से दोनों महिलाओ और बच्चे को बाहर निकाला जिन्हें बहुत-सी चोटें आई थीं ।

3. गनर श्री देशराज और हवलदार राम सूरत वर्मा ने अपनी जान को खतरे में डालकर दो महिलाओं और एक बच्चे की जान बचाने में पहलकदमी, साहस और मानवता का परिचय दिया ।

18. श्री सुरेश बेहड़ा, चीफ पैटी आफीसर,
आई.एन.एस.जारवा, पूर्वी नौसैनिक कमान,
मार्फतः एफ.एम.ओ.,
विशाखापट्टनम ।

27 जनवरी, 2001 को चीफ पैटी आफीसर और सफाई प्रभारी सुरेश बेहड़ा जोली बॉय द्वीप पर दौरे पर गए जहां कई पर्यटक मौजूद थे जो जोलीबॉय द्वीप की बीच पर तैर रहे थे । तैरते समय उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला और एक युवती समुद्र के तीव्र प्रवाह में बहकर डूबने लगी थीं । वे दोनों सहायता के लिए चिल्लाई परंतु वहां उपस्थित सभी लोग केवल मूक-दर्शक बने रहे । श्री बेहड़ा ने बिना समय गवाएं लगभग 25 मीटर दूर उन दोनों महिलाओं को बचाने के लिए तत्परता से काम लिया । वह अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना तीव्र धारा में तैरकर उन दोनों की जान बचाने में सफल हुए । हालांकि वह बहुत थक गए थे, फिर भी उन दोनों को अपने कंधों पर लादकर किनारे पर ले आए । तत्पश्चात् नेवी में प्राप्त प्रशिक्षण का पूर्ण उपयोग करते हुए उन्होंने उनका अपेक्षित प्राथमिक उपचार किया जिससे उनमें पुनर्जीवन का संचार हुआ ।

2. श्री सुरेश बेहड़ा ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दो महिलाओं को डूबने से बचाने में सूझबूझ और साहस का परिचय दिया।

19. श्री तरुण कुमार रॉय
आई एन एस जारवा (रॉस आईलैण्ड),
ईस्टर्न नेवल कमाण्ड, द्वारा एफ एम ओ.
विशाखापट्टनम।

17.02.2001 को दिहाड़ी मजदूर श्री तरुण कुमार रॉय को द्वीप पर आगन्तकों के उतरने/चढ़ने के प्रयोग में आने वाली जैट्टी से कोई 50 मीटर दूर रॉस द्वीप पर सफाई कार्य के लिए रखा गया था। उसने जैट्टी क्षेत्र में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी तथा तत्काल जैट्टी की ओर दौड़ा आया। उसने देखा कि लगभग 53 वर्ष की एक महिला दुर्घटनावश जैट्टी तथा उस नाव के बीच समुद्र में गिर पड़ी जो उन्हें लेकर आई थी। उस महिला के पति सहित अनेक यात्री वहां मौजूद थे किंतु किसी ने उसे बचाने का साहस नहीं दिखाया। श्री तरूण कुमार रॉय अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना समुद्र की तेज धारा में कूद गए। उस समय तक वह महिला नाव के नीचे चली गई थी तथा दिखाई नहीं दे रही थी। महिला के पति सहित वहां मौजूद सभी लोग पहले ही उसके बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। श्री तरुण कुमार रॉय ने नाव के नीचे गोता लगाया तथा मुसीबत में फंसी उस महिला को ढूंढ़ने का प्रयास किया। करीब 7-8 मिनट बाद श्री तरुण कुमार रॉय ने उस महिला को ढूंढ़ लिया और बड़ी मुश्किल से उसे सुरक्षित बचा लिया।

2. श्री तरण कुमार रॉय ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक महिला की जान बचाने में सूझबूझ, साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

20. श्री जोधा राम, जी एस-173044 पी ड्राइवर एम टी3
70 आर सी सी (जी आर ई एफ)
द्वारा 56 ए.पी.ओ.

25 मार्च, 2001 को लगभग 1130 बजे जी एस-173044पी डी वी आर एस टी3 जोधा राम एम एस रोड पर बर्फ हटाने वाले दल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने संतरियों को चिल्लाते हुए तथा अपने लाल झंडे हिलाते हुए देखा। कुछ ही क्षण बाद एक बड़ा हिमखंड गिरा। डोजर ऑपरेटर असिस्टेंट श्री राम यादव हिमस्खलन वाले क्षेत्र में घूम रहा था तथा वह हिम खंड उसे आ लगा। जैसे ही उसने श्री राम यादव को देखा अपने स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना वह हिमखंड में कूद पड़ा उसने पाया कि ऑपरेटर असिस्टेंट श्री राम यादव सड़क से लगभग 70 फुट नीचे बर्फ में गरदन तक धंसा हुआ था। उसने ऑपरेटर असिस्टेंट को मदद के लिए अपना हाथ हिलाते हुए देखा। यह देखकर वह अपनी जान को जोखिम में डालकर बर्फ में चल कर गया। उसने अपनी पगड़ी उतारी तथा श्री राम यादव के निकट पहुंच कर अपनी पगड़ी उसकी ओर फेंकी तथा उसे बर्फ से बाहर निकाल दिया।

2. जी एस-173044 पी चालक एम टी 3 जोधा राम ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान को जोखिम की परवाह किए बिना डोजर ऑपरेटर असिस्टेंट जी एस-181498 x पी एन आर एल पी श्री राम यादव को हिमखंड से बचा लिया ।

21. श्री रतन चन्द जी एस-157920एल ड्राइवर एम टी
592(टी)टी पी टी (जी आर ई एफ)
द्वारा 99 ए पी ओ

जी एस-157920 एल ड्राइवर एम टी रतन चन्द अपने टाटा रिपर से निर्माण सामग्री को मोरचेरा डेट्ट से त्रिपुरा के घलाई जिले के सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हलम्बारी फजखुदी एक्सिस पर कार्य स्थल पर ले जाने के कार्य में लगा हुआ था ।

2. 21.3.2001 को दो ट्रक, जिनके चालक एम टी रतनचंद तथा एम टी एस के पांडे थे, मजदूरों को लेकर मोरचेरा डेट्ट से रवाना हुए । एम टी रतन चंद का वाहन पीछे था । दोनों वाहनों पर सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षा दस्ता भी सवार था । लगभग 0820 बजे जब वाहन कालाटिल्ला से लगभग 1.5 कि0मी0 पहले एक स्थान पर पहुंचा तभी अचानक पहाड़ी और घाटी की ओर से दोनों वाहनों पर परिष्कृत हथियारों से भारी गोलीबारी की गई । चालक एम टी रतन चंद ने अपने वाहन को इस प्रकार से रोका कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक गोलीबारी का जवाब दे सकें तथा अधिक लोग हताहत न हों । इस घटना के दौरान अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना वह बहादुरी के साथ आगे बढ़ा । दूसरे लोगों को भी उसने प्रोत्साहित किया । जब आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ समाप्त हुई तो इसने पहले घायलों को तथा बाद में शवों को देर रात तक कमलापुर में निकट के अस्पताल में पहुंचाया ।

3. चालक एम टी रतन चंद ने अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना साहस, कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण का परिचय दिया ।

22. कुमारी एण्डी टेनिटा फर्नांडिस,
सुपुत्री श्री पैट्रिक फर्नांडिस,
प्रेम कुटीर, मुलिया हाउस, सोरनार्ड पी.ओ. ,
बंतवाल-574211, कर्नाटक ।

23. कुमारी अश्विनी कामत,
द्वारा श्री गणेश कामत,
19-6-413/1, पांडेश्वर रोड,
मगलौर-575001 कर्नाटक

24. कुमारी श्रुति उलाल,
नारायण देवाडिगा सी एम,
नेक्कलेमरू गोरीगुड्डा, कनकनाडी पोस्ट,
मंगलौर-575002, कर्नाटक

25. कुमारी श्रीदेवी दामोदर,
सुपुत्री श्री एम.दामोदर,
ड्रियू अपार्टमेंट्स,
11 पी.वी.एस. कला
कुंज रोड, मंगलौर-575003
कर्नाटक

21.01.2000 को सेट एन्स हाई स्कूल के विद्यार्थी स्कूल ट्रिप पर सैर के लिए पिलीकुला निसर्ग धाम गए । अश्विनी कामत, एंडी फर्नांडिंज, श्रुति उल्लाल तथा श्रीदेवी दामोदर एक पैडल बोट में सवार थे । उन्होने देखा कि उनके मित्रों को ले जा रही एक दूसरी देसी नाव अचानक उलट गई । पानी 60-70 फुट गहरा था । चूंकि छात्रों में घबराहट फैल गई, इसलिए ये चारों लड़कियां अपनी नाव को खेकर उस स्थान की ओर ले आयीं तथा अपने छः मित्रों को पैडल बोट पर खींच लिया और वापस तट पर ले आयीं । अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए बचाव प्रयासों के बावजूद स्कूल के पांच छात्र डूब गए ।

2. कुमारी एन्डी टेनिटा फर्नांडिंज, कुमारी अश्विनी कामत, कुमारी श्रुति उल्लाल, कुमारी श्रीदेवी दामोदर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर चार से छः व्यक्तियों की जान बचाई ।

26. कुमारी ललिता देवी यादव,
गांव एवं डाकखाना-बरकोला,
तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना-488220
मध्य प्रदेश

21.08.2000 को एक नहर में स्नान कर रही कुछ महिलाओं ने दो बच्चों को डूबते देखा । नहर की गहराई 10 मीटर बताई जाती है । वे मदद के लिए चिल्लाए । उनकी चीख-पुकार सुनकर कुमारी ललिता देवी यादव अपनी जान को जोखिम की परवाह किए बिना भंवर पड़ते पानी में कूद गई । काफी प्रयासों के बाद वह उन दोनों बच्चों को बाहर निकालने में सफल हो गई और उनकी जान बचाई । वे दोनों बच्चे 8 वर्ष के थे तथा उसी स्कूल में पढ़ रहे थे जिसमें कुमारी ललिता पढ़ रही थी ।

2. कुमारी ललिता यादव ने अपनी जान को जोखिम में डालकर डूबने से दो बच्चों की जान बचाने में साहस एवं वीरता का परिचय दिया ।

27. कुमारी निजल ओमप्रकाश पाटिल,
"दादा-स्वेद" मनोलई, दत्त मन्दिर के पीछे,
भाकर पाटिल मार्ग रेमेड़ी।
वसई (पश्चिम) जिला, थाणे-401201

17.4.2000 को कुमारी निजल और उसकी चाची टेलीविजन देख रही थीं, तभी दो अजनबी घर में घुस आए । उनमें से एक ने उसकी चाची के सिर पर पिस्तौल रख दी जबकि दूसरे ने निजल की गरदन पर चाकू तान दिया और धमकी दी कि यदि उन्होने शोर मचाया तो वे उन्हें जान से मार देंगे । जिस डाकू ने उसकी चाची को पकड़ रखा था वह उसे अन्दर ले गया तथा उससे उसके गहने तथा अन्य बहुमूल्य सामान दे देने को कहा । दूसरे चोर ने सामने का दरवाजा तथा खिड़कियां बंद कर दीं तथा निजल पर नजर रखते हुए उसके साथ हाल में बैठ गया । चूंकि उसकी चाची की चाबियों का गुच्छा नीचे गिर पड़ा इसलिए हाल में अपने साथी का इन्तजार कर रहे बदमाश ने यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से झांककर देखा कि कहीं कोई और तो घर में नहीं आ रहा। निजल ने, जो भागने के लिए मौके की तलाश में थी, मौके का फायदा उठाया । रसोई में जाकर उसने धीरे से दरवाजा खोला तथा दौड़कर अपने पडौसी के घर गई और उन्हें हालात के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। उसने गांव वालों को सचेत कर दिया जो उसके चाचा के घर के बाहर इकट्ठे हो गए । डाकुओं ने अपने हथियारों से भीड़ को डराते हुए भागने की कोशिश की । उनमें से एक बचकर भाग निकलने में सफल हो गया जबकि दूसरे को गांव वालों ने पकड़ लिया । चार-पांच दिन बाद दूसरे डाकू को भी पुलिस ने पकड़ लिया ।

2. कुमारी निजल ने अपनी जान को जोखिम में डालकर डकैती के प्रयास को विफल करने में साहस एवं वीरता का परिचय दिया ।

28. मास्टर पुत्ता सोगेश्वर उर्फ सोम्मन्ना,
कुन्तल गांव,
नेरेडीगोंडा (एम),
जिला अदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश

29.7.2001 को श्री वेंकटेश अपनी पत्नी एवं दो बच्चों के साथ पिकनिक के लिए कुन्तल जल प्रपात देखने गए । उनके साथ किराए की जीप का चालक तथा क्लीनर थे। वे प्रपात के समीप एक ऊंची चट्टान पर दांयी ओर बैठे थे । तभी अचानक तेज बाढ़ आ गई । जल्दी ही प्रपात से बहुत सारा पानी गिरने लगा । प्रपात के नीचे एक तालाब में मछली पकड़ रहे मास्टर पुत्ता सोमन्ना ने भंवर पड़ रहे पानी से घिरी चट्टान पर फंसे परिवार को देखा । अपने सामान को एक तरफ फेंककर वह तेज धारा के प्रवाह के विपरीत तैरने लगा । वह दो बच्चों को लेकर श्रीमती वेंकटेश को सुरक्षित स्थान पर खींच लाया । तत्पश्चात् उसने दूसरी चट्टान पर पहुंचने में जीप चालक, श्री वेंकटेश तथा क्लीनर की मदद की ।

2. मास्टर पुत्ता सोमेश्वर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर डूबने से छः व्यक्तियों की जान बचाने में साहस एवं वीरता का परिचय दिया ।

29. कुमारी ऋतु सिंह तोमर,
श्री शेर सिंह तोमर ,
10 इन्दिरा मार्केट, ननगांव-471201
मध्य प्रदेश

07.08.2000 को प्रातः कुमारी ऋतु सिंह तोमर अपने स्कूल जा रही थी । जब वह स्कूल से 100 फुट की दूरी पर थी तो उसने देखा कि विपरीत दिशा से एक ट्रक तेजी से आ रहा था और एक बच्चा उसी सड़क को दौड़कर पार कर रहा था । अपनी जान को जोखिम की परवाह किए बिना, कुमारी ऋतु ने तत्काल अपनी साइकिल एक तरफ फेंककर सड़क पर छलांग लगा दी और बच्चे को पकड़ लिया और ट्रक के उस स्थान पर गुजरने से जरा पहले ही सड़क की एक ओर गिर पड़ी । राहगीरों ने दोनों बच्चों को खड़े होने में मदद की ।

2. कुमारी ऋतु सिंह तोमर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दुर्घटना होने से एक बच्चे की जान बचाने में साहस, तत्परता और सूझ-बूझ का परिचय दिया ।

30. मास्टर सनत बी.,
चंकराथपडी हाउस थलसेर,
देशमंगलम,
त्रिसूर-680593 केरल

12.7.2001 को 3 वर्ष की कुमारी प्रवीना एक नदी के पुल पर जब अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तभी वह अचानक पानी में गिर गई । जैसे ही उसकी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाईं, पास ही खेल रहा मास्टर सनत घटना स्थल की ओर दौड़ा । उसकी एक सहेली ने लगभग 150 मी0 की दूरी पर उसकी लाल ड्रेस की ओर इशारा किया । सनत पानी में कूद गया तथा उसने प्रवीना को ऊपर उठा लिया । उसके मित्रों ने प्रवीना को बेहोशी की हालत में किनारे पर लाने में उसकी मदद की । चिकित्सा से कुमारी प्रवीना को होश में लाया गया।

2. मास्टर सनत ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर एक नाबलिग लड़की की डूबने से जान बचाई ।

बरुण मित्रा

( बरुण मित्रा )
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27.3.2002

No. 31 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Andhra Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri K. Muralidhar Rao
Dy.S.P. Karimnagar,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 20.7.2000, an information received by Shri K.M. Rao, Dy. Supdt. of Police, Karim Nagar(AP) about the presence of CPI(ML) Janashakthi extremists dalam with sophisticated fire arms in the house of one Golla Devaiah at Nukalamarri village of Vemulawada Mandal. As there was likely hood of extremists leaving the place and it would have taken considerable time to get the force from Distt. Head quarters, Shri Rao alongwith his gun-men and a police party reached the spot and surrounded the house of Golla Devaiah. Noticing the arrival of police, the extremists who were inside the house opened fire at the police with automatic weapons. The police party headed by the Shri Rao retaliated the fire and Shri Rao who was leading the team tried to reach the entrance of the said house with two of his men unmindful of risk to his life. All of sudden the extremists fired several rounds at him and his two men due to which Shri Rao received severe bullet injuries to his left hand and in the stomach. The bullet which hit in the stomach caused severe damage and there was profused bleeding, but unmindful of his injuries, he continued to lead the party. The two police constables ie. Shri P. Swamy and Shri Laxma Reddy who were with Shri Rao also received bullet injuries. In the exchange of fire seven extremists were killed and two 9 mm pistols, three 8mm rifles and one 9mm carbine were recovered. The dead naxalites were identified as Gasikanti Parsharamulu s/o Narsaiah, Donthula Raju @ Ramesh s/o Narsaiah, Samudrala Yellaiah s/o Rajaiah, Esampally Ashok s/o Mallaiah, Nakkala Manjula @ Jyothakka D/o Narsaiah w/o Ranadheer, Thallapally Mallesham s/o Mallaiah, and Edugu Chaithanya d/o Shanker, members of CPI (ML) Janashakthi Dalam.

In this encounter Shri K. Muralidhar Rao, Dy.S.P displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th July, 2000.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

14—31 GI/2002

No. 32 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Andhra Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**
Shri Nalin Prabhat, IPS
S.P. Karimnagar

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

At 2200 hrs on 1st/2nd December 1999, Shri Nalin Prabhat, S.P. received information that after the conclusion of a military camp, important cadres of PWG were retreating in different direction. One such group was reportedly, crossing from Mahadevpur forest to Koyyur forest. On 1st/2nd December 1999 at 2200 hrs Shri Prabhat took a police party and proceeded to Koyyur forest. At 0630 hrs on 2nd December 1999, while the party was combing the dense forest, it came under heavy gunfire. Shri Prabhat instructed his party to take counter-ambush measures and disclosed the party's identity to the extremists and advised them to surrender. The extremsists continued to fire at the police party. Shri Prabhat assessed the situation & decided to lead an assault on the extremist camp alongwith four police personnel who were immediately briefed. As soon as he led the charge, he came under heavy fire. He opened fire with an AK assault rifle and killed an extremist holed up in a sentry post who was firing with an AK-47. Shri Prabhat identified another sentry post from which heavy gunfire was coming. He crawled to within ten metres of that sentry post and shot the extremist. The extremists retreated towards east, after 35 minutes of firing. The police party chased the extremsits but they escaped in to dense forests. Later on the killed extremists were identified as 1 Nalla Adi Reddy, Central Committee member and second in command of the PWG Organistaion, 2. Erramreddy Santhosh Reddy, Central Committee member & Secretary of AP provincial Committee, 3. Sheelam Naresh, Central Committee member & North Telangana Special Zonal Committee Secretary and 4. Singam Lachi Rajam, UG Cadre of PWG. One AK 47 rifles with two magazines, one .45 Colt Pistol ( US make), two .45 revolvers ( US make), one 12 bore DBBL gun, two country made revolvers, two live HE 36 hand grenades, three claymore mines, two soap bimbs and two kenwook Walkie – Talkie sets ( Japan made) and various others items were recovered.

In this encounter Shri Nalin prabhat, S.P displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd December, 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 33 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Andhra Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Dr. R.S. Praveen Kumar, IPS,
Superintendent of Police.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 27-4-2000 at 0830 hrs Dr R. S. Praveen Kumar, received the input from one CI that about 25 PWG extremists including its district committee secretary Rama Krishna and his wife are holding a meeting in the Chandragiri hillocks range near Koukonda village of Warangal district. Shri Kumar called Greyhounds assault unit stationed at Warangal city and five district guard units and planned the operation within half an hour and despatched the parties in lorries in such a way that the entire hillocks range is encircled with all police commando units leaving no scope for the enemy to escape. While monitoring the Operation Shri Kumar received a message that the firing was going on between the PW extremists and the Police and one constable was injured in the crossfire. Shri Kumar rushed to the spot. As soon as the Shri Kumar reached there. he came under heavy fire from automatic weapons from the hilltop. Shri Kumar brought all the men back to a safe place, divided them into different parties & encircled the entire hillock again and shifted the injured P.C. to hospital immediately. As soon as the Shri Kumar started stalking the hillock, the extremists hiding behind boulders fired at police indiscriminately. The Police also retaliated with firing from the ground taking the covers that were available. In the first phase of firing seven notorious extremists were killed. In the second phase which started under the direct leadership of Shri Kumar a group of 2 SIs and 4 RSIs started stalking the hillock without BP jackets. To drive the naxalites out of their hideouts, grenades were lobbed into the caves on the hillocks which injured some of the extremists. The whole foliage which was dry on the hillock caught fire because of grenade blast which was supplemented by scorching heat. Due to this, the dead bodies of some extremists alongwith kit bags also caught fire. The movement of police was hampered due to accidental blasting of soap bombs kept in the kitbags of slain extremists and thick smoke from the fire. Since the dusk was fast approaching, the darkness was looming large, Shri Kumar and his team officers took grave risk and entered the treacherous chimnies where they had face to face encounter with the extremists. In the face to face encounter, five extremists were killed, one of whom was Erram Ilaiah, district committee member (DCM) carrying a reward of Rs. 2,00,000/- over his head, Jyoti @ Swapna Commander of Local Guerilla Squad of Station Ghanpur, Kornel, SAC member and security guard of district committee secretary. These extremists were involved in the killing of several policemen (more than 20 ) in landmine blasts and ambushes in and around Warangal city. The following were recovered from the site of encounter:-

(i) One SLR with one Magazine
(ii) Two .303 Rifles
(iii) One 9 mm carbine with one magazine
(iv) One 410 musket
(v) Five 12 bore DBBL Rifles
(vi) One 12 bore SBBL Rifle
(vii) One 8 mm Rifles
(viii) One soup bombs & 4 Buthi bombs
(ix) One empty clay more mine
(x) One AK-47 Magazine.

In this encounter Dr. R.S. Praveen Kumar, IPS, S.P., displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th April, .2000

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 34 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Andhra Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri P. Bhoopal Reddy,
Asstt. Assault Commander/RSI, Grey Hounds.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 12-7-99 an information was received that a group of PWG extremists were camping in the thick forest abutting Narsapur village of Warangal district and were planning to attack a Police Station to kill the police personnel and loot the weapons. After ascertaining more details, Shri B.P.Reddy, Asstt. Assault Commander alongwith a group of policemen started for an operation. On way to the spot, the sentry of the PWG extremists noticed the police party and immediately opened fire thereby alerting the extremists who took positions and started firing on police. Shri Reddy divided the party in two and closed on the extremists from two sides despite grave personal risk. Shri Reddy, and his men launched a courageous assault on the extremists and in the ensuing encounter, which lasted for about 15 minutes, 4 extremists were killed. One of them was identified as Bade Nageswar Rao, Distt Committee member and in charge of the forest in Warangal and Khammam Dists. Later on, the remaining extremist were identified as Kautam Raju @ Raju, Dy Dalam Commander, Kottem Balaiah @ Jagan, Dalam member and Eotla Ravi @ Naveen @ Rajanna, Dalam member of PWG. One AK 47 , one 9mm Carbine, 2 Nos of .303 rifle, one 7.62 pistol, one 8 mm Rifle and ammn/rounds alongwith 4 kit bages were recovered from the site.

In this encounter Shri P. Bhoopal Reddy, Asstt. Assault Commander/RSI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th July 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.35 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Assam Rifles**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Hari Singh,
Rifleman, 12 Assam Rifles

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On receipt of reliable report about presence of insurgents in a newly established camp West of Village Shamosung RM 5903, an operation was launched on 10th December, 2000. Shri Singh as the leading scout of the raid column guided through the slushy paddy fields and thick jungle hills to reach the hide out. Shri Singh displayed a ferocious, aggressive and unarmed combat during the raid. He overpowered Mangbay Kuki and Miming Kuki and snatched their following weapons:

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) | 12 Bore make Rifles (Country made) | - | 5 |
| ii) | 12 Bore Cartridges | - | 15 |
| iii) | .303 amn | - | 43 |
| iv) | 7.62mm BDR amn | - | 09 |
| v) | Combat dresses and individual kit | | |

In this encounter Shri Hari Singh, Riflman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th December, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 36 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Delhi** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Rajbir Singh Malik,
Sub-Inspector ( Now Inspector).

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

SI Rajbir Singh Malik was specially selected to do the spade work in connection with the raid to be conducted on the basis of intelligence collected by West Distt police that Brij Mohan Tyagi alongwith his associate would certainly visit Delhi during the DUSU elections. Brij Mohan Tyagi and his associate Anil Malhotra were involved/ connected with dozens of gruesome and sensational murders, dacoities, robberies and kidnappings for ransom. After confirmation of the information on 15.9.94, the police force was divided into four groups and they proceeded in 4 vehicles towards Delhi University. The vehicles of the criminal was spotted coming from Ring Road from the Delhi University side When this vehicle reached the red light crossing at Raja Garden at 2.15 PM, the team of Sub-Inspector Rajinder Singh overtook that vehicle and signalled that vehicle to stop. Shri L N Rao with staff in his car alighted and personnel of other three teams converged The dreaded criminals started firing from their car resulting in injuries to Shri Rao in the stomach, Head Constable Sunil Kumar in the shoulder and Constable Bijender in the leg. In reply to the firing by the criminals, the members of the other three teams and the injured personnel started firing on the suspected car in which the two criminals sustained injuries. All the injured police officials and public persons were removed to Hospital. Both injured person of the car were also taken to the hospital where they were declared brought dead.

In this encounter Shri Rajbir Singh Malik, SI ( Now Inspector) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th September 1994.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 37 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Haryana** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Kuldip Singh Siag,,
Supdt. of Police.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 29.5.2000, three persons came on a motorcycle and snatched away Rs.9 lakhs after injuring a person by firing. On getting the information, Shri Kuldip Singh Siag, SP took immediate action to seal the Panipat City and started the search of the vehicles and to nab the culprits personally. The quick action led to arrest of one criminal alongwith the looted cash and one 9 mm pistol. Subsequent investigations led to arrest of 2 more criminals. They were all members of a notorious gang operating in UP/Haryana/Delhi.

An information was received on 1.9.2000 that a few unknown persons came in a red Maruti Car at Binjol Irrigation Rest House, Panipat and looted cash about Rs.16 lakhs. On that day salaries of Irrigation Deptt. employees were being disbursed at that rest house. The culprits were carrying deadly weapons and snatched the cash from the cashier and sped away in the Maruti car. Shri Kuldip Singh Siag, Supdt.of Police immediately rushed to the spot after issuing directions to all concerned. He got an information that culprits have gone towards village Naraina on the canal side kaccha road. He took with him mobile parties of DSP City, SHO Sadar, CIA-I, SHO Model Town and SHO Chandibagh and started searching the village. During search, he directed DSP City & SHO Sadar to check the nearby village Atail as there were no tyre marks of car on the muddy roads leading to another nearby village. On receipt of information from DSP Panipat City that culprits are in village Atail, Shri Siag directed to seal all the roads leading towards village Atail. The culprits sensing the presence of the police took shelter in a sugar cane field. The vehicle of culprits could not move forward on muddy track. It was vast area of around two hundred and fifty acre of sugar cane field. Police parties encircled the field from all the sides and Shri Siag entered the sugar cane field and started combing the sugar can field. After searching around hundred acre of sugar cane field, he noticed movement in sugar cane field and heard the noise of breaking of sugar canes. He warned the culprits to surrender before the police but they fired on the police party. The police retaliated the fire in self-defense. The combing operation in the sugar cane field of 150 acres was completed. He and his police party consisting of Constbales S/Shri Bhupider, Lakhanpal, Bijender Surinder and Suresh Kumar continued advancing further in the sugar cane fields. The police after a long chase was able to over-power the three culprits by firing in self-defence. The apprehended culprits were Rohtas @ Tashi, Surrinder Singh and Sunil @ Sheelu. During search, a 9 mm pistol alongwith 4 cartridges and cash of Rs.8.60 lakhs was recovered from the possession of Rohtash, and one country made 12 bore pistol along with one 12 bore cartridge and also Rs.50,000/- from the possession of Surinder. Two 9 mm empty cartridge cases and

three empty 12 bore cartridge cases were also recovered. During the interrogation and verification, it revealed that out of Rs.16 lacs, Rs.5,32,120/- was distributed among the employees and Rs.10,67,880/- were snatched out of which Rs.9.60 lacs were recovered. The remaining amount could not be recovered as some members of the gang managed to escape.

In this encounter Shri Kuldip Singh Siag, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st September 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 38 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jharkhand** Police:-

**NAME & RAN OF THE OFFICER**

Shri Sanjay A Lathkar, IPS,
Asst. S.P.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 21.2.1998 at about 1435 hrs, a wireless message was received by Shri Sanjay A. Lathkar, Asstt.Supdt. of Police, Piro, Distt. Bhojpur that the CPI (ML) extremists were resorting to firing in village Pasaur, Charpokhar PS and tension had gripped the entire village. Shri Lathkar directed Charpokhari PS to initiate swift action and at the same time asked Piro and Garhani PSs to rush to Pasaur village with available armed force. He reached Pasaur village with his armed force at about 1530 hrs. Shri Ambika Prasad, SI and Shri Ramraj Sharma, ASI of Charpokhari PS had already arrived there with the Thana armed force and were taking position behind a boundary wall of a School, facing intermittent firing and stone throwing from a mob of about 100/150 extremists, located towards Musahar tola in the western side of the village. Earlier a complaint was lodged at Charpokhari PS by one Janardan Singh of Vill. Pasaur that some persons had tried to kill his son. A case was instituted against some persons. The police force on reaching the spot located a person by the name Mohan Ram who was cited as an accused in the FIR and filed on the complaint of Janardan Singh. As soon as the FIR named accused Mohan Ram was arrested, the mob started pelting stones and also resorted to firing and succeeded in rescuing the arrested person. In the process, one of the Constables got seriously injured. Shri Lathkar asked the extremists to surrender but they were in no mood to heed saner counsels and continued indiscriminate and intermittent firing interpursed with pelting of stones. Shri Lathkar declared the assembly unlawful and at the same time relayed a message to Arrah Control Room and requested the SP to rush up reinforcements. Shri Lathkar asked Shri Mahendra Singh, Constable and 3 others to open one round fire each to subdue and demoralise them and catch them alive. The extremists retaliated by opening fire afresh more vigorously. He then asked Mahesh Kumar Thakur, Contable and 3 others to open 3 rounds of fire each which resulted in one of the extremists getting injured. Shri Lathkar again ordered one constable to fire 2 rounds and 3 others to fire 3 rounds each. One of the extremists was hit who fell down on the field. Now the extremists finding themselves insecure, ran for safe shelter. The Piro Police also arrived on the southern side of the school building. The extremists speeded towards nearby villages. Shri Lathkar with another section chased the fleeing extremists but the extremists escaped under cover of firing and darkness. In all two naxalites were killed in the encounter. They were later identified as Godhan Musahar and Mular Dusadh @ Dineshwar Paswan. On 22-2-1998, house to house search was carried out to

arrest the extremist and to seize illegal arms/ammunition. Following recovery were made from the site :

.315 Country made rifles –4 with 7 live catridges, .315 Country made pistol-1, 12 bore countrymade SBBL gun with 7 catridges –3, .315 fired cartridges –9, .12 bore fired catridge – 9, Few Kheki Police uniform.

In this encounter Shri Sanjay A. Lathkar, IPS, ASP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st February 1998.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.39 --Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Indo-Tibetan Border Police**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. ( Late ) Abdul Rasheed Bhatt, Constable(GD) 24th Bn ITBP ( PPMG)
2. Umang Khatri, Inspector ( GD), 24th Bn ITBP (PMG)

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 2.2.2000 a special patrol under the Command of Shri M. Kumar, Dy. Commandant, 24th Bn was sent at night in the general area of Kogund and Chuntipura in District Anantnag, J&K for night vigil. The patrol party observed two silhouettes making stealthy movement towards the adjoining forest area. On being challenged by the patrol party one of the supsect ran into an adjoining house & the other one surrendered. This person led the party to one of the houses, which was immediately cordoned. Party Commander asked all occupants to move out of the house, which was immediately obliged. Ct Abdul Rasheed Bhatt volunteered to enter into the house. Inspector Umang Khatri alongwith Ct Abdul Rasheet Bhatt were deputed to approach the house as the first party. There was intermittent firing from the house. Inspector Khatri and Ct Bhatt taking advantage of the darkness, managed to reach the front door of the house. The militant inside took refuge in a room of the 1st floor. In spite of odds, both managed to reach the first floor of the house where the suspect was hiding. As Ct Bhatt tried to enter the room the militant opened fire on him and he died on the spot. Inspr Khatri who was with Ct Bhatt immediately returned the fire. The terrorist jumped out of a window to escape but Inspr. Khatri fired from the same window and killed the suspect. The dead militant was later on identified as Farooq Ahmad Ganai, code name "ZAFER". One AK-47, 05 AK-47 Magazines, 01 Launcher, 151 AK-47 amn, 04 Hand grenade, 06 launching grenade and 04 Chinese Pistol rds were recovered from the site.

In this encounter ( Late ) Shri Abdul Rasheed Bhatt, Constable & Shri Umang Khatri, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd February, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.40 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Indo-Tibetan Border Police** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

(Late) S/Shri

1. Surender Pal Singh Guleria, AC/GD
2. Lalit Singh, Head Constable /GD

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

10th BN ITBP, on receipt of specific information about the presence of militants in village Bunagund (MZ-1453), organised a search operation for nabbing the militants under the command of Shri P.K. Dhasmana, Commandant. The troops deployed for operation were divided into two groups under the charge of Shri S.P.S.Guleria, AC/GD and Shri S.S.Harta, DC/GD. Shri S.P.S.Guleria, AC was assigned the responsibility to lead the first search party to enter the suspected house. Shri Guleria, AC started search of ground floor after breaking locks of the house. The party searched the ground floor and then went to first floor. As soon as Shri Guleria alongwith his party entered the room, the hiding militants opened heavy volume of fire. Shri Guleria retaliated the fire. Taking great personnel risk, he crawled to the militants position and fired on them which resulted in the killing of one dreaded militant, later identified as Shaji S/O Mohammad Ramjan, resident of Islamabad, Pakistan, belonging to the Jaise-e-Mohammad group. At this moment, the other militant who was occupying the another corner of the room opened fire on Shri Guleria and he received fatal injuries. Shri Guleria signaled to his party immediately to take cover/retreat, thus saving the lives of the jawans under his command. It was decided to change the position of the inner cordon party. HC Lalit Singh who was a member of this inner cordon party volunteered to change his fire position. Shri Lalit Singh, HC showing exemplary courage crawled under heavy militants fire and took position from where he gunned down the other militant later identified as Tariq Ahmed Malik S/O Mohd. Afsal Afzal, resident of Naugam Anantnag (J & K) belonging to Harkat-ul Mujahideen group. In the process he was hit by the bullet burst of militant. He was evacuated to 92 BH Srinagar where he was declared brought dead due to excess bleeding. 2 AK series Rifles, 04 AK Magazine, 2 Hand Grenade, 03 Rifles Grenade, 01 Grenade Launcher, 15 round of AK Ammn and 1 radio set was recovered from the site of encounter

In this encounter (Late)S/Shri Surender Pal Singh Guleria, AC/GD & Lalit Singh, HC/GD displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th November 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 41 --Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Madhya Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late) Shri Babushankar Shukla
ASI, Distt. Jhabua.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 5th February 1999 at around 22.30 hrs. 60-70 Adivasi criminals alongwith fire arms, bows and arrows, swords and axes came at village Kundanpur and committed dacoity in the house of Shri Radheshyam, where 7-8 ladies were only present. In the mean while ASI Babu Shankar Shukla Incharge of Kundanpur out-post heard the noise of ladies and rushed towards the spot and fired one shot from his 12 bore gun but one dacoit fired on Shri Shukla from a tree cover. The bullet hit the chest of Shri Shukla but he showed great bravery and fired two shot on the criminals and compelled them to go back and thus other houses of the village could be saved from dacoity. After few hours Shri Shukla passed away. During the incident Shri Shukla was having only one constable who was left at outpost with the direction to inform the district headquarters and nearby Police Station. Shri Shukla fought alone with 60-70 Armed dacoits and sacrificed his life on duty.

In this encounter (Late) Shri Babushankar Shukla displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th February, 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 42 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Maharashtra** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Kashinath Sopan Kachare,
Inspector.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 28.07.2000 at about 19.30 hrs. PSI Chougule of Wagle Estate Police Station received information that a notorious criminal of Chhota Shakeel gang named Sageer Ahmed Fakir Mohd. Qureshi alongwith his associate would come through the service road near Telco Company compound to loot Jaimalsing Petrol pump. PSI Chougule conveyed this information to Sr.PI K.S. Kachare of Wagle Estate Police Station. Sr. PI Kachare, PSI Chougule and PC Jeevan Naik and PC Sanjay Sawant rushed to the spot after making necessary entry in the Station Diary. On reaching the service road two parties were formed At about 20.20 hrs two persons were noticed coming through the service road. When they reached near Sr. P.I Kachare and PC Naik. PC Naik identified one of them as Sageer Qureshi Sr. PI Kachare immediately asked Qureshi to halt by disclosing that they were Police personnel. At this Qureshi's associate ran away through the service road. Quareshi pulled out a fire-arm and warn PI Kachare not to catch him otherwise he will fire at him. PI Kachare and PC Naik advanced towards Qureshi who fired one round at Sr PI Kachare and again tried to load his weapon. Sr. PI Kachare received a bullet injury on his left ankle. At this, Sr. PI Kachare fired two rounds and PSI Chougule one round from their service revolvers at Qureshi in self defence injuring him. Qureshi was immediately removed to the Civil Hospital Thane for treatment where he was declared dead.

In this encounter Shri Kashinath Sopan Kachare, Inspector displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th July, 2000.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 43 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Maharashtra** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Vithal Ananda Patil
Sub-Inspector,
Kolhapur, Maharashtra.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

Two notorious criminals of gangs (I) Bhimya Aragadya Pawar and (ii) Shelkya Zurbya Pawar were wanted in number of dacoities and robberies. The SDPO Islampur got an information that these two wanted criminals were visiting Walva village to watch movie. On 13.3.1997, SDPO Islampur arranged a raid at a touring talkies, Walva. The raiding party consisted of one Dy.S.P., one Inspector, six SIs and 27 men. The incharge of raiding party deployed all officers and men near and around the talkies. About 2245 hrs. one Sub-Inspector and 3 men were entrusted the job of searching out the wanted criminals. Seeing the police, both criminals started running with knives in their hands. Constable Patil tried to nab one of the criminal Bhimya Aragadya Pawar. The criminal stabbed Shri Patil on his thigh. However, the criminal was over – powered. The other criminal Shelkya Zurbya Pawar was also running with a knife in his hand. PSI V.A Patil saw the criminal running away. He chased him and could manage to catch him. The desperate criminal stabbed Shri Patil on his chest to get free.. Though Shri Patil sustained serious injuries on the chest, he tightly caught hold the criminal and handed over him to other officers and men.

In this encounter Shri Vithal Ananda Patil, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th March, 1997 .

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No44 -Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Manipur** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Th. Kris[illegible]mbi Singh, ( 2nd Bar to PMG)
Sub-Inspector.

**Statement of [illegible] for which the decoration has been awarded:**

On 10.11.2000, some arms and ammn was looted by UG elements from the police personnel of Mayang Imphal PS. Commando parties were detailed to carry out manhunt operation in nearby villages. One mini TATA Truck was coming on the Laphupat Tera inter-village road from opposite direction. On seeing the suspicious movement of the truck, Shri Krishnatombi Singh, SI stopped the vehicle, conducted checking and verified the occupants, who were six in number including two females. These two females happened to be members of the United National Liberation Front (UNLF). They in further questioning, revealed that they had hijacked the TATA truck for transportation of Olive Green Uniforms items to be used by their comrades camping at Hengel village and that after dropping the said uniform items, they were just returning. On receipt of this tip off about the presence of a large number of extremists at Hengel village, Shri Krishnatombi Singh, SI and his party proceeded towards Hengel village via Kumbi village. The party on reaching Kumbi village, met another party of Commandos led by Inspector M. Mubi Singh who were also just on their way for proceeding to Sugnu area via Kumbi. The two groups of Commandos were reorganised at Kumbi and relying on the specific information about the presence of extremists at Hengel village, they proceeded towards Sugnu area where village Hengel situates When Commandos were on their way from Laingoubi village towards Leingangching, 3 - 4 youths were located in a paddy field lying by the side of an inter village road. The youths having sensed trouble at the sight of the Commandos turned back and started to move away on the other side. Immediately, Shri Krishnatombi whose party was ahead of the column, warned the youths to stop. However, the youths, paying no heed to the warning, fired towards the police by taking coverage behind a higher formation of the ground. Shri Krishnatombi and his party were pursuing the youths with heavy encounter of firing. Shri Mubi Singh, Inspector and his party also joined the encounter from the left side. The youths suddenly jumped into a ditch of considerable depth and by covering themselves comfortably inside the ditch fired upon the Commandos, thereby preventing them from further advancement. Shri Krishnatombi and his party took position and continued firing. Shri Krishnatombi having the apprehension that the youth might escape into the hillside, moved towards the right side and eliminated one youth later on identified as K. Inaoba Sharma, a hardcore leader of UNLF in the encounter. One AK 47 Rifle loaded with 14 live rounds of ammn and one empty magazine were found near the dead body. Another youth who was running towards the hill was eliminated by Inspector Mubi and his party. He was later on identified as Ningthoujam Chitrasen @ Abungcha @ Romi.

In this encounter Shri Th. Krishnatombi Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10 November, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 45 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Manipur** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

**S/Shri**

1 Y. Kishorchand Singh, Sub-Inspector,
2 N. Ngamkholian Vaiphei,Naik,
3. L. Dhanabir Singh, Constable,
4. Y. Bipin Singh, Rifleman,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 24 12 2000 at about 2.30 p m a reliable information was received that some armed youths who were involved in the snatching of arms and ammunition from a sentry of Sekmai P S on 17 12 2000 were camping in and around Loitang Khunou area. On receipt of the said specific information five Commando teams led by Inspector M. Mubi Singh, S I. Th. Krishnatombi Singh, S I. P John Singh, S I M. Sudhirkumar and S.I Kishorchand Singh were deployed to carry out manhunt operation in the said area. The teams carried out search operation from house to house in the south-western portion of the village. Being suspicious of their presence in a lonely hut in the middle of a paddy field, S.I. Kishorchand alongwith Naik, N Nagmkholian Vaiphei, Rifleman Y Bipin Singh & Constable L. Dhanabir Singh moved forward the hut Shri Kishorechand on spotting 5/6 youths in side the hut, challenged them to come out of the hut However, the youth on hearing the warning, opened fire towards the Police Commandos, who also returned the fire after taking position The Commandos S I. Kishorchand in the forefront, advanced forward amidst heavy firing, and on perceiving the strong/determined action of the Commandos, some of the armed youths tried to escape towards the nearby hillside Shri Kishorchand asked his men to chase the youths lest they might escape. Shri Kishorchand and constable Dhanabir advanced from the left side and Naik Ngamkholian, Rfn Bipin from the right side During the encounter one youth who was running out of the hut was hit and some of them fled away by taking coverage of the clutches of bamboos standing by the hillside The injured youth succumbed to his injuries and one Thompson Carbine of 9mm calibre bearing No. 03751, one magazine loaded with 4 live rounds were recovered from near the dead body Empty cases of 7 62mm ammunition and 9 mm ammunition were also recovered On further search, Shri Kishorchand detected one unknown youth hiding behind a row of barricade of the paddy field The youth was overpowered by the Commandos who was later on identified as Nongmeikapam Nanao Singh @ Kentinanao S/o N. Ibotombi Singh of Senjam Chaprou, a hardcore member of the outlawed organisation " Kanglelpak Communist Party." The youth disclosed that he was involved in snatching of arms and ammunition from Sekmai P S One 9mm pistol loaded with 3 rounds of 9mm ammunition was recovered from his possession The killed youth was later on identified as Tourangbam Mikhubi Meitei @ Gouramani, s/o T. Lukhoi Singh, of Loitang Chaprou village, self styled Commander of Imphal West of the proscribed organisation Kangleipak Communist Party

In this encounter S/Shri Y. Kishorchand Singh, Sub-Inspector, N Ngamkholian Vaiphei, Naik, L Dhanbir Singh, Constable & Y. Bipin Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th December, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 46 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Manipur** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

**S/Shri**

1. L.Santos Singh, Sub- Inspector,
2. Md. Saukat Ali, Constable,
3. P.Mohon Singh, Constable,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 21st September, 2001 on receipt of report a team of police commandos led by Shri Santos Singh, SI assisted by Shri Ch. Joychandra Singh, SI was deployed at Kongba areas to intercept armed underground element moving in a vehicle. At around 5.15 P.M. a Maruti Van blue –black in colour bearing registration No. MN-IA/5021 was seen speeding towards Uchekon side in a suspicious manner. The vehicle was signaled to stop for checking. However, the van driver on seeing the police party, accelerated the speed and tried to escape. SI L. Santos Singh and his team gave chase to the fleeing vehicle. The occupants of the Maruti van opened fire on the Police team from the rear windscreen which hit the front portion of the Police Maruti gypsy. Shri Santos Singh and Commandos, S/Shri (i) Md. Shoukat Ali (ii) P.Mohon Singh (iii) R. Salouni Reuben (iv) Md. Akbar and (v) M. Thaimei, retaliated on the fleeing vehicle. Mean-while, SI Ch. Joychandra Singh and his mobile team consisting of S/Shri Sunil Sharma and Kh. Chandrasekhor also joined the firing at the militant's vehicle. The Maruti van came to a halt after getting damaged. However, the militants continued to fire from inside the Maruti van. The encounter lasted for nearly ten minutes. The Police Commandos stopped firing only after no more firing came from the militants. After having waited for sometime, Shri Santos Singh and his team inched towards the van and heard a low groaning. On further examination, they found two underground elements killed on the spot and one injured grievously. The killed persons were identified as Maibam Abung Singh of Chingamakha Phuramakhong and Kshetrimayum Naobi @ Sudesh of Uripok Kwai Brahmapur Leikai, both of PREPAK Organisation. The injured person, later identified as Asem Rajen Singh S/O (L) A. Yaima Singh of Khandrok village who was immediately evacuated to J.N. Hospital and given medical attention. Two AK-56 Rifles with 18 live rounds, two AK-56 magazines and One Chinese hand grenade were recovered from the killed militants.

In this encounter S/Shri L. Santos Singh, Sub-Inspector, Md. Saukat Ali, Constable & P. Mohon Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st September, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 47 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Manipur** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. L. Kailun, IPS, S.P., Imphal
2. John S.Shilshi, MPS, Addl. S.P. (2nd Bar to PMG)
3. N. Rajen Singh, Sub-Inspector
4. Th. Krishnatombi Singh, Sub-Inspector ( Bar to PMG)
5. N. Heramani Singh, Constable
6. Th. Joychandra Singh, Constable
7. Kh. Ranjit Singh, Constable

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 18.5.2000 a reliable information was received that a group of well armed extremists numbering about 6/7 was camping in the house of one Phulendro Singh of Wangkhei Wangkheimayum Leirak. A team, comprising Shri L. Kailun, S.P., Imphal East, Shri John S. Shilshi, Addl.S.P. ( Rural) Imphal West, Shri M. Rameswar Singh, OC/ Porompat Police Station, SI N. Rajen Singh of CDO Imphal East and SI Krishnatombi Singh of CDO Imphal West was organised to nab the extremists. About 12.45 p.m. as the party was cordning the area, the extremists fired heavily with automatic weapons from a building where they were hiding. S.I. N. Rajen Singh, Constable Heramani Singh and Constable Kh Ranjit Singh managed to climb onto the first floor from the eastern side which was not visually covered by the extremists. Apart from effectively blocking the escape route on the eastern portion of the building, these three commandos could keep the extremists engaged by intermittent firing. Shri L. Kailun and three police Constables who were positioned behind a brick wall fired back to the extremists which somewhat deterred the extremist from firing. In the mean while, S.I. N. Rajen Singh, Constable Heramani and Ranjit Singh managed to push the extremists to the western side. Announcements were made by the police to surrender and also to release the civilian taken hostage by them but of no avail. Instead, the extremists warned the Police. It was then decided to storm into the building. S/Shri L. Kailun, Shilshi and Krishnatombi Singh, climbed the roof top of the building with the help of a ladder. As the four policeman were coming down through the staircase; one of the extremists with SLR in his hand covered with a towel lifted his left hand, pretending to surrender, while his right hand was on the gun ready to pull the trigger at an opportune moment. Shri Shilshi, Shri Krishnatombi and Constable Joychandre immediately noticed and simultaneously opened fired killing him on the spot. The extremists ushered the civilian captives to two different room, while firing towards the direction of the of the police, Shri L. Kailun and S.I. Krishnatombi together shot dead one extremist inside a room on the northern side. S.I. Rajen, Constable Heramani and Ranjit entered into the room on the southern side where an extremist had taken two captives and shot dead the extremist and rescued the civilians without any harm. The other two extremists who escaped

towards the southern direction were also shot dead by a combined force of Civil Police Commandos and Assam Rifles. The dead extremists were later identified as (1) Laishram Meghachandra Singh, (2) Sanabam Krishnamohan Singh, (3) Moirangthem Romesh Singh & (4) Mutum Mohen Singh, hardcore members of PREPAK fighting group. 1 AK 47 Rifles with 20 rounds, 1 M-20 Rifle, 1 SLR with 60 rounds, one .303 Rifles with discharge cylinder for firing HE Bombs/ Rocket launcher with 8 Nos. of HE Bombs and 7 Nos. of Ballistic rounds were recovered from them.

In this encounter S/Shri L. Kailun, S.P., John S. Shilshi, Addl. SP, N. Rajen Singh, SI, Th. Krishnatombi Singh, SI, N. Heramani Singh, Constable Th. Joychandra Singh, Constable & Kh. Ranjit Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th May, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 48 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Mizoram** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late) Shri Rokunga Pautu,
Dvr/ Havildar, Ist Bn. MAP Aizwal.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

In the month of June, 2000 reports were received regarding collection and extortion of money from the border villagers of western belt of Lunglei District by the BNLF. A platoon of Hunter Force of 1st Bn. Mizoram Armed Police (MAP) with two personnel of DSB, Aizawal District were detailed to flush out the insurgents from the area and also to instill a sense of security and confidence in the villagers of the area. On 30.6.2000 the operation party was on its way from Saisen to Tlabung, and when the vehicle was carrying the personnel negotiating a narrow bend near Biandiasora, the party in the vehicle came under heavy fire by BNLF militants group from a nearby hillock. 6 personnel of the operation party died instantly and four were seriously injured. Shri Rokunga Pautu received four bullets of AK-Rifles two on his chest and another two in his stomach in the first burst itself. Shri Pautu managed to drive his vehicle more than 200 meters distance from the killing ground to save the vehicle and the party till he fell down from the vehicle seat. He managed to get up and sat against the vehicle seat to console his colleagues and asked them to launch counter attack while holding the vehicle steering till his last breath. The party was able to return the fire and the militant fled away, Shri Pautu then succumbed to his injuries. Due to sheer bravery of Havildar/Dvr. Pautu, the lives of remaining 15 police personnel was saved alongwith arms / ammunition and vehicle.

In this encounter (Late) Shri Rokunga Pautu, Dvr./ Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th June, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.49 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Tripura** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late ) Shri Manoranjan Debbarma,
SDPO, Jirania, West Tripura Distt.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

An information about the presence of a large group of heavily armed All Tripura Tiger Force(ATTF), a banned extremist organisation in jungles of Mohankobra/Ghagra area under Jirania PS, West Tripura District was received by OC Jirania PS on 26.05.2001 at around 0015 from a reliable secret source. A joint operations by CRPF, Special Task Force, Tripura State Rifles and District Police was planned at SP and CO level. Five ambush parties were placed on western, northern and eastern side of hiding place at west of Mohankobra, Ghagra, Kutuipara, Dukhia Kobra and at Dulukobra and an assault party with platoons of CRPF and Police Station officers was put to comb to the hillocks of Mohankobra from southern side approaching from Ratanpur Gurupada roadside in extended formation. As soon as the combing started, the assault party came under heavy fire from the extremist's side which was duly replied by the police personnel. In exchange of fire an extremist was killed and remaining extremists managed to flee to northern hillock in a bid to escape from the area. The ambush party led by ASI Rakhal Chowdhury alongwith 12 STF jawans located at Ghagra also came under heavy fire from the extremists. Since the party was at a low land on probable escape route, the party sought for reinforcement. Responding to the call, Sri S. Dhar, Addl.SP and Shri Manoranjan Debbarma, the then SDPO immediately mobilized TSR, police and CRPF personnel and joined the STF personnel at Ghagra. With this reinforcement at around 0700 hrs, all the escape routes on the northern side were completely blocked. Finding themselves surrounded by security forces, extremists opened heavy fire with automatic weapons and launched grenades towards the security forces on northern side of hillocks in a bid to find escape route. The insurgents were in an advantageous position on hillocks while the police parties were on the lower sides. A small contingent of six TSR personnel led by Shri Debbarma took the courage and advanced up the hillock. Climbing 150 ft. on the hillock when he came almost face to face with the extremist group and challenged them, to surrender. Shri Manoranjan Debbarma alogwith his men continued to move towards up hillside with a view to neutralize/overpower the insurgents. Shri Debbarma and two of accompanying TSR personnel gave a fierce fight and eliminated one Dunay Bahadur Jamatia @ Trilok, an hardcore-armed extremist of banned ATTF. In exchange of fire, Sri Manoranjan Debbarma sustained fatal bullet injuries on his left chest and thigh and succumbed to his injuries. One HC Sudhir Saha also sustained head injury. One AK-56 rifle with amnn. was recovered from the possession of the deceased extremist.

In this encounter (Late) Shri Manoranjan Debbarma, SDPO displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th May,2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 50 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Rajasthan** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri M L Lather, IPS,
S.P (I) CID ( CB), Jaipur.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 13.1.1997 one gang of dacoits ambushed a big police contingent headed by Addl. S.P. Dholpur in which they freely used hand grenades & sophisticated fire arms. injuring a constable grievously. On 18.01.1997 information was received that this gang was present near village Khansurajpur. Distt. Bharatpur. A raid under the leadership of Shri M.L. Lather, S.P. Distt. Dholpur along with Circle Officer Shri Bari was conducted to apprehended the members of the gang. The Police party was divided into two groups. First the dacoits clashed with the party led by circle officer Bari. Mr. Lather took position near a wall towards western side of the place of encounter. When dacoits came in contact with his party he asked his men to open fire on the dacoits. Mr. Lather kept on firing, moving and exhorting his men and thus set an unparalleled example. The gang was firing indiscriminately which posed grave danger to the lives of not only the members of the police party but also several villagers. Mr. Lather had to leave his cover which was fraught with grave risks of exposing himself but to ensure that the innocent villagers are not harmed in the cross fire, he went to villagers and warned them to leave the scene of the encounter. Noticing that a member of the gang was crawling towards police party, Shri Lather ran openly in the mustard field and took position and started firing from there to prevent the gang from proceeding further. The encounter lasted for an hour resulting in killing of 3 dacoits including the gang leader Gopal Kachi, his brother and the mastermind behind the gang's operations Vijendra Kachi, and Shiv Singh Jatav. One 9mm. Carbine with 151 live cartridges, one 315 bore rifle with 17 cartridges, two 12 bore guns with 21 cartridges and 3 H.E.-36 Grenades and hundreds empty cartridges were recovered from the spot.

In this encounter Shri M L Lather, IPS, S.P displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th January 1997.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 51–Pres/2002.- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Uttar Pradesh** Police -

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

**S/Shri**

1. Rajeev Krishna, IPS, Supdt. Of Police, Fatehgarh,
2. Tejveer Singh, Inspector CP, Fatehgarh,
3. Ram Sharan Goyal, Sub-Inspector CP, Fatehgarh,
4. Raj Karan Upadhyay, HC, Fatehgarh,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On the afternoon of 27.10.1999, Rajeev Krishna, SP, Fatehgarh, received an information that Nem Kumar Dubey @ Billayya, a dreaded criminal carrying a reward of Rs.50,000/- alongwith his associates is present in village Ishaqpur, PS Kamalganj. Shri Rajeev, SP, immediately rushed to the spot accompained by his gunner HC Rajkaran Upadhyay, after instructing S.O. Kamalganj to reach there with available force. The desperadoes were spotted mounted on their horses towards eastern side of the village. After instructing DCR to send additional force, Shri Rajeev led the avilable force and challenged the criminals. Billayya and his associates retaliated by firing indiscriminately at the police party. The police party responded to by opening firing. In the ensuing crossfire, Billayya received injuries in his arm and fell down from the horse and ran towards the village while his associates galloped away. HC Rajkaran Upadhyay was also injured in this encounter. Shri Rajeev encircled the house where the criminal was hiding, with the help of additional force, which arrived in the meanwhile. Mr. Rajeev divided the force in two parties and led the charging party consisting of Inspector Tejveer Singh among others, with the other party providing the cover. After ascertaining from the villagers of the absence of any hostage in the house, he alongwith the team took positions and challenged Billayya to lay down arms and surrender before the police. The response was a volley of fire from inside, in which Inspector Tejveer Singh and SI R.S. Goyal got injuries. Immediately a hand grenade was hurled from inside which landed near Shri Rajeev. He threw the hand grenade away immediately and saved the lives of his party. Meanwhile Billayya, perhaps in an attempt to escape in the confusion it would cause, set the thatched roof of the house on fire. Mr. Rajeev alongwith three other officers immediately took positions strategically covering the entrance and the courtyard. After about 10 minutes Billayya rushed out while continuing firing. The Police party immediately returned the fire and the notorious gangster was killed.

In this encounter S/Shri Rajeev Krishna, IPS, S.P., Tejveer Singh, Inspector CP, Ram Sharan Goyal, Sub-Inspector & Raj Karan Upadhyay, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th October, 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.52 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Uttar Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Shyama Kant Tripathi, Inspector,
2. Vinay Kumar Gautam, Sub-Inspector

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 5.5.99 S.P. City received an information that Nafees Choura a notorious criminal would be passing through Aallo Mandi and site No. 1 crossing after meeting some persons. SP City called the SHO Sisaman Shri S.K. Tripathy to arrest the Nafees Chaura. At about 19.40, two persons on a motor cycle came from the side of Kidwai Nagar Chauraha and stopped at about 50 – 60 yards from police party. They put the motor cycle on the stand and started waiting for some body. The pillion rider having a shoulder bag was identified as Nafees Chaura. SI Vinay Kumar Gautam moved towards them to get hold of them. Nafees brought out his indegenious sten-gun and his companian brought out his country made revolver from his waist and fired. In the melee that followed, one criminal managed to escape on his bike while Nafees Chaura, finding himself surrounded by the police, he first injured SI V.K. Gautam with his stengun and ran for cover. As the stengun of Nafees Chaura developed some problem, Inspector S.K. Tripathi caught hold of Nafees. In this action, Inspector Tripathi was also injured by Nafees who hit him in the right palm with the butt and set himself free. He tried to escape but the police party, putting its life at stake, chased him and once again warned him to surrender. But the culprit continued with his firing spree. Inspector Tripathi and his team had no other option but to return the fire as the safety and security of several innocent people as well as the entire police teams was in jeopardy. The criminal finally fell to the firing by the police party. One .9mm Stengun (country made) and 2 fired catridges and live catridges were recovered from the site of encounter.

In this encounter S/Shri Shyama Kant Tripathi, Inspector & Vinay Kumar Gautam, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th May, 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 53-Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Uttar Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Smt. Tilotma Verma, IPS
S.P. Hathras

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 24.5.2000, in a daring daylight city bank dacoity at Hathras, five armed dacoits killed two bank employees and looted a gun and Rs. six lakh. On receiving information, Smt. Tilotma Verma, SP, Hathras and her team responded promptly and continously pursued the desperados through dangerous ravines and fields, till two of them were forced into a field covered with tall grass. On being directed to surrender, they fired indiscriminately on the police party. The SP, risking her life, dauntlessly led the attack team and was ultimately successful in gunning down one criminal. The other two teams led by Dy.S.P. Rajpal and Inspector N.K. Yadav, despite being under fire, courageously fought back and gunned down the second criminal who was trying to escape from the field. Later on one criminal was identified as Sharif S/o Saleem carrying a reward of Rs. 10,000 and the second criminal as Guddu @ Chunnilal. Looted cash amounting to Rs. 4.90 lakhs, one 9 mm pistol with ammn and fired catridges, one 30 Carbine with ammn. , one Maruti Car, one Motor cycle and one Mobile phone was recovered from the site of encounter.

In this encounter Smt. Tilotma Verma, IPS, S.P displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th May, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.54 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Uttar Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Rajesh Kumar Chaurasia,
Constable.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 18.12.99. at about 12.30 P.M Shri Rajesh Kumar Chaurasia, Constable was going to Police Station for some official work. When he reached near a hotel (Hotel Paradise), he heard a loud bang and saw smoke covering all round and people running helter and skelter. Shri Kumar rushed to the site and saw a scuffle between the guards of the hotel and a criminal. It transpired that the hotel staff has tried to prevent the criminal from loitering in front of the hotel and infuriated at it the criminal lobbed a bomb with the intention to kill the guards. Shri Chaurasia, Constable chased the armed criminal to nab him despite great risk to his personal safety. Although he was seriously injured as the criminal fired at him, but with indomitable courage he succeeded in capturing him.

In this encounter Shri Rajesh Kumar Chaurasia, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th December, 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 55 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Uttar Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Narendra Kumar Singh, Sub-Inspector, CP
2. Dashrath Lal, Constable, 1066 CP

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 09.04.99, at about 11.00 AM, two criminals on a Yamaha Motorcycle armed with automatic weapons, chased the Maruti Car of M/s. Jalan Group in Gorakhpur. Jhinku Prasad, the cashier of the company and one gun man Mahindra were travelling in the car for depositing Rs. 10 lacs with Bank. No sooner did the car stop due to traffic jam, both the criminals opened fire with their automatic weapons, causing severe injury to Mr. Jhinku Prasad and Mahendra and attempted to loot the money. On hearing the sound of firing, the Driver of Patrol Car 4 flashed the message and the police staff rushed to the spot. SI Narendra Kumar Singh, Station Officer and Constable Dashrath Lal, who was on duty in Patrol Car No. 4, rushed immediately towards the spot. Having surrounded by the police the criminals left their Yamaha and ran away in different directions. Const. Dashrath Lal with a stick (Danda) in hand chased one criminal who was carrying a stengun. SI Singh also chased the same criminal with his service revolver. The criminal was running through narrow lanes of a Mohalla and was firing on the policemen. Finally Const. Dashrath Lal pounced on him, but the criminal fired on him causing grievous injury in his abdomen. Before the criminal could turn to fire at SI Singh, he fired in self defence with his service revolver which resulted in the death of the criminal Raj Kumar Mishra @ Ram Kumar @ Baba. The other criminal escaped One Stengun (factorymade No. 284917), one magazine containing 13 live Catridges of .9 MM and one Katta of .12 bore containing one fired catridge in its barrel and four catridge alongwith one Yamaha Motor Cycle were recovered from the dead criminal/site.

In this encounter S/Shri Narendra Kumar Singh, SI & Dashrath Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th April 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 56 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Uttar Pradesh** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Mukesh Shukla, Supdt. of Police, Farrukhabad
2. Jai Narain Singh, Reserve Inspector

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 10.4 2000 morning, Shri Mukesh Shukla, S.P., Farrukhabad received an information that a gang of notorious dacoits, well armed were hiding in the house of one Hem Singh Thakur in village Kumhrour. There were many cases of murders, dacoities, kidnapping and abductions etc. registered at different police stations of District Farrukhabad, Shahjahanpur, Badaun, pending against the gang. Shri Shukla organised a team of police officers for reaching the targeted house with an intention to arrest the gangsters. No sooner the dacoits noticed the presence of police, they started firing on the police party. Shri Shukla divided the police force into three parties and each of the party was stationed at strategic position. While Shri Shukla leading the operation, Shri Ram Swaroop, Addl. SP was leading first party and second party was led by Shri Jai Narain Singh, Reserve Inspector. The police party warned the dacoits to surrender but instead of surrendering, the dacoits kept on firing on the police and in the firing some police personnel were got injured Shri Singh who was leading the second party managed to throw hand grenade inside the targeted house through the backside whole of the house. Trapped inside the house, the dacoits in their desperate bid, came out of the house and started firing on Shri Ram Swaroop, Addl. SP who was incharge of another party. Despite injuries caused to the police personnel of his party, Shri Ram Swaroop fired on the dacoits. Due to firing by the police on dacoits, dacoits again close the doors. While the exchange of firing was continuing, Shri Jai Narain Singh, Incharge of the second party alongwith his party scaled the wall and succeeded in making holes on the roof of the house. Shri Singh amidst heavy firing from the dacoits from inside the house managed to lob hand grenade inside the house through the whole on the roof. As the smoke filled inside the house, it forced the dacoits to come to the courtyard, Shri Shukla fired on the dacoits killing two of them on the spot. Shri Ram Swaroop Addl.SP joined Shri Shukla and due to his firing one dacoit was killed. Finally police broke open the house and found 5 dacoits lying dead. They were later identified as Sobaran Singh @ Bade Lala, Sunita w/o Bade Lal, Anita @ Rani Thakur w/o Ravendra Singh, Raju Singh and one unknown dacoit. 3 DBBL Guns No.43225,A-5729 &5542, one SBBL Gun One .315 Bore Rifle, One Pistol .22 Bore(countrymade), One Iron Khukri, Live and empty Cartridges in large numbers were recovered from the site

In this encounter S/Shri Mukesh Shukla, SP & Jai Narain Singh, Reserve Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th April 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 57 -Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **West Bengal** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Kajal Mondal, Constable, Distt., North 24- Paraganas.
2. Mrinal Kanti Biswas, Constable, Distt., North 24 Parganas

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 13.8.2000 noon Constable Mrinal Kanti Biswas and Constable Kajal Mondal were detailed for plain clothed duty within Dum-Dum Police Station area to keep watch over the veteran criminals etc. so that they cannot commit any crime. While they were proceeding towards Garurhata along RN Guha Road, observed a red coloured Maruti van waiting in front of the building material shop of one Ashit Saha. They also noticed that Ashit Saha @ Lata and Rajive Saha was having talks with the occupants of the said vehicle. The car suddenly advanced towards Garurhata in a high speed, which arose suspicion in the minds of the Constables who immediately chased the car. The car slowed down at Garurhata Traffic Point and appearance and movements of the 3 youth sitting in that car was found to be abnormal and suspicious. The Constables after identifying themselves asked them to lower the wind screen but without paying any heed to such request they tried to escape in the car and opened fire at the Constables from the rear door. Shri Biswas sustained bullet injuries on his right leg but without caring for his personnel safety and security he chased the miscreants and fired 3 rounds from his Service Revolver. Shri Mondal also immediately returned the firing and caught hold of one of the accused with the Pistol from which he was firing. The said accused tried to take out another 9mm pistol from his waist. However, Shri Mondal and Shri Biswas managed to snatch away both the Pistols with 19 rounds live ammunition. The other miscreants, however, managed to escape with the car. Immediately, RT Patrol Party from Dum-Dum Police Station arrived at the spot and took charge of the accused person and seized weapons. On further investigation, it was revealed that actual name of the criminal was Rashid Alam @ Gabbar @ Karan Singh S/O Late Mahammed Miah of PS Taltola, Calcutta, a rowdy as well as murderer of Calcutta and suburbs involved and was wanted in series of heinous crimes

In this encounter S/Shri Kajal Mondal, Constable & Mrinal Kanti Biswas, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13rd August 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 58 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Secuirty Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

**S/Shri**

1. Endluri Ahmed,Constable, 117, Bn BSF
2. Satbir Singh,Constable, 117, Bn BSF
3. Tilak Chand,Constable, 117. Bn BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 9th June 2000, a team of 117 Bn BSF personnel was carrying out patrolling and frisking on Tiddim Road near Hamar Veng, Churachandpur, Manipur. Constables S/Shri Satbir Singh. Endluri Ahmed and Tilak Chand were amongst the members of the patrol. They stopped 03 suspected persons travelling on a Scooter. On being, stopped, they abandoned the scooter and started running in different directions, Ct Tilak Chand immediately caught hold one of the fleeing persons. But the other suspects while fleeing opened fire from a very close range, thereby causing injury to Ct Satbir Singh on his head. One militant who was caught by Ct Tilak Chand managed to free himself and tried to run away. The above two constables opened fire on the militants killing one militant on the spot. The deceased militant was identified as an active member of 16th batch of outlawed UNLF. On search, one 9mm pistol, one 9mm live round and one LML Vespa Scooter were recovered.

In this encounter S/Shri Endluri Ahmed, Constable, Satbir Singh, Constable & Tilak Chand, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th June, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.59 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

**(Late) S/Shri**

1. Jai Singh, Assistant Commandant.
2. Susheel Kumar, Constable
3. Shabir Ahmed Khan, Constable

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

10 Bn BSF received reports about militant movement in village Kukarkhal (Budgam). An operation was launched on 29th April 2001 to search the area. Shri Jai Singh, AC, was asked to take his party to village Kukarkhal, a hamlet of about six houses and to carry out house to house search. As soon as Shri Singh AC approached the first house on village periphery, a militant rushed out from the house spraying bullets towards the party. Two more militants, who were also hiding in that house fired on the party to cover the escape of their accomplice. Due to sudden and unexpected firing from the militants, Shri Jai Singh, AC Ct Sushil Kumar and Ct Shabir Ahmed Khan sustained bullet injuries. Despite this they took the position and retaliated the fire and killed one militant on the spot. The killed militant was later identified as Shiyad Hussain, a Pakistani mercenary. One AK 47 Rifle, 02 Mag, 20 rounds of AK and a wireless set were recovered from the slain militant. Though injured, Shri Singh, passed this information on wireless set to his unit Commandant, who asked him to prevent the escape of remaining two militants. Shri Singh, Shri Sushil Kumar and Ct Shabir blocked the escape route of two militants till reinforcement arrived. Due to extensive firing from both sides, the house where militants were hiding caught fire which forced the militants to come out of the house. They then charged towards the party of Shri Singh by firing indiscriminately. Shri Singh AC, Constables S/Shri Sushil Kumar and Shabir Ahmed Khan however could kill these militants, who were later identified as Mustaq Ahmed @ Abu Tala and Rofu Ahmed Mir @ Isthaque Haq On search of the area, 02 AK Rifles, 01 Wireless set, 02 Grenades and amn were recovered. Shri Jai Singh, AC, Ct Sushil Kumar and Ct Shabir Ahmed Khan later on succumbed to their injuries.

In this encounter(Late) S/Shri Jai Singh, AC, Susheel Kumar, Constable & Shabir Ahmed Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th April, 2001.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 60 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Secuirty Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

(Late) Shri Abdul Rehman,
Constable, 182 Bn BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 04 May 2001, an information was received that a hardcore militant is present in village Bag-e-Mehtab, Distt Budgam (J & K). A joint operation was launched by the troops of 182 BN BSF, SOG and DC(G) team Magam. When the cordon was being laid around suspected house, heavy volume of fire came on the police party. The police party retaliated the fire. The militants threw hand grenades, which exploded near the police party. An attempt was made by the militant to escape by firing indiscriminately on troops and by taking advantage of cover of thick foliage and smoke of explosion. Ct Abdul Rehman observed the militant from his position and with a intention to kill him left his position to take on the militant face to face and fired The militant also fired at Ct Rehman injuring him critically. But despite of serious injuries, he retaliated. The militant was hit and fell down and was killed by the cordon party. The killed militant was identified as Abu Ibrahim of LET outfit r/o Pakistan. Injured Ct Abdul Rehman was immediately evacuated to 92 BH where he succumbed to his injuries. 01 AK Rifle, 01 Hand grenade, 01 Mag and amn were recovered from the site of encounter.

In this encounter (Late) Shri Abdul Rehman, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th May, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No 61 -Pres/2001- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the mentioned officers of **Border Secuirty Force** -

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1 Surendra Singh, Assistant Commandant, 104 Bn
2. Raj Kumar, Head Constable, 104 Bn
3 Rakesh Kumar Constable, 104 Bn
4 Abhijit Devanshi, Constable, 104 Bn
5 Nirmal Singh, Inspector, 104 Bn

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 28th September, 2000, 104 Bn BSF received an information that some militants are hiding in village Tsoh-E-Khurd Distt Pulwama ( J&K) A joint cordon and search operation was conducted by troops of 9th Bn and 104 Bn BSF and SOG Pulwama to nab the militants Two parties which included Shri Surendra Singh AC, were formed to cordon the village and for searching the suspected houses Militants hiding in upper story of one of the houses, hurled grenades and opended heavy volume of fire on the police party Meanwhile another group of two militants hiding in a nullah at the outskirts of the village started firing on the cordon party Cordon aprty retaliated the fire and Shri Sant Lal Constable shot dead one militant on the spot Commandant 104 Bn BSF also reached the spot and joined the action Constable Abhijit Devanshi of this escort party under covering fire, crawled through the nullah and also shot dead one militant on the spot The holed up militants continued firing and throwing grenades to prevent troops from appraching the house An assault party consisting of Inspector Nirmal Singh, HC Raj Kumar and Constable Rakesh Kumar was directed to crawl close to a window of the house to lob grenades inside The militants hiding in the house retaliated Inspector Nirmal Singh sustained bullet injuries in his lower abdomen Shri Raj Kumar, HC and Shri Rakesh Kumar, Constable succeeded in entering the house through a window A face to face encounter ensued in which one militant was killed Shri Surendra Singh, AC and his party located antoher militant hiding in a house on the outskirts of the village Due to exchange of fire and grenades from the militants, Shri Ram Babu Singh, HC also sustained bullet injuries on his chest At about 0100 hours ( 29th September, 2000), Shri Surendra Singh AC spotted a militant in one of the rooms He led the assault group into the house The militant tried to escape Shri Surendra Singh, AC fired para bombs to illuminate the area and prevent militant from escaping The militant took shelter in cowshed and started firing The assault party stormed the cowshed and killed militant The four killed militants were identified as i) Nasir Ahmed Malik Code Tari- HM outfit, ii) Mond Ashraf Wani- HM Outfit, iii) Sher Bhai, TUM outfit & iv) Imtiyaz Bhai, TUM outfit On search of the area, 04 Nos AK Rifles, 02 Pistols, 1 Grenade Launcher, 08 Grenades, 01 Wireless Set, Indian Currency Rs 3747/- and ammunition were recovered

In this encounter S/Shri Surendra Singh, AC Raj Kumar, HC, Rakesh Kumar, Constable, Abhijit Devanshi, Constable & Nirmal Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th September, 2000

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 62–Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Secuirty Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late) Shri Haripal Singh,
Constable, 63 Bn. BSF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

63 Bn BSF received an information that some militants were hiding in PANDAN MOHALLA, Srinagar, J & K Accordingly a party left for the area in the wee hours of 22nd March 2001 to flush out these militants. After cordoning the area, a house to house search started. Ct Haripal Singh was part of the search party. One militant hiding in one of the houses, in a bid to escape, fired from his pistol at Ct Haripal Singh. Ct Haripal Singh received bullet injury on the left side of his chest, but without caring for his injury he fired from his rifle and chased the armed militant. Bleeding profusely, Ct Singh caught up the militant and overpowered him. The apprehended militant was identified as Mohd Amin Mir code Shabnum S/O Abdul Rahim · R/O Siapora, Shopian, Distt Pulwama (J&K). On search of the area one Chinese Pistol, one wireless set and ammunition were recovered. Ct Haripal Singh was immediately evacuated to hospital where he succumbed to his injuries.

In this encounter ( Late ) Shri Haripal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd March, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 63–Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Secuirty Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

1. (Late) Shri Goverdhan Ram, Constable, 51 Bn. BSF
2. (Late) Shri H.P. Mehta, Constable, 51, Bn BSF
3. Shri M.C Boro, Constable, 51 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded**

On 3rd Nov 2000 an information was received that two hard core militants are hiding in Village-Kuthipura, Distt-Budgam. 51Bn BSF planned and launched a search operation. As the troops were cordoning the village, militants hiding in one of the houses, started firing indiscriminately, in a bid to prevent the cordon and keep escape route open. Ct Goverdhan Ram and Ct Kedar Magri were ordered to move their LMG close to the target house. Shri Goverdhan immediately took position close to the target house and engaged the militants by effective fire. Shri Goverdhan was hit by a burst of militant's fire. Despite being injured, he kept on engaging the militants by controlled firing till he breathed his last. Due to exchange of fire, the target house caught fire and bellowing smoke forced one of the militant to jump out of the house with his weapon. He tried to escape by breaking the cordon. When Constables H.P.Mehta and M.C Boro sought to target the militant, he threw hand grenades on these Constables.. Shri Boro received injuries in his right leg and the militant also fell on the ground after getting injured. Despite this, the militant fired on Ct H.P.Mehta who received injuries in his jaw. Though critically injured, both the Constables continued the encounter and Constable Boro despite injuries pounced upon the militant and snatched his weapons and killed him. Shri H.P Mehta succumbed to his injuries and Shri Boro was evacuated to 92 Base Hospital. The dead militant of Jaishe-e- Mohd out fit was later identified as Mohd Umar S/O Reheesh Khan, of Kahuta (Pak). One 01 AK 47 Rifle, 02 Wireless set Antenna, 01 Base plate, 01 Frequency tuner and ammunition were recovered.

In this encounter (Late) Shri Goverdhan Ram, Constable, (Late) Shri H.P. Mehta Constable & Shri M.C. Boro, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd November, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No 64 -Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Secuirty Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Mohan Das B,
Head Constable, 73 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On the 28th September, 2000, on receipt of information about presence of militants in village Chawli and surrounding areas, a search operations was launched by Shri Uma Nath Prasad, Assistant Commandant of 73 Bn BSF, at 1940 hrs. When the column was approaching a suspected Dhoke, militnats hiding inside the Dhoke started firing on OP party. Immediately Shri Prasad, asked his column to cordon the Dhoke and he alongwith HC Mohan Das took position and covered the exit of the Dhoke. Militants tried to come out by pushing out the inmates using them as a shield. Shri Prasad & Head Constable Mohan Das B spotted the militants and challenged them. One of the militants fired on them indiscriminately. Shri Prasad & Mohan Das B retaliated the fire and killed one militant on the spot. During the exchange of the fire, OP party ensured that no civilian was injured/ killed in firing. In the exchange of fire, the other militants managed to return inside the Dhoke. The militnat fired & also threw grenades resulting in injuring Shri Prasad. Shri Prasad directed HC Mohan Das B to break open the window of the house and lobbed the hand grenades inside the Dhoke. HC Mohan Das B stormed the hideouts & killed the second militant on the spot. The killed militants were later identified as Mohd. Rafi Mallick alias Ashraf and Mohd. Iqbal, S/O Mohd. Hussain, both of HM outfit. On search of the area, one SSG rifle with telescope, one 7.72 mm pistol, two hand grenades, one binocular, one wireless set, two walkman and ammunitions were recovered.

In this encounter Shri Mohan Das B, Head Constable showed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th September, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.65 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

Shri Bhawani Singh, (PMG)
Assistant commandant, 104 Bn. BSF

(Late) Shri Mohd. Yasin Sheikh ( PPMG),
Constable, 104 Bn, BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 25.3.2001, an information was received by 104 Bn. BORDER SECURITY FORCE that some militants were hiding in Village Dodur(Pulwama). A joint cordon and search operation was planned under the command of Shri Bhawani Singh AC and Shri Surendra Singh, AC. While the search party under the command of Shri Bhawani Singh AC was encircling the village, a heavy volume of fire came from an adjacent house. The officer reorganised his party and divided it into two groups. One group cordoned the house; the other group led by Shri Bhawani Singh entered the target house under covering fire of cordon group. Militants who had taken position on the 1st floor of house, lobbed hand grenades and gave stiff resistance stalling further advance Shri Singh decided to break the deadlock by forcing his way through a spray of bullets alongwith Constable Mohd. Yasin Sheikh to the 1st floor. In this process, Const. Mohd Yasin Sheikh sustained multiple bullet injuries Despite being seriously injured, Shri Yasin without caring for his personal safety, killed one militant in face to face encounter. The another militant continued firing heavily & lobbed hand grenades & continuously shifted his position. Shri Singh located his position and rushed towards the militant without caring for his life Shri Singh fought face to face with the militant and killed him on the spot. Shri Mohd Yasin Sheikh was immediately evacuated to hospital where he succumbed to his injuries. Both the killed militants were identified as Mansoor Ahmed Bhat and Hilal Ahmed Naikoo, both of HM outfit. 2 AK series Rifles, 1 Hand grenade 9 AK series ammn. and 6 magazines were recovered from the site.

In this encounter Shri Bhawani Singh, AC & (Late) Shri Mohd. Yasin Sheikh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th March, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 66 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

Shri Subodh S Chatrath,
Commandant, 63 Bn. BSF

(Late) Shri Jagroop Singh
Constable, 63 Bn, BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 19th December, 2000 at about 1645 hrs two armed militants attacked both sentry posts of Tac HQ 63 Bn BSF at Mamta Hotel, Dal road Srinagar with automatic weapons and resorted to firing. The fire was immediately retaliated by the sentries, forcing the militants to retreat to the other side of the road and took position. One of the militants started firing with his automatic weapon from a depressed ground across the road, providing covering fire to the other militant who was trying to force his entry inside the premises by spraying bullets towards the sentry posts from behind a wall across the road. In exchange of fire with militants, Constable Jagroop Singh, who was on sentry duty inside the first sentry post, sustained serious bullet injuries on his head. He fell down and later succumbed to his injuries. Shri S.S. Chatrath, Commandant who was present in his office crawled to the sentry post on which militants were firing, to assess the situation. He located the militant firing from behind a five feet wall. Shri Chatrath, decided to approach the militant in a Bullet Proof Gypsy and engage them in a close quarter battle with hand grenade and other weapons. He also directed his B P bunker vehicle to come out and surround both militants. On seeing the vehicle, one militant fired at both the vehicles with his AK 56 Rifle. Shri Chatrath remained undeterred, took the vehicles close to the targeted militant and fired at him. The militant was injured but he changed his position and kept on firing at BORDER SECURITY FORCE party from behind another cover. Shri Chatrath, came out of the vehicle and fired at the militant with his pistol from a close range and succeeded in killing the militant on the spot. The second militant managed to escape taking advantage of built up area/ bylanes in front of Mamta Hotel. The killed militant was identified as Tahir Mehrajuddin, a Sudani National and Division Commander of LET outfit. On search of the area 01 AK Rifle, 04 AK Magazine, 52 AK ammunition., 45 EFC and 05 Chinese hand grenades were recovered.

In this encounter Shri Subodh S. Chatrath, Commandant & (Late) Shri Jagroop Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th December, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 67 --Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force** :-

**NAME & RAN OF THE OFFICER**

Shri Ishtiyak Ahmed Khan,
Subedar, 88 Bn. BSF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 11th April, 2001 on specific information about presence of militants in one of the houses in Village Warpora, a special operations was planned and executed by troops of 88 Bn. BSF and SOG. After laying cordon, Subedar I.A. Khan and his troops stormed the suspected house. When Shri Khan with his troops was climbing the 1st floor of house, militants hiding inside opened heavy volume of fire and threw grenades. The troops retaliated the fire. During exchange of fire, Shri Khan sustained serious bullet injuries on right side of his chest. Despite serious bullet injuries, Shri Khan continued to engage the militants and seriously injured one of them. Constable Promod Kumar hurled a grenade inside the room by breaking window panes. The militants hiding inside the room opened heavy volume of fire and threw a grenade on the troops, which fortunately did not explode. The militants threw another grenade, which exploded and injured Shri O.P Hooda 2IC and HC Lal Khan. Reinforcement from Bn. HQ reached and cordoned the target house. Troops lobbed 2 hand grenades on first floor. Militants, however, threw back one grenade, which exploded and injured Constable Promod Kumar. The injured personnel were evacuated to civil hospital for treatment. In the cross firing, the house where militants were hiding caught fire and damaged the building. Fire brigade was called and the fire was extinguished. On search of the house dead body of one militant, with one AK-56 Rifle, five Magazines and amn. were recovered. The killed militant was identified as Sajjad Ahmed Bhatt, R/o Warpora, a hardcore militant of HM outfit.

In this encounter Shri Ishtiyak Ahmed Khan, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th April, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 68 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force** :-

**NAME & RAN OF THE OFFICER**

( Late) Shri K.P. Ramachandran,
Constable, 64 Bn. BSF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 7th March, 2000 a convoy of 6 Coys left Prbung for Senvon at about 0930 hrs. At about 1430 hrs, when the convoy was about 4 Kms short of village Senvon, Coy Comdr "C" Coy of 64 Bn BSF got down from the vehicle alongwith his escort, to clear a suspected ambush site. The militants waiting in an ambush instantly opened fire from different directions with automatic weapons and lobbed grenades. One grenade landed between the Coy Comdr and his escort. Constable K. P Ramachandran showing presence of mind, instantly and without caring for his personal safety, picked up the grenade and tried to throw it away to save the lives of his colleagues. Unfortunately the grenade exploded in his hand injuring him critically. Constable Ramachandran succumbed to his injuries subsequently. Constable Ramachandran displayed exemplary courage and thus saved the lives of his Coy Commander and other personnel.

In this encounter (Late) Shri K.P. Ramachandran, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th March 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 69 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force:-**

**NAME & RAN OF THE OFFICER**

Shri Kishori Lal,
Constable, 163 Bn. BS F.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 11th August, 2000 on specific information about presence of militants, a joint cordon and search operation was launched by the troops of 163 Bn. BSF and Army in general area Numblan, Rajouri ( J&K). The entire jungle area from the point where Dungan Nala flows from POK to India and merges with Khurban Nala was effectively cordoned. The militants had occupied two hideouts at a distance of approx 300 mtrs from each other. The militants opened heavy volume of fire on BSF troops. Shri Kishori Lal, Constable was vigilant and spotted a militant, who was just 20-30 yards away, throwing grenade. The grenade thrown by the militant landed very close to Shri Lal. Shri Lal immediately cautioned the troops to take position and jumped inside a nearby abandoned hut and immediately engaged the militant and killed him on the spot. In the meanwhile the second militant lobbed grenades but the BSF and Army troops retaliated effectively and killed him. The BSF and Army troops also fired effectively on the hide out of the militants in a cave. After heavy exchange of fire, the cordon party killed four more militants and recovered 01 Pika Gun, 05 AK 56 Rifles, 01 Pistol, 248 rds of Pika amn, 1200 rds of AK amn, 01 Compass, 01 Radio set and 04 Rifle grenades.

In this encounter Shri Kishori Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th August 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 70 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

(Late) Shri Rajendra Singh Ahlawat,
2 I/C, 41 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On specific information that militants were using passes and gallies in Pir Panjal Ranges in general area of Yichhu (Kokernag) to enter the valley, Shri R.S.Ahlawat, 2IC/Offg Comdt 41 BN BSF decided to identify these passes and select ambush sites on the likely routes of militants. The party laid ambush on the higher reaches of village Yichhu . While the party was returning to Coy location after leaving the ambush site, six heavily armed militants of JEM outfit, hiding in a house in the village, ambushed the party with heavy volume of fire. Shri Ahlawat located their position, cordoned that house and fired at them. After a brief exchange of heavy fire, there was a comparative lull when Shri R.S.Ahlawat spotted some movement out of the house and challenged the militants. Immediately, the militants fired towards the position of Shri Ahlawat barely 15 meter away. One militant virtually ran into Shri Ahlawat resulting in a face to face combat. In this close exchange of fire, one bullet hit Shri Ahlawat in right collarbone area. Despite being injured he kept on firing at militants till he fell un-conscious. Subsequently he succumbed to the bullet injuries while being evacuated to 92 BH at about 0130 hrs on 04 June 2001. The militants managed to escape taking advantage of darkness, thick vegetation and broken ground.

In this encounter (Late) Shri Rajinder Singh Ahlawat, 2 I/C displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd June 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No 71 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force** -

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri K Prabhakaran,
Constable, 88 Bn BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 6-6-2001 on a specific information, a joint cordon and search was planned and conducted by 88 & 95 BN BSF at Noorbagh area of Sopore While conducting house-to-house search of the area, suddenly hiding militants opened fire on one of the search parties, which was retaliated by Ct/Dvr Kana Ram resulting in killing of one of the militants on the spot Other militants managed to enter into a multi-storied house situated approx 30 yards from Noor Bagh Mosque All the entry points to the mosque were covered by the troops to prevent militants from entering the mosque Then a party entered the ground floor of the house, but militants hiding in first floor of the house opened heavy volume of fire and lobbed one grenade. Ct B N Yadav of 95 BN sustained minor splinter injuries The search party fired AGL on target house and both inner and outer cordons were organised Due to this, militants stopped firing for almost two hours Shri K Prabhakaran Ct/Dvr again entered the ground floor of the house alongwith the search party and having cleared the ground floor decided to proceed to the first floor As he approached towards first floor, the militant opened heavy volume of fire on him, which he retaliated During the exchange of fire Shri Prabhakaran sustained bullet injuries on the right side of his chest and SI(G) Devender Kumar of 95 BN also got minor injuries Shri Prabhakaran was immediately evacuated to 92 BH Srinagar Since darkness was about to set in, the search party fired AGL and Grenades inside the house After 15 minutes when party observed no movement/sign of militants, they went for a search As the party reached near the debris, one militant, who was hiding below the CGI sheets in the debris, fired a burst toward the party As a result of this Shri N Ahmed Constable of 95 BN sustained bullet injuries Shri Dharam Pal, LNK and Shri Sodhi Ram HC of 88 BN retaliated immediately and killed the militant on the spot The area was searched and two dead bodies of dreaded militants namely Irshad Ahmed Mir @ Abu Zubair Kashmiri R/O Watergam (Kupwara) Bn Commander of LET (Kupara area) and one Pakistani militant namely Usman Bhatt R/O Multan (Pak) were recovered Following arms/amn/eqpt were also recovered -

a) AK 47 Rifle-02 Nos, b)Live Rds of AK-47 Rifle-150 Rds, c)Rifle Grenades-10 Nos, d) Mag AK-47 Rifles -06 Nos, e) UNGL fitted one of the AK-47 Rifle - 01 No

In this encounter Shri K Prabhakaran Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th June 2001

(BARUN MITRA)
Director

No. 72 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. R.P.S. Malik, 2 I/C
2. Gulzar Chand , Head Constable, 161 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

Based on specific information regarding presence of militants in general area of Manglogi, on 6th November, 2000 at about 1400 hrs, special operation was launched and the area was cordoned by the troops of 161 Bn BSF. During the search operation, on next day, at about 0630 hrs the troops could detect the militants hiding in a cave. They were asked to surrender, but they opened heavy volume of fire from automatic weapons and lobbed hand grenades. Inspite of heavy fire from the militant's side, Shri Gulzar Chand, HC tactically moved close to the hideout and succeeded in shooting down one of the militants, later identified as Jamaldin, S/O Kima, a resident of Afghanistan. Another militant who was still hiding in the cave was continuously firing and throwing hand grenades on the operation party. The column led by Shri R.P.S. Malik, 2I/C took position and cordoned the areas to cover the escape route of the holed up militants. Shri Malik was about to reach the cave, the militant hurled a grenade on him. Swiftly the officer jumped and took position behind another boulder. Finally, Shri Malik succeeded in shooting down the militant, later identified as Abu Hafas, Distt. Comdr. LET Ramban and Baihal area, resident of Sialkot. Two AK-47 Rifles, one wireless set, one Tape recorder and ammunitions were recovered from the site.

In this encounter S/Shri R.P.S. Malik, 2I/C & Gulzar Chand, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th November 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No 73 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force** -

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Shiv Shanker Singh,
Constable, 104 Bn BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On receipt of specific information about presence of four militants in the house of one Mohd Dar of Vill Trichal, ( Pulwama, J&K) a joint operation was launched by the troops of 104 & 04 Bn BSF, DC(G) Pulwama and SOG Pulwama under the command of Shri J C Singhla, 2 I/C/Offg Comdt of 104 Bn on 23 07 2000 Immediately after laying cordon of the area troops headed for the suspected house but in the meanwhile the militants moved to another house in the same village On review, the operation Comdr made out a plane to search a particular cluster of houses While a new cordon around the suspected areas was being positioned, troops came under fire of automatic weapons and grenades from one of the houses The inmates of that house were evacuated and the militants were asked to surrender But the militants resorted to heavy fire and threw grenades on the cordon party indiscriminately Three militants hiding inside tried to escape through the window to the rear side of the house Shri Singla tried to prevent the escaping militants, who had, by then taken position in the adjoining paddy field An assault party led by Shri Singla consisting of SI Sarabjit Singh and Constable M L Reddy advanced in the direction of militants Seeing the assault party advancing, the militants intensified their offensive and a firece encounter ensured which lasted for about two and half hours During the encounter all three militants were killed Thereafter the party decided to strom the house where the fourth militant was holed up and was firing on the troops Some explosives suspected to have been kept inside the house got detonated due to explosion of grenades fired by the troops The hiding militant tried to escape through a window Shri Reddy Shyam, AC, sustained bullet injuries while trying to block the escape route of the fleeing militant Constable, Shiv Shanker Singh too had received bullet injury on his left thigh, but continued to fight and finally succeeded to kill the militant The killed militant were later identified as Shabir Ahmed Shekh, Coy Comdr , Riyaz Ahmed Ganai alias Bitta, Hilal Ahmed Dar and Bilal Ahmed Mangrey, all of HM outfit Four AK rifles and ammunitions were recovered from the area

In this encounter Shri Shiv Shanker Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 23rd July, 2000

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 74 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Border Security Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late) Shri B Ajam Ali,
Constable, 01 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 26.9.2000 a joint cordon and search operation was conduted by the troops of 1st Bn. And 151 Bn BSF to flush out the militants suspected to be hiding at village Wangund ( J&K). While house to house search was in progress, the BSF party noticed that 4/5 militants were trying to escape the cordon. Being challenged by Constable Subhash Chander of 1st Bn BSF the militants opended heavy volume of fire with AK-47 Rifle and threw hand grenades on him. In a swift action, he retaliated instantaneously and could kill one militant on the spot. The other militants crawled into a nearby sawmill, which was immediately cordoned by the search party. The holed up militants resorted to heavy volume of fire with automatic weapons on the cordon party. A segment of the cordon manned by Shri B Ajam Ali alongwith the 2 I/C, retaliated the fire and killed another militant. The third militant fired on Shri Ajam Ali, unmindful of his serious injury, Shri Ali kept on firing and killed the third militant. While evacuating, Shri Ali succumbed to his injuries. The party also killed the fourth militant after storming the sawmill The killed militants were later identified as Mubarak Ahmed Bhat @ Mubba Cheni, Mudassar Ahmed Dar, Md. Iqbal Dar and Md. Yousuf Malik Code Jahangir, all members of HM/PTM outfit. On search of the area, 04 AK Rifles, 01 Rifle Grenade launcher, 01 radio set, 01 hand grenade, 07 rifle grenades, 05 electric detonators and ammunitions were recovered.

In this encounter ( Late) Shri B. Ajam Ali, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th September, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.75 --Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

1. ( Late) Shri B S Rathore, D C
2. Shri Tribhuvan Yadav, Constable, 61 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 16th October 2000 a special operation under the command of Shri B S Rathore, DC of 61 Bn. BSF was planned to flush out foreign militants reportedly hiding in a house in Vill. Shinganpura ( Srinagar). While cordoning of the suspected area was barely completed, the militants hiding in a house sensed danger and opened fire. Since the militants were occupying a vantage position on the first floor of the house, the retaliatory fire by the troops remain unaffected. Despite heavy firing, Shri Rathore managed to evacuate the civilians at a safer place and strengthened the cordon. In the meanwhile reinforcement arrived and the Ops Commander decided to storm the house before darkness. Shri Rakesh Kumar AC went elsoe to the house in bunker vebicle mounted with LMG to engage the militants. Shri Tribhuvan Yadav, Constable also positioned his LMG in the window of a neighbouring house to facilitate pulling out of the bunker vehicle. While withdrawing the bunker vehicle, the militants fired and punctured its tyre and thus immobilised it. Shri Rakesh Kumar, AC and Constable Rajesh Singh were injured while getting down and taking position. Thereafter, a party led by Shri Rathore, DC stormed the target house and killed one on the spot before the militant could fire at him. Another militant hiding behind the door fired upon Shri Rathore injuring him critically. Taking advantage of the confusion, the militant tried to escape from the front door but was shot dead by Shri Yadav. Shri Rathore, while being evacuated to hospital, succumbed to his injuries. The killed militants were later identified as Shabir Khan and Shahir Khan, both foreign mercenaries. On search of the area 02 AK-47 rifles, 04 AK-47 magazines and ammunitions were recovered.

In this encounter ( Late) Shri B.S Rathore.DC & Shri Tribhuvan Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th October, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 76–Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Kamlesh Kumar, Constable , 105 Bn. BSF
2. (Late), Ashok Soren Constable, 105 Bn. BSF
3. (Late) Hemant Kumar, Constable, 105 Bn. BSF
4. (Late) P V Varghese, H C, 105 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 27th July 2000, a specific informtion about the presence of militants in Vill. Panglar was received by 105 Bn. BSF. A team comprising of 15 personnel rushed to the suspected village. When the troops approached the targetted house, the militants opended heavy fire. During exchange of fire, Ct. Ashok Soren, Ct. Kamlesh Kumar and Ct. Hemant Kumar sustained bullet injuries. Inspite of being seriously injured, they kept on fighting bravely. While fighting Constable Hemant Kumar succumbed to his injuries. In the meantime, Constable Kamlesh Kumar reacted swiftly and fired HE bombs with his 51 MM MOR towards the militants and compelled them to duck down. In a swift action, he shifted the position and fired from the LMG of Const Ashok Soren and killed one of the militants on the spot. The fierce gun battle continued for one hour. Constable Rajiv MV sustained bullet injury and HC PV Varghese, Const Banwari Lal and Shri Ashok Soren also succumbed to their bullet injuries. During the encounter, two foreign militants of Afghan origin were killed besides recovery of 02 AK 47 rifles, 01 radio set ( Ken wood), 02 hand grenades and ammunitions.

In this encounter Shri Kamlesh Kumar, Ct, (Late) S/Shri Ashok Soren, Ct, Hemant Kumar, Ct & P V Varghese, HC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th July, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 77–Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Border Security Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Jai Singh, AC, 10 Bn. BSF
2. Tota Singh,Constable, 10 Bn. BSF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 5th September, 2000 on specific information about the presence of militants, a joint cordon and search operation was carried by troops of 10 & 171 Bn BSF in Village Tujan and Tilasur. A party under the command of Shri Jai Singh, AC cordoned the susptected area. Shri Singh while announcing from the mosque about search operation, observed 4 persons sneaking out of the village. He challanged the 4 persons. The militants opened fire and lobbed hand grenades at the search party. Shri Singh rushed to block their escape routes and engaged them in close quarter and succeeded in killing one militant. The remaining three militants escaped taking advantage of the thick vegetation and undulating ground. In the meantime re-inforcement headed by Shri S N Pandey, AC reached the spot. Militants were again spotted near Vill. Zogipura. Shri Jai Singh and Constable Tota Singh advanced from one flank and came close to the position from where militants were firing Party led by Shri Pandey approached from another flank. Militants started hurling grenades on the party, Shri Jai Singh, AC and Ct. Tota Singh fired effectively and were duly supported by Shri Pandey and Ct. Om Swami Brahma. One militant came out in the open and fired at Ct. Brahma. Instantaneously, Ct. Brahama fired at the militant killing him on the spot. Shri Jai Singh, AC & Ct Tota Singh approached very close to the militants and Ct. Tota Singh shot dead one of the militants in a virtual hand to hand fight. The operation resulted in killing of four hardcore militants of HM outfit, viz Gulam Mohd. Dar, Abdul Rasheed Dar, Alim Wani r/o Distt. Pulwama and Mustaq Ali r/o Distt. Budgam and recovery of 04 Ak Rifles, 01 Pistol, 01 Wireless sets, 04 hand grenades, 07 rifle grenades and huge quantity of ammunitions.

In this encounter S/Shri Jai Singh, AC & Tota Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th September, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 78 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Amoli Lal,
Constable (GD).

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 26.3.2000 one platoon of A Coy of Ist BN CRPF led by Shri Mohit Ram AC alongwith Addl SP Bongaigaon and other police personnel, while on area patrolling near village Numberpara, had an encounter with militants hiding in Bamboo groves. The militants opened heavy fire with automatic weapons upon the patrolling party. The Police party retaliated the attack and during the exchange of fire, one militant, of ULFA out-fits, later identified as Shri Maheng Kachari tried to flee. Shri Amoli Lal Ct (GD) chased him. In the process of chasing the fleeing militant and in exchange of fire, Shri Amoli Lal received serious bullet injuries on his left ankle. Despite the injuries and profuse bleeding, he continued to chase the fleeing militant, and shot him dead. Immediately thereafter Shri Lal fell unconscious and was evacuated to Hospital. One AK 56 Rifle, 3 Magazines of AK 56, 61 live rounds, 5 empty cases and 1 magazine pouch were recovered from the slain militant.

In this encounter Shri Amoli Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th March, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.79–Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

(Late) Shri Adesh Kumar,
Lance Naik, 83 Bn. CRPF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 28.5.97 at about 1030 hrs an information was received at P.S. Surankote that 4 Pakistan trained Militants were seen entering in a house in Village Naka Manjeri under PS. Mendhar, District Poonch, J&K. One Platoon of CRPF alongwith SDPO, SHO and 5 Jawans of J & K police cordoned the suspected house L/NK Adesh Kumar alongwith one Section was deployed to cover the doors / windows and other escape routes so that no extremists could escape. SHO Surankote made repeated announcements,/warning to militants to surrender. When all persuasion failed, L/NK Adesh Kumar with his Section and J&K police personnel climbed the rooftop to dig a hole in the roof. The moment they started digging the roof, militants fired with Rocket launcher from inside the house. On hearing the sound of rocket other jawans jumped down for safety, but L/NK Adesh Kumar continued on rooftop. With a rocket attack, a screen of smoke and dust was created and taking advantage, the militants came out firing indiscriminately and started running down the slope. Seeing Shri Adesh Kumar at a rooftop, one of the militants fired Air burst Grenade from mechanism fitted on his AK-47 rifle towards roof top. L/NK Adesh Kumar was hit and was injured badly. Inspite of grievous injuries, he fired killing the militant who had fired Air burst grenade. Suddenly, two militants fired indiscriminately, in different directions and appeared in front where Ct Sidha Gangiah and Ct Jagir Singh were in position. Both these constables came out of their position and fired on militants, killing one militant and injuring another who before escaping left leaving behind Rocket his Rocket launcher and Pistol. 02 AK 47 Rifles, one Rocket launcher with 03 Rockets, 3 Pistol and huge quantity of Amn/explosive including 27 Grenades, 03 Wireless sets and other large number of accouterment and equipments were recovered from the site. Later on Shri Adesh Kumar, succumbed to his injuries.

In this encounter (Late) Shri Adesh Kumar, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th May, 1997.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 80-Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force** :-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Randhir Singh,
Head Constable / Driver.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 24.5.1998, a CRPF party was detailed to carry condemned stores as well as to leave three defective vehicles of the Unit at Imphal for repairing. One platoon of D/23 BN was also detailed to provide safe passage to these vehicles by covering them from any ambush point enroute on 25.5.98. While these Vehicles reached at Thongananganbi bridge between Lishang and Monglenphai Village, they were caught in a deliberate ambush by 30/40 militants. The militants had taken position on the Eastern and Western hill sides of the road. The distance between one vehicle to another was around 70 to 80 yards. When the leading vehicle crossed the bridge, the militants fired on Bus and Gypsy. The driver of Bus Shri Randhir Singh, HC suffered bullet injuries but did not stop the Bus and drove it out of ambush. After crossing the first firing site, bus again came under heavy firing from right hand side of the hill top and the front right tyre of the Bus got hit and was damaged by 40 mm rocket. The driver received serious splinter injuries in his both feet. The driver Shri Singh did not stop the bus despite his injuries and tyre burst and drove it out of ambush site. The driver stopped the bus after crossing the second firing site and the police personnel got down and retaliated the firing. Thus, the driver saved the lives of CRPF personnel with his gallant action.

In this encounter Shri Randhir Singh, HC / Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th May, 1998.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 81 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal / Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Central Reserve Police Force**:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Late Jagpati Ram, HC, 48 Bn ( PPMG)
2. Late S K. Kushwaha, Constable, 48 Bn (PMG)
3. P.C. Joshi, IG, OPS,( PMG)
4. Late R P. Yadav, Head Constable, 48 Bn, (PMG)
5. Late Ms. Bindu Kumre, Constable , PMG)

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 16th January 2001 six Fidayeen militants of L-e-T in Army uniform followed the motorcade of Shri Ali Mohd Sagar, Minister PWD J & K , in a Mahindra Jeep of State Forest Deptt, which was hijacked on the same day, to Airport pretending themselves as escort party of the Minister. They also dodged the Civil Police Naka by impersonating as Ministers escort.. After crossing the Civil Police Naka, these militants rushed in a speed to Gate No 1 where they were stopped by SI Naryan Singh, the post Commander as carrying weapon beyond this point was strictly prohibited. These militants immediately jumped out from their jeep and started lobbing grenades towards the sentries on duty and opened indiscriminate firing to get an entry to Airport. CRPF sentries immediately took position and retaliated the attack. IG (Ops) CRPF Srinagar who was on his way to Sonawar, on getting information of Fidayeen attack at Gate No. 1, rushed and reached the spot within minute and took command of the operation in his hand Constable S.K Kushwaha performing duty at Gate No.1 at Airport retaliated the fire and killed one of the militant near his Morcha and injured another one. In the process, he was hit by bullet from the militant and Shri Kushwaha continued firing till he fell down and became unconscious Later he was rushed to hospital and succumbed to his injuries enroute. Shri Jagpati Ram, HC was performing checking/frisking of vehicles/passengers in front of X-Ray room. On noticing the militant attack, he picked up his rifle from the Morcha and took position near Morcha No.2. He retaliated the fire and killed one out of two militants who were trying to cross the barrier of Gate No. 1. He also engaged the other militant and injured him. The injured militant fired back hitting Shri Ram Though HC Ram tried to crawl towards Morcha No. 1 to change his position, he collapsed and died there. Shri Narayan Singh, SI performing duty of checking/frisking, saw a jeep rushing with great speed towards Gate No. 1. He tried to stop the jeep, the militant stopped their vehicle and lobbed grenades and opened fire on the sentries. Shri Narayan Singh immediately took position and retaliated the firing and neutralised one of the militant who was earlier injured in cross firing but was trying to rush towards the Airport. One of the militants who managed to enter the X-Ray Room, started spreading bullets resulting in injury to two Mahila CRPF personnel. Ms Bindu Kumre, Ct picked up her Rilfe and fired towards the militant. One militant from other side fired back on Ct (M) Bindu Kumare injuring her seriously. Shri Ram Prakash Yadav Head Constable who was performing

duty at X-Ray machine, immediately rushed toward the Mahila Cabin and picked up weapons of one of the Mahila Constables. Seeing the militant advancing towards him, he jumped on the militant to, disarmed and killed him. However, he was injured by the militant and later on succumbed to his injuries. Shri P.C. Joshi, IGP (Ops) was already reached the spot. Shri Joshi crawled and reached LMG Morcha No. 1 amidst heavy firing. He took the control of the whole operation. Shri Joshi also started giving cover fire towards X-Ray room where two militants tried to escape and enter X-Ray room. One militant who was hiding in the shops in the left side, threw a grenade and started indiscriminate firing. Shri Joshi ordered his men to engage the sixth surviving militant. Shri Joshi narrowly escaped from the militant fire. Shri Joshi ordered his men to fire and lob grenades in the shop where militant took shelter. Due to grenade blast the shops were gutted and damaged badly From the search of debris the body of the militant and weapon were recovered. Shri A. K Bajpal, Dy Comdt also took position in the Nalla opposite to X-Ray room and gave covering fire towards the Gate No. 1. After pinning down the militants he crawled towards Morcha No. 3 to encourage his men. Shri A.K.Sahu, AC took his Rifle with his driver drove straight towards Gate No. 1 and took the position. He covered the door of the X-Ray room opening towards Airport side and blocked the escape route of the militant. Shri Sahu engaged the militant from the Airport side till the militant was elminated. 5 AK-47, 9 AK-47 Magz and 102 AK-47 grenades were recovered from the site of encounter.

In this encounter Shri P.C. Joshi, IG, OPS, & Late S/Shri Jagpati Ram, HC, S.K. Kushwaha, Const., R.P. Yadav HC & Ms Bindu Kumare, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal / Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th January 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.82 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

(Late) Shri Mahipal Singh,
L/ Naik, 122 Bn.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 27-9-2000 District Police Budgam and personnel of 122 Bn, CRPF has received an information that one Ab Azir Mir S/O of Mohd. Ramzan Mir resident of Parimpora is providing shelter at Kamarbari to one dreaded militant namely Showkat Ahmed Lone @ Papu Lone Son of Kazir Mohd. Lone resident of Batmaloo, involved in number of killings. A Joint team of Distt Police Operation Group, Budgam and Coy less 2 section of 122 Bn, CRPF went to the area and cordoned the suspected house by about 0345 hours. A joint team of Central Reserve Police Force and Distt Police Operation Group, Budgam was formed to raid the house L/NK Mahipal Singh and another Constable volunteered to be the support group When the party was nearing the house the militant started throwing the grenades indiscriminately which caused injuries to the raid party. Shri Singh alongwith his assistant immediately took the position and retaliated the firing. In the mean time one grenade fell near them injuring Shri Mahipal Singh and his assistant. Seeing this, Shri Singh asked his assistant to withdraw and gave covering fire to enable the other Jawans and injured personnel to withdraw to safe place. Shri Singh was targeted by the militant and a grenade blast just in front of his LMG, caused serious injuries to L/NK Singh and also jammed his LMG and blow the bag carrying spare magazines. Shri Singh breathed his last before medical aid could be provided Subsequently, in the said operation Showkat Ahmed Lone @ Papu lone was killed.

In this encounter Late Shri Mahipal Singh, L/Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th September, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 83–Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Sudershan Kumar,
Inspector ( GD), 69 Bn CRPF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 23-11-99 Shri Sudershan Kumar, Inspector, received an intelligence report that two dreaded militants including one Pakistani National with sophisticated weapons were hiding in one of the houses in Faqir Mohalla, Tral, in Pulwama District. Inspector Sudershan Kumar had merely two sections which were insufficient for cordoning the hide out. He contacted 34 BN BORDER SECURITY FORCE to send reinforcements and also took SHO Tral Police Station and the available STF personnel alongwith him. The party reached the hideout at about 2030 hrs taking the cover of darkness for concealing their movements. After laying outer cordon, Shri Kumar encircled the two houses and searched one of the houses. While approaching the second house, the search party heard some suspicious sound from the house. Suddenly two militants jumped from the first floor of that house into the narrow passage, which divided both the houses. Shri Kumar asked the militants to stop but they fired on him. Shri Kumar returned the fire. The militants tried to escape through the adjoining by lane while firing continuously. Inspector Sudershan Kumar, followed them and fired on both the militants, killing them on the spot. Both the killed militants were identified as Asdulla Bhat S/O Satar Bhatt Distt Commander Hizbul Mujahideen, Distt Pulwama, J & K, and Masabin Umair S/O Guliana Kharian, a Pakistani national.

AK rifle-2 Nos., Mag-AK-10 Nos, Rds-271 Nos, Pistol- 01 No, Mag- 07 Nos, Wireless Set- 02 Nos, Pen with seal of- 01 No ASGR, AK 47-Bayonet-01 No, AK Grenade Launcher - 02, Rifel Grenade-12 Nos,Transistor set- 01 No,Tape recorder Small – 01 & Camera-01 were recovered from the two killed terrorists.

In this encounter Shri Sudershan Kumar, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd November 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 84–Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Mandeep Singh,
Head Constable ( GD), 39 Bn CRPF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 12-8-2000, one Section of F/39 Bn CRPF and 4 STF personnel were on a search operation at Sorena Chora Village to trace out a militant who had escaped in earlier encounters. While the party was on search, they received an information that one unknown person was seen in a vacant house located on the hilltop. Immediately Shri Mandeep Singh alongwith his troops and STF personnel rushed to search the house. On seeing the approaching troops , the militant escaped to the adjacent maze field. Shri Singh immediately directed the party to chase from two different direction. Suddenly militant fired and threw one hand grenade towards the search party. Shri Singh narrowly escaped from the attack. Without wasting any time, Shri Singh advanced towards the militant hiding in maize field and threw hand grenade in the direction of the hidden militant followed by a heavy burst of firing. Firing continued for 14 hours from both side. The difficult terrain with thick foilage was combed with care. During combing operation, the militant fired on the advancing team. However HC Mandeep Singh with his jawans crawled forward and Shri Singh threw one more hand grenade and opened fire and succeeded in killing the militant on spot. During search, following Arms Ammunition were recovered from his possision:-

1. AK-56 Rifle-01, 2.AK-56 Magzine- 04, 3.Chinese Make Hand Grenade - 01, 4. AK-56 Amns- 58 Rds, 5. Cash- Rs.2,400/-, 6. Disposable injection and medicines. The slain militant was later identified as Pakistani national affiliated to L-e-T group.

In this encounter Shri Mandeep Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th August, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.85 --Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri S S Gill,
Dy. Commandant, 30 Bn CRPF.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 11-1-2001 Shri S.S. Gill, DC (Ops) alongwith his platoon and one platoon each of BSF and SOG, J K Police, was on routine patrolling duty at Pulwama. As soon as they reached at Pulwama-Tengahar-Koil road and were passing through village of Mustpuna, they came under heavy fire from the militants who were hiding in the nearby houses. Immediately the troops under the Command of Shri Gill took position and cordoned houses on two sides and retaliated. Both the militants were killed and on search two AK 47 rifles, 03 magazines, one grenade launcher, 02 grenades and 03 electronic detonators were recovered. These militants were identified as Mukhtar Ahmed Ganai, S/O Abdul Ganai resident of Washbut, Pulwama. Area Commander of H.M. Tanzeem for Pulwama and Mohamed Amin Dar S/O Abdul Rasid Dar resident of Tujan, Pulwama, Company Commander of H.M. for Pakharpura. During the search of the house where the above two militants were hiding, one boy named Hilal Ahmed Mir was picked up and interrogated by Shri Gill. On his information, the police party reached another house where 2 militants were hiding. On seeing the police party, militant opened fire on them. The police party retaliated. Due to lobbing of Grenades, the house caught fire. Shri Gill took position alongwith his team near the boundary wall. One of the militants jumped out of the window firing towards Shri Gill and party. Shri Gill taking cover fired at the fleeing militant and killed him on the spot. After some time, the second militants hiding in the house sprayed a heavy fire and lobbed a grenade towards police party which fell in the lane without causing any damage to the troops. Due to smoke and fire, the militant jumped out of the window at mere distance of 2 yards from Shri Gill and party. Shri Gill fired on the militants and killed him on the spot. Two AK 56 rifles with 3 magazines were recovered from the killed militants who were identified as 1. Mohmmed Ashruf Lone S/O Gulam Mohiddin r/o Urcharsoo, Pulwama, company commander of HM for Parigam and Kaka Bhai @ Masood Bhai, foreign national militant belonging to Karachi, Pakistan.

In this encounter Shri S.S. Gill, Dy. Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th January 2001

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.86 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late ) Shri A. Abdul Majid,
Head Constable, 91st Bn. CRPF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On an information that three armed militants were hiding in the Village Tarhama, PS Pattan, Distt Baramulla, two platoon of 91 Bn CRPF alongwith SOG Srinagar reached the village Tarhama on 18.7.2000 to apprehend the militants. The suspected house in which militants were hiding was cordoned off from all side. HC A. Abdul Majid and Ct. A.C. Giri of C/91 Bn took position on the first floor of adjoining house to guard the windows to prevent escape of the militants through windows. The militants opened fire heavily on the advancing party, which retaliated immediately. The armed militants tried to escape through the window of the house to take alternative positions. HC Abdul Majid challanged the escaping militants and fired on them. The militants had to return back in their hiding place. Finding no other way to escape, the militants again attacked on the position of HC Abdul Majid by firing heavily followed by throwing grenade. HC Abdul Majid engaged the militants in closed range fierce fighting for nearly 25 minutes and succeeding in killing one militant. However he was hit by a bullet and died later on. The other militants could not manage to escape from their hideout and later on were killed in joint operation of Central Reserve Police Force, SOG and Army. 03 AK-47 rifles, 04 AK Magazine, One grenade launcher, one Wireless set, one Pistol (mouser), 03 Pistol Mag &2 pouches were recovered from the spot.

In this encounter ( Late ) Shri A. Abdul Majid, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President'Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th July, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 87 -Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late ) Shri Inderjit,
Constable, 83 Bn. CRPF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 8.5.1999. an information was received that some militants have taken shelter in a house of Village Lassana Top, 8 Km from Coy HQrs. Immediately an operation was planned by SP(Ops) Surankote alongwith SDPO Mendhar and one section of 83 Bn, CRPF. One section alongwith 40 personnel of SOG, J&K Police moved towards the suspected village. The suspected house was raided by the police party but found vacant. Then the troops started searching the area. When the troops were coming down from the hill, the extremists started firing on them. The troops also retaliated killing one militant. Constable Inderjit and HC Mohd. Hussain who were also a member of this operation took positions under cover of a small wall to watch the movement of a militant who was suspected to be hiding in a nallah. Noticing no movement, Constable Inderjit and HC Mohd. Hussain tried to move forward and as they become visible one militant who was hiding in nearby bushes fired on them with his AK 47 Rifles. Constable Inderjit was seriously injured but he continued to engage the militants by firing on him. Finally he succumbed to his injuries.

In this encounter ( Late ) Shri Inderjit, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th May,1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 88–Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Central Reserve Police Force:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

( Late ) Shri Ashok Kumar,
Constable, 54 Bn. CRPF

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On the eve of Republic Day, 2000 celebrations, elaborate security arrangements were made and as a part of that one platoon of 54 Bn CRPF was deployed on 26.1.2000. Accordingly, one platoon of the 18 personnel under the command of Shri Rajesh Kumar, Astt.Commandant left the Coy HQ which was 10 Km away from the PS Anantnag. When the platoon reached near Sarwat Convent High School, Kransoo Constable Ashok Kumar who was front left guide noticed some movements in an abandoned house located in left side of the road. He challenged but in reply, the terrorists who were hiding behind the trunk of trees on left side of this road hurled a grenade at Shri Kumar. He was seriously injured but fired 20 rounds from his service rifle. The exchange of fire continued for 8-10 minutes. The militants fled from the site leaving behind large quantity of arms/ammn on the site. As a result of effective firing by Shri Kumar helped to save the lives of other platoon personnel and averted a major disaster, planned by the militants to disrupt Republic Day Celebrations. Shri Ashok Kumar was rushed to Civil Hospital, Anantnag, J&K where he was declared dead.

In this encounter ( Late ) Shri Ashok Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th January, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 89–Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

**Shri Mohan Lal,**
**Dy.S.P.**

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 9/10.11.2000 Shri Mohan Lal, Dy. S.P. (Prob) was performing the practical job of SHO P/S Dharamshal, received an information about the presence of militants in the house of one Mohd Ismail S/O Aziz Din R/O Brevi. Shri Mohan Lal alongwith a police party cordoned off the area around the said house and challenged the militants to surrender. The militants fired on police party and lobbed grenades, resulting in splinter injuries to Shri Mohan Lal. Inspite of the injuries he moved forward and fired on the militants and succeeded in killing one foreign militant named Abu Ali (LET Commander) and saved the lives of the occupants of the house. One AK-56 Rifle, 3 AK-56 Magazines, 55 AK-56 rounds, one wireless set, one Battery, one Ammunition pouch of Army colour and 2 Hand grenades were recovered from the site of encounter.

In this encounter Shri Mohan Lal, Dy.S.P displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 10th November, 2000.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.90 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Sewa Singh Mankotia,
Dy.S.P,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On the evening of 20.12.2000 Dy. Inspector General of Police, Doda-Udhampur range received an information that Pakistani militants had crossed to India from Samba and Hiranagar Sector. In a preplanned counter-strategy Shri Sewa Singh Mankotia, Dy SP Udhampur alongwith Border and Kathua Police personnel laid ambushes on the expected routes. But the militants managed to escape in the darkness. On 21.12.2000 Shri Mankotia and other Police officers tracked the militants on following their footprints. About 1200 hrs the police team was attacked by the militants with heavy volume of fire and grenades. Shri Singh repulsed the attack alongwith his police party. The militants attacked with heavy volume of firing but Shri Mankotia countered the attack and killed two Pakistan national militants. In a fresh assault, Shri Mankotia who procured a patrol bomb lobbed it on the militant hideout, resulting into out break of fire, due to which a number of IED laid by militants exploded and dead body of one of the killed militant was blown into pieces. While recovering the dead body and Arms/Ammunition, two of the team member namely Shri Manzoor Ahmed SGCT and Constable Rekhi Chander Singh, PSOs of SP Kathua, got injured who were immediately shifted to hospital by Shri Mankotia. The Army finally arrived to take over the operation and the recovery of remaining arms/ammunition and dead body was made by the Army.

In this encounter Shri Sewa Singh Mankotia, Dy.S.P. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st December, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.91 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

**( Late) Shri Mushtaq Ahmed,**
**Head Constable,**

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 16.2.2000 Shri Mushtaq Ahmed, HC was deployed on Kar-e-khas duty at Maisuma Chowk and was carrying his service pistol. At about 1350 hours, two unknown militants fired upon and killed two personnel of 39 BN BSF. Shri Ahmed, HC heard the firing shots. He saw one of the militants fleeing towards Barbarshah Chowk, with the SLR Rifle, which the militants had snatched from one of the killed BSF constables. Shri Ahmed chased the militant from Maisuma Chowk to Barbarshah Chowk and fired at least three rounds from his pistol. He overpowered one of the militants and snatched the SLR from the militant. However the second accomplice of the militant opened fire on the Shri Ahmed and he collapsed and succumbed to injuries near Barbarshah Chowk. He was holding the SLR Rifle in his hands and did not let the militants snatch away the weapon. The Weapon was retrieved from the dead body of Shri Ahmed by the personnel of Police Station Maisuma which was later-on handed over to the BSF authorities.

In this encounter (Late) Shri Mushtaq Ahmed, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th February, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 92-Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry / Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**
**S/Shri**

1. Deepak Kumar Slathia, S.P,
2. Praveen Singh, Inspector, (Bar to PMG)
3. Bashir Ahmad, Constable,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 14.1.2001 when a joint patrolling party of SOG and 8 JAK Rifile reached Village Binner, the militants fired heavily with automatic weapons and hurled grenades on the patrolling party from one of the nearby houses which resulted into bullet/splinter injuries to S/Shri Suram Singh SGCT and Constable Kuldeep Singh . Immediately Shri Deepak Kumar Slathia, SP (Operations) and Inspector Parveen Singh alongwith other men of SOG cordoned the area and retaliated the fire. In the encounter two SOG personnel were injured and trapped. Inspector Parveen Singh alongwith Constable Bashir Ahmad volunteered to rescue the injured with back-up of covering fire given by Shri Slathia and Constable Bodh Raj. Inspector Parveen Singh and Constable Bashir Ahmad crawled upto injured SGCT, Suram Singh and Constable Kuldeep Singh and rescued them. Shri Salathia, SP (Ops) alongwith Inspector Parveen then rescued the civilians who were trapped inside the house where the militants were hiding. Thereafter, they stormed the hideout forcing the militants to come out. The militants tried to break the cordon but the SOG party headed by Shri Slathia pinned down the two militants and Constable Bashir Ahmed and Inspector Parveen Singh killed the third militant. In exchange of fire, Shri Bodh Raj and Shri Rashpal Singh L/NK also got bullet/splinter injury who were later shifted to hospital for treatment. The following three top ranking foreign militants of Lashker-e-Toiba were killed :-

1. Abdullah Qamar Code Doctor Abu Hyder,
   R/O Pak, District Commander of LET.
2. Abdul Hasan R/O Behori, Pakistan.
3. Zabiullah Code Abu Sariya R/O Gujranwala, (POK).

3AK-47 Rifles, 10 AK Magazine, 120 AK rounds, 2UBGL, 7 Nos of UBGL granades, 8 Detenators, 1 IED and 11 Nos of Hand Granades were recovered from the site of encounter.

In this encounter S/Shri Deepak Kumar Slathia, S.P, Praveen Singh, Inspector & Bashir Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th January, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 93 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir Police:-**

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Ashkoor Ahmed Wani,
Supdt. of Police,

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On the night of June 28/29, 1997 an information was received about the likely movement of hardcore terrorists belonging to HUA. Special operation Group personnel of J & K Police under the command of Shri A.A.Wani, then SP Opertions Srinagar, rushed towards HMT crossing and laid tactical ambushes along the expected route of the militants. While planning the raid, it was decided by Shri Wani that a party should cover the other side of the area as a small and swift moving group. At about 2.30 hours Shri Wani noticed the movement of terrorist and challenged them. Militants threw grenades on the police party and also fired. But the police kept the chase and there was a fierce encounter. During the encounter, Shri Wani engaged the militants, which lasted for about half an hour in darkness. Mr. Wani rushed towards militants while firing with his AK Rifle. Seeing the charging officer, the militants started indiscriminate firing on the Police party. One of militants, later identified as Sona-Ullah r/o Karachi, Chief Amir HUA, Kashmir, resorted to intense firing from the cover of a tree. Shri Wani kept on crawling close to the militant. Sensing the danger, the militant turned back but an alert Shri Wani succeeded in killing this militant. The accomplices of the killed militant, taking advantage of darkness and terrain, slipped out of the police dragnet. One AK 47 Rifle, 2 AK Magazines, 08 rounds of AK ammunition were recovered from the site of the encounter.

In this encounter Shri Ashkoor Ahmed Wani, S.P displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th June, 1997.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 94 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Gulam Mustafa,
Head Constable ( Now ASI)

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On the basis of a specific information received on 7th Dec .1999 about the presence of a group of militants at village Watal Bagh, a special operation was planned by SOG Ganderbal. HC Gulam Mustafa of JKAP was also part of this SOG party that laid down the cordon of the area alongwith personnel of 5-RR. The militants saw the cordon being laid by the Police/Security forces and started firing indiscriminately. Retaliating the fire was a challenge for the SOG as civilian inmates were also holed up in the said house. HC Gulam Mustafa volunteered to enter into the house to save the inmates and for elimination of militants. He stormed into the first floor of the house under heavy firing by militants and opened the fire on the holed up militants. Head Constable Mustafa received a burst of fire on his right shoulder and was seriously injured. Without caring for his life and the bleeding, he succeeded in killing the two hardcore foreign militants. The civilian inmates remained unharmed in the process. Two AK Rilfes and one RPG was recovered from the slain militants.

In this encounter Shri Gulam Mustafa, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th December, 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.95 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

Shri Ashiq Hussain Bukhari,
S.P., Budgam

( Late) Shri Javid Iqbal,
Head Constable, Budgam.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

During the night of 26/27-09-2000 based on information, a raid was conducted under the command of SP Budgam alongwith CRPF personnel on the house of Ab. Aziz Mir S/O Mohammad Ramzan R/O Parimpora, where a dreaded militant Showkat Ahmad Lone @ Puppa Lone r/o Batmaloo, Divisional commander of HUM alongwith other militants was reportedly hiding. The area was cordoned and SP Budgam directed one party to advance towards the house where the militants were hiding. The police party headed by SI Kakaji Koul, HC Javid Iqbal and NK Mahipal Singh of 122 BN CRPF were directed to charge the targetted house. They charged towards the targetted house but the militant fired indiscriminately and hurled grenades resulting in the death of Head Constable Shri Javid Iqbal and injuring the incharge of police party. Shri Syed Ashiq Hussain Bukhari, SP Budgam immediately got the dead/ injured evacuated and reorganised the assault party. He personally led the team from the forefront in the face of heavy firing and lobbing of grenades by the holed up terrorist. The terrorist Showket Ahmed Lone @ Puppa Lone was eliminated in the fierce encounter.

In this encounter Shri Ashiq Hussain Bukhari, S.P. & ( Late )Shri Javid Iqbal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th September, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 96 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

(Late) Shri Habibullah,
SGCT / ( Driver).

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 02.04.2001 an escort party proceeded to Magam in connection with official duty. While on retrun at 2015 hours the ASP Sopore alongwith the escort party were crossing Hygam on NHW. The Militants who had laid an ambush on both sides of the NHW at Hygam crossing fired upon the police party from all directions. They hurled Rifle grenades and fired with the automatic weapons on the BP car in which the ASP was traveling as well as on the escort vehicle, The fire was retaliated and the militants were froced to flee from the place of incident. In this encounter, SGCT / Driver Habib-ullah laid down his life, but at the same time saved his other colleagues by driving the vehicle about 20 mtrs away from the ambush site to a safer place despite being seriously injured. Constable Mustaq Ahmad fired 60 rounds from his Rifle towards the militants. there by preventing them from coming close to the vehicle. He was also instrumental in dispatching the injred persons to Sopore thereby saving their lives. Ct. Mohammad Asraf, Ct G R Mohammad and Ct. Fayaz Ahmed, showed exemplary courage but were critically injured by the firing of militants. This helped in saving precious lives, preventing looting of weapons and wireless set and also prevented damage of Government vehicle.

In this encounter (Late) Shri Habibullah, SGCT.(Driver) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd April, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.97 –Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICERS**

S/Shri

1. Dewakar Singh, Inspector
2. Ajay Jamwal, Sub-Inspector
3. Mohammad Ashraf, Constable
4. Subash Chander, Constable
5. Mohammad Mushtaq, Constable
6. Dalip Singh, Constable,

All of Distt. Kathua

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 18-4-2001 a well-coordinated operation was launched by the J&K Police with the assistance of NC authorities, CRPF and Army at Village Koli Khabal Dinga Amb. While effecting search militants jumped out of two houses and started indiscriminate firing towards the police party. Due to topography and presence of the civilians in the village it was difficult for the cordon party to retaliate effectively. Inspector Dewakar Singh, SI Ajay Jamwal, Ct Mohammad Ashraf, Ct Subash Chander, Ct Mohammad Mushtaq and Ct Dalip Singh volunteered themselves to lead from the front to neutralize the group. These Police personnel without caring for their lives started tactically crawling towards the holed up militants under the heavy fire and grenade hurling by the foreign mercenaries. In the ensuing encounter, which lasted for 8 hours, 7 dreaded foreign militants of Lalshkar-i-Toiba were killed. Two NCA personnel suffered injuries.

In this encounter S/Shri Dewakar Singh, Inspector, Ajay Jamwal, Sub-Inspector, Mohammad Ashraf, Constable, Subash Chander, Constable, Mohammad Mushtaq, Constable & Dalip Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th April, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 98 -Pres/2002- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

Shri Jaideep Singh, IPS
Supdt. of Police, Poonch.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 13.2.2001 a patrol led by Shri Jaideep Singh, SP (OPS) Poonch was launched in Salwah and Pothanateer area. As soon as police party consisting of SP, 2 SI, 2 Platoons of police force and troops of Army reached Pathanateer area, they came under heavy volume of fire from the terrorists who had taken position on the hill tops in dense jungles. Shri Singh and the police and Army personnel took positions and effectively retaliated the fire and also cut off the exit routes of the terrorist. After hours of firing, militants some how managed to take position in a Nallah off the cordon. Shri Singh with his patrol party followed the militants and the police succeeded in killing one militant. While covering the Nallah, Shri Singh saw movement behind a boulder next to a Masjid. The militant who had took position behind the boulder, started firing on the police. Shri Singh directed the party to block the escape route of the militant, and engaged the militant in gunfight. Shri Singh crawled close to the militant and opened fire resulting in killing of this militant. Later on the killed militants were identified as Mohd Qadir @ Babu Khan, Area Commander of Al Badar outfit and Shabir Ahmed, a foreign militant of Hizbul Mujahideen. 2 AK 56 Rifles, 5 magazines, 3 hand grenades and 30 rounds of AK ammunition were recovered from the site.

In this encounter Shri Jaideep Singh, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13rd February 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.99 –Pres/2002- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of **Jammu & Kashmir** Police:-

**NAME & RANK OF THE OFFICER**

(Late) Shri Abdul Majid Magray,
Constable.

**Statement of service for which the decoration has been awarded:**

On 16-04-2001 an information regarding presence of 5/6 militants was received by SOG Rajouri and accordingly an operation was launched. On reaching the spot, militants who were hiding in a house was cordoned and were asked to surrender. The militants refused to surrender. Constable, Abdul Majid Magray went near the door of the hideout and broke open the door of the hideout. The militants started indiscriminate firing and lobbed grenades on the operation party. During the encounter Shri Majid was injured. Unmindful of his injuries, the constable exhibited exemplary courage and succeeded in killing, two hardcore militants. Later Constable Abdul Majid also succumbed to his injuries. One of the militants was identified as Mohd Abdhulla of HM outfit from whom one AK 47 Rifle, 4 Nos of AK Mag and 120 rounds of AK 47 were recovered.

In this encounter (Late) Shri Abdul Majid Magray, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th April 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.102-Pres/2002 - The President is pleased to approve the award of "UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK" to the undermentioned persons :-

1. LATE SHRI TELANG PRASHANT SADASHIORAO (POSTHUMOUS)
S/O SHRI S.V. TELANG,
GOPAL NAGAR, TUKUM WARD NO.3, CHANDRAPU,
MAHARASHTRA - 44240.

On 25th March, 1999, Shri Prashant Sadashiorao Telang, a resident of Chandrapur in Maharashtra had gone to Chaprala in Gadchiroli district to enjoy the annual Ramnavmi Fair alongwith his friends and relatives. Village Chaprala is situated on the banks of the river Pranhita. A group of 4 ladies went to riverside and, without knowing the depth of water, they entered the river to swim. Suddenly they slipped and began to drown in a whirlpool. The depth of water at the place of incident was 20 to 25 ft. and it was about 100 ft. away from the bank.Seeing their pathetic condition, Shri Prashant Telang immediately jumped into the water. He rescued three women and brought them to the bank. He again jumped into the water to save the remaining young girl, who was still in river. Shri Prashant tried to save her by holding her hand, but the drowning girl caught him in her hold. Therefore Shri Prashant Telang could not swim and as such he himself got drowned alongwith the girl. Ultimately both of them lost their lives.

2. Shri Prashant Sadashiorao Telang showed extraordinary courage and presence of mind in saving the lives of three women from drowning and made the supreme sacrifice of his own life in his valient attempt to save another girl.

2. LATE MASTER LALHMUNSANGA (POSTHUMOUS)
S/O SHRI C. CHAWNGROKUNGA,
ZAMUANG, MAMIT DISTRICT
MIZORAM

On 3rd August, 2001, five (5) boys including Lalhmunsanga of Zamuang village went to Kanlui river to take bath. Since it was rainy season, the water level in the river was very high. While taking bath in the river, one of the five boys Shri Lalfamkima aged 8 years began to drown. As soon as Master Lalhmunsanga saw his friend Lalfamkima drowning, he jumped into the river to help his friend. After sometime, he was able to help Lalfamkima to reach the place where water was shallow. But he himself could not swim to reach the shore because he was too tired in the process of saving his friend. He was seen drowning in the river by his friends but no one could help him. They went to the village to call people to help them and by the time the public gathered at the spot, Master Lalhmunsanga was in the river bed. His father himself dived into the river and reached his son who was already dead.

2. Master Lalhmunsanga showed bravery & courage to save the life of his friend and in the process lost his own life.

3. LATE MASTER NIKHIL SINGH (BUNTY) (POSTHUMOUS)
S/O SHRI JAGDISH SINGH,
NIVEDITA ROAD, P.O. PRADHAN NAGAR,
DISTT. DARJEELING-734403, WEST BENGAL.

On 30th July, 2000, some students of Lincoln's High School, Siliguri, had gone for a picnic to Hathiduba in the Mahananda river, which is very near to their school. The width of the river is 20-30 meters and the depth is stated to be not known. At around 12.30 p.m., Nikhil Singh heard a cry for help from his friends who had gone to the river to swim. Nikhil immediately jumped into the river and dragged out his three friends, Harshlal, Akhilesh and Mahesh to the river bank. However, Nikhil himself could not keep afloat and was carried away by the swift current. He died soon after he was brought ashore by the local residents who had gathered there on hearing the alarm raised by other students.

2. Master Nikhil showed courage & bravery in saving the lives of three persons from drowning and made the supreme sacrifice of his life in the process.

4. LATE KM. PREM KUNWAR KHAKAROT (POSTHUMOUS)
B/O SHRI DURGA SINGH
TEH. MALPURA, V.P.O. DIGGI-304504,
DISTT. TONK, RAJASTHAN.

On the afternoon of 05.08.2000, Km. Prem Kunwar took her buffalo to drink water at the Kali Narhi. On reaching there, she saw four children drowning in the water. As she knew swimming, she jumped into the water to save them. However, the children caught her feet firmly and despite considerable effort Prem Kunwar could not get them to loosen their hold. As a result, Prem Kunwar was herself drowned alongwith the four children.

5. LATE KUMARI RESHMA MOHAPATRA (POSTHUMOUS)
D/O SHRI R.N. MOHAPATRA,
VILLAGE- MUSATIKIRI,
P.O. KOLANAGIRI, JAJPUR, ORISSA-754214.

On 26.12.2000, Kumari Reshma, her younger brother Subhrojyoti and some other children were sitting around a fire. Suddenly Subhrojyoti's shawl caught fire. While the other children fled in panic, Kumari Reshma screamed for help. Realising that there was no one around, Kumari Reshma herself tried to extinguish the fire with the help of her shawl. While Kumari Reshma succeeded in her effort and saved her brother from getting burn injuries but her own dress caught fire in this attempt. Kumari Reshma was hospitalized with 90 per cent burns and succumbed to her injuries on 1st January 2001.

2. Kumari Reshma showed courage and bravery in saving the life of her brother in a fire incident and lost her life in the process.

(Barun Mitra)
Director

**No. 103-Pres/2002 - The President is** pleased to approve the award of "JEEVAN RAKSHA PADAK" to the undermentioned persons :-

1. LATE MASTER UTPAL DAS (POSTHUMOUS)
S/O SHRI AMIYA KR. DAS,
AMULAPATTY, H.C.B. ROAD, SIVASAGAR,
ASSAM.

On 27.11.2000, Master Utpal Das went to Dikhow river to take bath at 12 noon. The river has width of 60 feet and depth of not less than 25 feet. He went alone and took bath. He also watched one more boy, Master Kalia Dutta, taking bath. Master Utpal Das finished his bath and changed his clothes and was about to return home from the Ghat of the river. Then, he suddenly found the boy who was taking bath was being swept away by the strong current in the middle of the river. It was almost certain that the drowning boy was about to die. Master Utpal Das, without thinking for a minute, just dived into the river as he knew swimming and reached Master Kalia Dutta and dragged him towards the bank. Master Kalia Dutta could manage himself to catch hold of a bamboo-stump along the bank while Master Utpal Das could not get out of the current, which took him away downstream for 800 metres. Meanwhile, an alarm was raised by the passersby and then the nearby villagers searched for Mr. Das. After 45 minutes, the body of Mr. Das was fished out.

2. Master Utpal Das showed the exemplary courage, sacrifice and presence of mind in his attempt to save a boy and made the supreme sacrifice of his life in the process.

2. SHRI ASHWANI KUMAR
VILLAGE & POST OFFICE SAMMOLI,
TEHSIL DEHRA, DISTT. KANGRA (HP).

On 08.09.2001, a three year old child, Master Amit Kumar fell into the nearby 80 feet deep well. The level of water in the well was about 20 feet. On hearing the noise, Shri Ashwani Kumar came there and jumped into the well immediately without caring for his own life. He brought out Master Amit and thus saved the life of the child from drowning. Had he not put his life into risk, the child would have died. Shri Ashwani Kumar was badly injured in the process.

2. Shri Ashwani Kumar showed courage and promptitude in saving the life of a child from drowning, at considerable risk to his own life.

3. SHRI GAUTAM PRASHAD SHARMA
VILLAGE MANIARA P.O. PAHRA, TEHSIL,
PALAMPUR, DISTT.
KANGRA H.P. 176087.

On 17.04.2001 a 10 year old child about to drown in the turbulent current of the river Awa near village Rakker Majherna. The river was about 15 to 20 feet deep with high currents of water. Shri Gautam Prashad Sharma saved the life of the child after covering a distance of about 20 to 25 feet downwards in the river.

2. Shri Gautam Prashad Sharma showed courage and promptitude in saving the life of a child from drowning at risk to his own life.

4. KUMARI SMITHA. V
ARUNODAYAM,
MUNDAKKAL, WEST.P.O.
KOLLAM DISTRICT-691 001.

On 23.01.2001, at about 5 p.m., Kumari Smitha and her mother were returning home after paying water charges at the office of Kerala Water Authority, Kollam. The Railway Crossing in front of the office of Superintendent of Police, Kollam was closed at that time for a passing train. Within a few minutes, a train passed and before the opening of the level crossing Kumari Smitha and her mother Smt. J.Vasantha tried to cross the railway track. Unfortunately another train was coming at a high speed on the second track. Kumari Smitha crossed the track but her mother slipped and fell on the track. Kumari Smitha was shocked to see the train that was reaching there with high speed and her mother was just to be run over by the train. Despite the high risk involved, Kumari Smitha, within seconds removed her mother from the track. Smt. J. Vasantha had a narrow escape from death due to the bravery shown by her daughter.

2. The timely and courageous act of Kumari Smitha saved the life of her mother.

5. SMT BEENA HARIDAS
PANTHAPLACKAL VEEDU,
NJALLAMATTOM, CHIRAKKADAVU, P.O.,
KANJIRAPPALLY,KOTTYAM, KERALA

On 10-02-2001 at about 5.30 P.M. Master Aravind P. Haridas, a three year old boy, alongwith his friends, was playing with a ball in front of his home. While playing, the ball fell into a nearby well. The well, having a depth of 7.5 m. and width of 2.6m. was having water level of 1.25 m. at the time of incident. While looking for the ball, Master Aravind accidentally fell into the well and began to drown. On hearing the loud cries of his friends, several people gathered at the site but nobody dared to jump into the well. At that time, Smt.Beena Haridas, mother of Master Aravind, went down the well throguh the rope used for drawing water from the well. Smt. Sheeba, Sister-in-law of Smt. Beena Haridas helped her in this attempt by holding the other end of the rope. But unfortunately Smt. Beena could reach only half the depth of the well as the palm of Smt. Sheeba jammed into the pulley. Smt. Beena jumped into the well at a risk to her own life and saved the life of her son. Smt. Beena Haridas and her son Master Aravind came out of the well by using a ladder put there by the local people.

2. Smt. Beena Haridas showed courage, promptitude and presence of mind in saving the life of her son from drowning.

6. MASTER JAIN JACOB
S/O JACOB K.K., KUZHAVELI HOUSE,
MOTHIRAKKANNY. P.O., CHALAKUDY VIA.
THRISSUR DISTRICT, KERALA.

On 10.8.2000 at about 13.30 Hrs. some students of St. Sebastians L.P. School, Kuttikad village were playing in the Irrigation branch canal near the school. A boy named Justin Jacob M.P.(7 years) accidently fell into the siphon of the Irrigation canal. The canal was 18 feet deep and full of water at the time of accident. Other children witnessed the incident. Justin Jacob was sinking into the water and coming up and down in the water. At that time one of the boys, Master Jain Jacob (7 years) who did not know how to swim, hung on the steel rod fixed over the siphon and put his legs downwards, so that drowning boy may hold his legs which would help to pull him out of the siphon. On seeing the legs, the drowning boy accordingly held them strongly. With great effort, Master Jain Jacob pulled him out of the siphon and thus saved his life.

2. Master Jain Jacob showed courage and presence of mind in saving the life of a boy from drowning with great risk to his own life.

7. SHRI MATHEW P.VARGHESE
PALATHINKAL HOUSE,
EDAKKULAM.P.O., RANNI,
PATHANAMTHITTA DISTRICT, KERALA

On 2.12.2000, at around 3 P.M. two pilgrime namely Shri Nadarajan and Shri Rajeshkumar, while returning from pilgrimage to Sabarimala, were taking bath in the Pamba river. They began to drown due to heavy currents of the water. The width of the river at the time of the incident was 100 metre and depth of water was about 3.5 metre. At that time, Shri Mathew P.Varghese, an employee of the Telecom Department (BSNL), Vadasserikkara was doing some work on Telephone lines on the other side of the river. Looking at the drowning persons, he swam across the river and rescued both of them without anybody's help.

2. Shri Mathew P.Varghese showed great courage and presence of mind in saving the lives of the two persons from drowning.

8. SHRI MURALEEDHARAN. N.P.
NELLIKAL, METHALA. P.O.
ASAMANNOOR VILLAGE,
ERNAKULAM DISTRICT.

In the morning of 11th March, 1999, six persons were washed away while taking bath in the Methala High level Canal to about 900 feet inside the Methala tunnel due to fast current of the water. The tunnel was about 2.5 K.M. long constructed for the purpose of bringing water to Keezhillam. Among them, four persons swam across to the other end through the tunnel. But two persons, namely Shri Lenin and Shri Libi were holding the upper bars of the tunnel for hours together and were struggling for life. On hearing the news of the incident, a number of people gathered. But unfortunately nobody dared to come forward to carry out any rescue operations. Even though the Fire Force rushed to the bank of the Canal but they could not reach the spot. In the meantime, on seeing that the lives of two persons were in danger, Shri N.P.Muraleedharan, with the permission of the Fire Force, jumped into the Canal took risk to his own life and swam towards the spot ignoring

the darkness inside the tunnel and heavy current of water. After much struggle, Shri Muraleedharan managed to bring the two persons to the bank of the Canal by using the rope of the Fire Force. In this attempt, Shri Muraleedharan got tired and his hands slipped from the rope and he drifted away through the tunnel and reached the other end of the tunnel. Sri Muraleedharan got several injuries in bringing the two people back from the other end of the tunnel.

2. Sri N.P. Muraleedharan showed courage and presence of mind in saving the lives of two persons from drowning at risk to his own life.

9. SHRI P.J. JAMES
PATHARASSERY HOUSE,
KAINAKARY. P.O., ALAPPUZHA DISTT.,
KERALA-688 501

On 28.02.2001 at 8.45 a.m. while passengers were stepping into the Boat (No.A.60), which was going to Mancompu from Alappuzha at Kannitta boat jetty. Kumari Nayana Suseelan, a 6th standard student slipped and fell into the river and started drowning. The depth of water was 8 meters and width of river was approximately 90 meters at the time of incident. Whirlpool is always seen in this area due to drag force of boat. Even though more than 200 people were in the boat and many others were near the jetty, no body except Shri P.J. James, duty driver of the boat, was ready to undertake the rescue operation. Shri P.J. James, ignoring the risk to his own life, jumped into the water and rescued the girl from the bottom of the river which was dumped with broken poles.

2. Shri P.J. James showed great courage and presence of mind in saving the life of a girl from drowning without caring for the risk to his own life.

10. SHRI PUTHENPURACKAL KESAVAN SURESH
PUTHENPURACKAL, POLINJAPALAM,
KALLARKUTTY, P.O., DEVIKULAM TALUK,
IDUKKI DISTRICT, KERALA.

On 9.7.2000 Smt. Usha, wife of Shri Divakaran, Pazhampattu Veedu was crossing the river Muthirapuzha in Devikulam Taluk with her child Deepu, aged 1 1/2 years, with the help of one Shri Saji. The child was in the hands of Shri Saji. Accidently Saji slipped from a rock and fell into the fast flowing river alongwith the child. The river was about 2-3 metre deep at the place of the incident and a number of big stones were lying in its bed. Seeing the accident, Smt. Usha also jumped into the flowing water. Shri P.K. Suresh, hearing the alrming loud cry of a lady, rushed to the spot. He jumped into the river to save the drowning persons at great risk to his own life. Miraculously he saved the lives of Deepu and the mother. But he could not save the life of Shri Saji. Shri Saji lost his life in this tragic incident and Shri P. K. Suresh was seriously injured in the rescue operation.

2. The timely courageous act of Shri P.K. Suresh saved the lives of two persons from drowning at a great risk to his own life.

11. LATE MASTER LALHMINGMAWIA (POSTHUMOUS)
S/O SMT. BIAKTHIANGHLIMI,
FALKAWN, MIZORAM

On 09.06.2001, Master Lalropuia, aged 8 years, fell into a pond. The pond was 10 feet deep and its length and breadth were 28 feet and 24 feet respectively. Master Lalhmingmawia tried to save the life of his drowning friend but in the process he himself was drowned and lost his life.

2. Master Lalhmingmawia showed courage and bravery in attempting to save the life of a boy and made the supreme sacrifice of his life in the process.

12. MASTER BHUPENDER SINGH BAINIWAL
SHAIOROLI, TEHSIL - GANGAPUR CITY,
DISTT. - SWAIMADHAPUR, RAJASTHAN.

On 13-02-2000, Kumari Sapna, aged 5 years, accidentally fell in a well while taking bath. At that time, young children were playing near the well and no adult person was there nearby. The depth of the well was about 50 feet. On hearing the cries of the girl, Master Bhupender Bainiwal, cousin of Kumari Spana, went down the well with the help of chain of the pully of the electric pump-set installed in the well. Master Bhupender Bainiwal held the girl up with one hand with the other hand on the chain. By that time, hearing hue and cry of the children standing outside the well, the people came there and took out both the children. Though his both hands and thighs got injured due to the chain of the pully, but he continued to hold the drowning child with one hand and the chain with other hand, till they were taken out of the well. If he had not immediately helped the girl, she would have drowned. By showing the presence of mind, and courage he saved the life of the drowning girl.

13. KUMARI SHIVA
D/O SHRI SHIV VARAN SHUKLA, VILL. SHIV
NAGAR PRAYAGPUR, COAST GOWDA BHURAI,
BAGH, P.S. GADAGANJ, DISTT. RAIBARELLY.

On 14.10.2000 at around 5.00 p.m., Shri Shiv Baran Shukla came to Raibarelly to attend the programmes of environmental forces alongwith Shri Vinay Pandey and Shri Neeraj Tiwari. Shri Vinay Pandey and Shri Neeraj, who were sitting at Bhramavart Ghat, at Bithur, started taking bath by standing in the river Ganga. As the water level was high, Shri Neeraj Tiwari started to drown. Shri Vinay Pandey tried to rescue Shri Neeraj but Neeraj caught hold of him and both of them started drowning. Both of them did not know swimming. Kumari Shiva, who was standing there, threw her mother's dhoti towards them in the river. They caught the dhoti but due to sudden jerk Kumari Shiva also fell in the river. She immediately left the dhoti and swam towards the boys and brought both of them to the bank of the river and thus saved their lives.

2. Kumari Shiva showed courage and presence of mind in saving the lives of two persons from drowning.

14. SHRI GOVIND SINGH
S/O SHRI SATTESINGH,
VILLAGE- CHILPAD, PATTI, BHARPUR,
GARHWAL, UTTRANCHAL PRADESH.

On 21.10.1999, at about 1.00 P.M., a boy named Krishan Singh S/o Govind Singh was attacked by a tiger at Koriyal Nallah near reserve forest. His classmate Master Govind Singh, S/o Satte Singh forced the tiger to flee by pelting stones on him and making noise. The tiger attacked Krishan Singh thrice but Master Govind Singh, showed great courage and saved the life of his classmate at the risk to his own life.

2. Master Govind Singh showed courage and bravery in saving the life of his classmate.

15. LATE SHRI OMKAR YADAV (POSTHUMOUS)
H/O SMT. SAHKUNTALA DEVI,
VILLAGE- PANDWALA KHURD, NAJAFGARH,
NEW DELHI-43

On 8.3.2001 fire broke out at the residence of Shri Kanwar Lal because of leakage of the cooking gas. The fire had engulfed the whole house and the only inmate, Smt. Manna Devi, shouted for help when she got surrounded by flames from all sides. Mr Omkar Yadav,a serving Havildar of 59 Field Regiment (TA) and a neighbour of Smt. Manna Devi, on hearing her cries, rushed to the spot and put out the flames single handed. He fought the fire with valour and successfully saved the life of Smt. Manna Devi. In the process, the clothes of Shri Yadav caught fire which he extinguished himself by rolling on the ground. Though he saved the life of Smt. Manna Devi but in the process he himself received 75% burn injuries. He was admitted to Safdarjung Hospital on the same day and from there was shifited to the Army Hospital on 11.03.2001 when his condition deteriorated. He succumbed to the burn injuries on 12.03.2001.

2. Shri Omkar Yadav showed courage, bravery and promptitude in saving the life of a lady in a fire incident and made the supreme sacrifice of his own life in the process.

16. SHRI DESH RAJ, GUNNER
1988 INDEPENDENT MED BATTERY
C/O 56 APO

17. HAVILDAR RAM SURAT VERMA
1988 INDEPENDENT MED BATTERY
C/O 56 APO

On 08-06-2000, the patrol halted at village Kuthi, Distt Pithoragarh in Uttar Pradesh due to inclement weather and heavy rains. Suddenly there was a crashing sound and all the villagers came out of their houses crying for help. On hearing this, Gunner Shri Desh Raj and Havildar Ramsurat Verma came out in the heavy rain and found that a three storey house had collapsed due to heavy rains and two ladies and a child of 6 months were trapped in the debris.

2. Gunner Shri Desh Raj and Havildar Ramsurat Verma displayed high sense of bravery and courage and climbed through the debris of the house and started clearing the debris. As they were clearing the debris, the third storey of the house also came down crashing, putting his life in danger. But Havildar Ramsurat Verma, with utter disregard to his personal safety, cleared the debris and succeeded in rescuing the two ladies and the child who had suffered multiple injuries.

3. Gunner Shri Desh Raj and Havildar Ramsurat Verma showed initiative, courage and humanism in saving the lives of two ladies and a child at risk to their own life.

18. SHRI SURESH BEHRA, CHIEF PETTY OFFICER
INS JARAWA, EASTERN NAVAL COMMAND,
C/O FMO
VISAKHAPATNAM

On 27 Jan 2001, Suresh Behra, Chief Petty Officer and Sanitationin-Charge went on a visit to Jolly Boy Island, where many tourists were present and were swimming in the vicinity of the beach of Jolly Boy Island. Whilst swimming there, he saw that an aged lady and a young girl were on the verge of getting drowned as they were both being swept away by strong currents of the turbulent sea. They began screaming for help but all the persons who were present continued to be mute spectators to the incident. Shri Behra, without losing any time, reacted with alacrity and proceeded to rescue both of them almost 25 mtrs away. He swam into the strong currents with total disregard to his own saftey and rescued both of them. Although he was very tired, yet he carried both of them on his own shoulders safely to the shore. Thereafter, making effective utilisation of the training that he had received in the Navy, he administered them the requisite first aid. He conducted cardio pulmonary resuscitation and rejuvenated them.

2. Shre Suresh Behra displayed presence of mind, courage to save two persons from drowning at a risk of his own life.

19. SHRI TARUN KUMAR ROY
INS JARAWA (ROSS ISLAND)
EASTERN NAVAL COMMAND, C/O FMO
VISAKHAPATNAM

On 17.02.2001, Shri Tarun Kumar Roy a casual labourer, was engaged in cleaning work on the Ross Island some 50 mtrs away from the jetty which is used for disembarkation/embarkation of visitors to the island. He heard some people screaming in the jetty area and immediately reached to the jetty, where he found that a lady aged about 53 years had accidentally fallen into the sea between the jetty and the ferry that had brought them. Many other passengers including the husband of the lady were present, but none were willing or had the courage to come to her rescue. Shri Tarun Kumar Roy immediately jumped into the sea without any consideration for his own safety in strong prevailing currents. By that time the lady had gone under the ferry boat and was not in sight. All those present including the lady's husband had already given up hope of rescuing her. Sri Tarun Kumar Roy dived under the boat and attempted to locate the distressed lady. After about 7-8 minutes, Shri Tarun Kumar Ray located her and barely managed to bring her to safety.

2. Shri Tarun Kumar Roy showed peresence of mind, courage and promptitude in saving the life of a lady at risk to his own life.

20. SHRI JODHA RAM, GS-173044 P DRIVER MT 3
70 RCC (GREF)
C/O 56 APO

On 25 Mar 2001, at around 1130 hrs GS-173044P DVRMT3 Jodha Ram was wait g on MS Road for snow clearance party. He saw the sentries shouting and waving their red flags and a few moments later, a snow avalanche struck. Shri Ram Yadav, Dozer Operator Assistant was moving in the slide prone area and was struck by the avalanche. The moment he could discern the location of Shri Ram Yadav, he jumped into the avalanche without caring for his own life and found Operator Assistant Shri Ram Yadav burried neck deep in snow about 70ft below the road. He saw the Operator Assistant waving his hand for help. On seeing this, he walked through the avalanche, risking his own life. He took out his turbun and on reaching near Shri Ran Yadav, threw it to the Operator Assistant and pulled him out of the avalnche.

2. GS-173044P Driver MT 3 Jodha Ram displayed courage and rescued Dozer Operator Assistant GS-181498X Pnr LP Shri Ram Yadav in a snow avalanche without caring for the risk to his own life.

21. SHRI RATTAN CHAND, GS-157920L DRIVER MT
592 (T) TPT PT (GREF
C/O 99 APO

GS-157920L Driver MT Rattan Chand was engaged alongwith his Tata Tipper in shifting construction materials from Morachera Dett to work site on Halambari-Fajkhudi axis, the most terrorist infested area of Dhalai District of Tripura.

2. On 21.3.2001, two trucks driven by Driver MT Rattan Chand and Driver MT. SK Pandey, started from the Morachera Dett after taking labourers. Vehicle of MT Rattan Chand was behind. Security squad comprising of BSF personnel also occupied both the vehicles. At about 0820 hrs when the vehicle reached 1.5.Km short of Kalatilla, suddenly, heavy fire from sophisticated weapons was directed on both the vehicles from hill and valley sides. Driver MT Rattan Chand stopped his vehicle in such a way that BSF personnel could retaliate the fire avoiding more casualities. During the incident he boldly moved forward and encouraged others in the face of risk to his personal safety. When the encounter with terrorists was over, he started evacuating the injured and then the dead bodies to nearby hospital at Kamalpur till late hours.

3. Driver MT Rattan Chand displayed courage, devotion and dedication to duty with utter disregard to his personnel safety.

22. KUMARI ANDY TENITA FERNANDES
D/O SHRI PATRICK FERNANDES,
PREM KUTIR, MULIYA HOUSE, SORNARD P.O.
BANTWAL-574211, KARNATAKA.

23. KUMARI ASHWINI KAMATH
C/O SHRI GANESH KAMATH
19-6-413/I, PANDESHWAR RAOD,
MANGALORE-575001.

24. KUMARI SHRUTHI ULLAL
NARAYANA DEVADIGA CM
NEKKAREMARU GORIGUDDA KANKANADY POST,
MANGALORE-575002, KARNATAKA.

25. KUMARI SRIDEVI DAMODAR
D/O SHRI M. DAMODAR
HONEYDEW APARTMENTS, 11 P.V.S. KALA
KUNJ ROAD, MANGALORE-575003. KARNATAKA.

On 21.01.2000, the students of St. Ann's High School had gone on a school trip to Pilikula Nisarga Dhama. Ashwini Kamath, Andy Fernandes, Shruthi Ullal and Sridevi Damodar were in a paddle boat when they saw another country boat carrying their friends suddenly capsized. The depth of water was about 60-70 feet. As the students panicked, the four girls rowed their boat towards the spot and managed to pull up four to six of their friends on to the paddle boat and then back to the bank. In spite of rescue attempts by other persons five students of the school were drowned.

2. Kumari Andy Tentia Fernandes, Kumari Ashwini Kamath, Kumari Shruthi Ullal, Kumari Sridevi Damosar saved the lives of four to six persons at a risk of her life.

26. KUMARI LALITA DEVI YADAV
VILLAGE & POST OFFICE-BARKOLA,
TEHSIL AJAIGARH, DISTRICT PANNA-488220
MADHYA PRADESH.

On 21.08.2000, some women were taking bath at a canal when they saw two children drowning. The depth of the canal is stated to be 10 meters. They screamed for help. Hearing their screams, Kumari Lalita Devi Yadav jumped into the swirling water without caring for the risk to her own life. She brought out the two children with considerable effort and saved their lives. The two children were 8 years of age and studying in the same school as Km. Lalita Yadav.

2. Km. Lalita Devi Yadav showed courage & bravery in saving the lives of two children from drowning at a risk to her own life.

27. KUMARI NIJAL OMPRAKASH PATIL
"DADA-SWED" MANOLAI, BEHIND DUTTA
MANDIR BHAAKAR PATIL MARG REMEDY
VASAI (WEST) DISTT. THANE-401201.

On 17.04.2000, Kumari Nijal and her aunt were watching television when two strangers entered the house. One of them held a pistol against her aunt's head while the other pointed a knife at Nijal's neck threatening to kill them if they raised an alarm. The robber holding her aunt took her inside demanding her to hand over jewellery and other valuables. The other thief closed the front door and windows and sat with Nijal in the hall, keeping an eye on her. As her aunt's bunch of keys fell down, the miscreant waiting for his accomplice in the hall, peeped out of the window to make sure no one approached the house. Nijal, who was waiting for a chance to get away, seized the opportunity. Slipping into the kitchen, she opened the door silently and ran to the neighbour's house, apprising them of the situation and requesting for their help. She alerted the villagers around who then collected outside her uncle's house. The robbers tried to flee threatening the crowd with their weapons. One of them succeeded in escaping while the other was caught by the villagers. After four-five days the other robber was also nabbed by the police.

2. Kumari Nijal showed courage and bravery in foiling a robbery attempt at great risk to her own life.

28. MASTER PUTTA SOMESHWAR ALIAS SOMMANNA
KUNTALA VILLAGE
NEREDIGONDA (M)
DISTT. ADILABAD, ANDHRA PRADESH.

On 29.07.2001, Shri Venkatesh had gone with his wife and two children to Kuntala waterfalls for a picnic. The driver and cleaner of the hired jeep were with them. They were sitting atop a high rock near the falls at the right side when suddenly there was a flash flood. Within no time a lot of water started falling from the falls. Master Putta Somanna who was fishing at the pond below the falls, noticed the family stranded on a rock surrounded by the swirling water. Throwing his belongings aside, he swam against the strong current. He carried the two children and pulled Smt. Venkatesh to a safe spot. Thereafter he helped the jeep driver, Shri Venkatesh and the cleaner to reach another rock.

2. Master Putta Someshwar showed courage and bravery in saving the lives of six persons from drowning at risk to his own life.

29. KUMARI RITU SINGH TOMAR
SHRI SHER SINGH TOMAR
10 INDIRA MARKET, NANGAON-471201
MADHYA PRADESH.

On the morning of 07.08.2000, Kumari Ritu Singh Tomar was on her way to school. She was about 100 feet away from school when she noticed a truck speeding its way from the opposite direction and a five year old child running across the same road. Instantly throwing her cycle away, Km. Ritu Tomar jumped on to the road without caring for the risk to her own life and, catching hold of the child, she fell to one side of the road just before the truck crossed the spot. Passersby then helped the two children to get up.

2. Kumari Ritu Singh Tomar showed courage, promptitude and presence of mind in saving the life of a child in an accident case at risk to her own life.

30. MASTER SANATH B.
CHANKARATHPADI HOUSE THALASSERY
DESHAMANGALAM,
THRISSUR-680 593 KERALA.

On 12.07.2001, Kumari Praveena, aged 3 years, was playing with her friends on a bridge over a stream when she accidentally fell into the water. As her friends shouted for help, Master Sanath, who was playing nearby, ran to the spot. One of her friends pointed to her red dress about 150 mts. away. Sanath jumped into the water lifted up Kumari Praveena. His friends then helped him to take her to the bank in an unconscious state. Kumari Praveena was revived with medical aid.

2. Master Sanath saved the life of a minor girl from drowning at risk to his own life.

Barun Mitra

(Barun Mitra)
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001